खण्ड-320, अंक-6
शनिवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1898
(27 मार्च, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	551–555
भतपूर्व सदस्य, श्री कालिका सिंह के निधन पर शोकोद्‌गार	555–556
वित्त एवं विनियोजन लेखे 1973–74 पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	556
उत्तर प्रदेश विनियोग (1975–76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	556
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	556–557
सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना	557
उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	557–558
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	558
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	558–613
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	613–614
नत्थी	615–628

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 27 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 6 मिनट पर अध्यक्ष; श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—360

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह; श्री
उदय नाथ, श्री
उदल श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मिश्र; श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद; श्री
कुंवर बहादुर मिश्र; श्री
कुलतार सिंह; सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह; श्री
क्रान्ति कुमार; श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द; श्री
ख्याली राम शास्त्री; श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा सिंह; श्री
गंगा स्वरूप; श्री
गजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा; श्री
गया सिंह; श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह; श्री
गुलाब सेहरा; श्री
गोपाल दत्त ओझा; श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी; श्री
गोरेलाल शाक्य; श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री

गोविन्द सिंह नेगी; श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर; श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह; कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह; श्री
चन्द्रभान आजाद, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह; श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह; चौधरी
चरणसिंह, डाक्टर
चरनदास सेठ; श्री
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह; श्री
छेदा लाल चौधरी; श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झिलमिट, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेजबहादुर; श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दयाकिशन पाण्डेय, श्री
दयाराम भास्कर; श्री
दलसिंह यादव, श्री
दिनेशचन्द्र रस्तोगी, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय; श्री
दीपनारायण बन महन्थ; श्री
दुर्योधन; श्री
दुलारा देवी; श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरमराम; श्री
धर्म चन्द्र मिश्र; श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह; श्री
नजीर अहमद; श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव; श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल; श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास; श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह; श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास; चौधरी;
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द; श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता; डाक्टर
प्रताप नारायण; श्री
प्रभाकरनाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभुनारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री

प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारीराम यादव, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांकेलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बैजन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवंती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भामी, श्री
भारतसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अमहद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माखनलाल मिश्र, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिश्रयार खां, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूलचन्द्र राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा कान्त द्विवेदी, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री

राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामरेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पान्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यप्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री

सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मर्तंजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरप्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—परिवहन मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

भूतपूर्व सदस्य, श्री कालिका सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य, श्री कालिका सिंह, आजमगढ़ का 16 मार्च, 1976 को हृदयगति रुक जाने से देहान्त हो गया। मृत्यु के समय उनकी अवस्था लगभग 65 वर्ष की थी। श्री कालिका सिंह के साथ हमें इस विधान सभा में 10 साल तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका गम्भीर व्यक्तित्व और मधुर वाणी आज भी स्मरण आती है। जब अचानक किसी वरिष्ठ साथी का निधन हो जाता है तो सहसा कसक सी उठती है और एक खाई सी नजर आने लगती है और लगता है कि अच्छा कार्य करने वाले किसी साथी से किस समय बिछुड़ना पड़े। कालिका सिंह प्रदेश के पूर्वांन्चल के कार्यकर्ताओं में से थे। वह बहुत कर्मठ तथा लोकप्रिय थे। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से पठन पाठन किया। वह यूथलीग के भी सदस्य रहे। विद्यार्थी जीवन में विभिन्न छात्र संगठनों से उनका संबंध रहा है, वह जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट आफिशियल रिसीवर के जनरल सेक्रेटरी, यू0 पी0 सी0 सी0 के सदस्य, डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटी के मंत्री तथा यू0 पी0 फाइनेन्स कमेटी के सदस्य रहे हैं। इस सदन की प्राक्कलन समिति के भी वह सदस्य रहे हैं। और यू0 पी0 टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी के भी वह सदस्य रहे। उनका साहित्य के क्षेत्र में भी काफी योगदान रहा। वीर कुंवर सिंह नामक नाटक उन्होंने लिखा। उन्होंने इलस्ट्रेटेड के सम्पादन का कार्य भी किया। क्रीड़ा के क्षेत्र में भी उन्होंने पर्याप्त योगदान किया। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और आपसे अनुरोध है कि आप इस सदन की तथा हमारी सम-वेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, श्री कालिका सिंह जी के निधन से हम सब को बड़ा दुख हुआ है। कालिका सिंह जी इस सदन के 10 साल तक सदस्य रहे। मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानता था। अपने जिले के वह बहुत बड़े गणमान्य तथा कर्मठ कार्यकर्त्ता थे। यहां भी जितने दिन रहे बहुत ऐक्टिव रहे। मिलने जुलने तथा बोलने चालने में। इसका हमको बड़ा शोक है कि इतनी कम उम्र में वह इस दुनिया से चले गये। वह बड़े कर्मठ तथा अच्छे कार्यकर्ता थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। समाज में जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। जब उनकी क्षति होती है तो उससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। मैं अपने दल की ओर से तथा अपनी तरफ से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हम सब का शोक संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा श्री कालिका सिंह के बारे में जो शोकोद्गार प्रकट किये गये हैं उनसे मैं अपने को और सदन को संबद्ध करता हूं। श्री कालिका सिंह कई अभिरुचियों के व्यक्ति थे । सामाजिक सेवा, साहित्यिक सेवा, कला, फोटोग्राफी, खेल–कूद सभी में उनकी अभिरुचि थी । उनके देहावसान से सार्वजनिक जीवन में जो क्षति हुई है उसका पूरा होना कठिन है ।

आपने जो विचार व्यक्त किये हैं, उसके अनुरूप उनके शोक संतप्त परिवार को आपकी ओर से समवेदना का संदेश भेज दिया जायेगा। दिवगंत आत्मा की शान्ति के लिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप दो मिनट का मौन धारण करके इस प्रस्ताव को पारित करें ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने–अपने स्थान पर मौन खड़े हुये ।)

वित्त एवं विनियोजन लेखे 1973–74 पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोजन लेखे 1973–74 को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 1973–74 की वाणिज्यिक, (सिविल) राजस्व प्राप्तियों पर रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुपूरक रिपोर्ट 1973–74 (सिविल), सहित सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1975–76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा को प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम, 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1975–76 का अनुपूरक) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा 24 मार्च, 1976 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 मार्च, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 1976 की बैठक में सदन के 30 मार्च, 1976 से 1 अप्रैल, 1976 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

30 मार्च, 1976

(1) वित्तीय वर्ष 1976–77 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर चर्चा (यदि आवश्यक हो), मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण ।

(3) भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण ।

---

†छापी नहीं गई ।

31 मार्च, 1976

(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण।

(2) उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण।

(3) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण।

1 अप्रैल, 1976

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना सदन को और देनी है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने विधान सभा में अपने दल परिवर्तन की सूचना निम्न प्रकार से दी है—

माननीय सदस्य का नाम	दल जिसे छोड़ा		दल जिसमें सम्मिलित हुए
1—श्री शिव प्रसाद गुप्ता	निर्दल	..	कांग्रेस शासन दल में
2—श्री ओम प्रकाश गुप्त	निर्दल	..	कांग्रेस शासन दल में
3—श्री राम स्वरूप भारतीय	निर्दल	..	कांग्रेस शासन दल में
4—श्री काशी प्रसाद	निर्दल	..	कांग्रेस शासन दल में
5—श्री जुगल किशोर	निर्दल	..	कांग्रेस शासन दल में
6—श्री अबुल फैज शाह	निर्दल	..	कांग्रेस शासन दल में
7—श्री हेमराज	भारतीय लोक दल	..	कांग्रेस शासन दल में
8—श्री कृष्णवीर सिंह	भारतीय लोक दल	..	कांग्रेस शासन दल में
9—श्री देवी सिंह	भारतीय लोक दल	..	कांग्रेस शासन दल में
10—श्री गोरे लाल शाक्य	कांग्रेस (संगठन)		कांग्रेस शासन दल में

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976

सहकारिता मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 को सदन में पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 को पुर: स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. 615–628 पर।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री श्रीनारायण जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं। माननीय श्रीनारायण आप फिर खड़े हो रहे हैं।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, वह लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो मुझे रखना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

लोकतंत्र मान्यताओं पर चलता है । इस प्रकार कार्य-स्थगन मान्यता विहीन होगा और लोकतंत्र में संभव नहीं है। आप मान्यताओं पर चलें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय धर्मसिंह जी के राज्यपाल के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विरोधी पक्ष की ओर से कल श्री दल सिंह बोल रहे थे। वह हैं नहीं अत: श्री देवबहादुर सिंह बोलें।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में दो शब्द कहने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, महामहिम ने जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसका विवेचन अपने भाषण किया है और उन्होंने ठीक ही बतलाया है कि हमारे प्रदेश में 16 लाख एकड़ भूमि जो कृषक मजदूर हैं उन्हें वितरित की गयी है। सरकार कटिबद्ध है कि जिन्हें पट्टे दिये गये हैं उन्हें कब्जा भी दिया जाय और जिनको भूमि दो गई है उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाय जिससे वह भूमि पर भलीभांति खेती कर सकें। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे थे जो इस देश के नागरिक तो थे लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं थी जहां पर वह अपनी झोपड़ी डाल सकें। इससे वह अपने को समाज में अलग सा पाते थे। आज उसके लिये सरकार ने व्यवस्था की है और उन सब को कम से कम अपना मकान बनाने, अपनी झोपड़ी बनाने के लिये भूमि दी गई है। अब ,जो भूमि उसकी होगी, जिसमें अभी तक उसका अधिकार नहीं था उसमें उसे अधिकार मिलेगा। ऐसे लोगों के लिये भूमि की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था की गई है। वह जो पुरानी व्यवस्था थी वह समाप्त हो रही है भूमि हीन जो आज तक थे वह भी सोचने लगे हैं कि वह भी अब मालिक हैं। नागर क्षेत्र में सीमा हदबंदी लागू को गई है और 12 शहर हमारे प्रदेश में भी आए हैं, इसके अलावा भी एक हजार से ऊपर के जो शहर है वहां भी यह हदबन्दी कानून लागू करने की व्यवस्था की जा रही है और केन्द्रीय सरकार से इसकी अनुमति प्राप्त करने का

†26 मार्च, 1976 की कार्यवाही से।

प्रयास प्रदेशीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। केवल ग्रामीण अंचलों में ही ऐसे लोग नहीं थे। नागरीय क्षेत्र में भी थे और वे जहां बसे थे, वह सबसे उपेक्षित स्थान थे। वहां गंदे नाले थे। दुर्गन्ध भरे संकरे गलियारे आदि थे ? वहां का वातावरण बिलकुल गंदा और मनुष्यों के रहने लायक नहीं था। जब यह कानून वहां लागू हो जायगा तो उसमें प्राप्त भूमि पर भी उस गरीब को बसाने की व्यवस्था की जायगी। जिनके रहने की अब तक या तो बिलकुल व्यवस्था नहीं थी या थी तो बहुत खराब थी।

राज्यपाल महोदय ने ऋणमुक्ति के बारे में बताया है। एक एकड़ जोत तक के जो लोग थे उनके व्यक्तिगत ऋण को बिलकुल माफ कर दिया गया है और ढाई एकड़ वालों के व्यक्तिगत ऋणों को स्थगित कर दिया गया है और उनके लिये अलग से ऋण की व्यवस्था की जा रही है। इसमें कुछ कठिनाइयां अवश्य आई है, सरकार उनको भी दूर करने का विचार कर रही है। अब भी जो लोग भूमिहीन, बेरोजगार हैं, उनकी जीविका का कोई साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में राष्ट्रीयकृत बैंक भी उनकी मदद कर रहे हैं, जिससे वे गाय–भैंस खरीदकर डेरी का धंधा कर सकें, कुक्कुट पालन कर सकें, रिक्शा खरीद सकें तथा अन्य प्रकार के छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपनी जीविकोपार्जन कर सकें, इसके साथही सरकार को यह करना चाहिए था कि जो मजदूर या बेरोजगार बैंको में ऋण प्राप्त करने जाता है, तो उससे उस आदमी की गारेन्टी लाने को कहा जाता है। जिसका वहां एकाउन्ट हो या सरमायेदार हो, इससे उनको बहुत परेशानी होती है और मजबूरन उससे बन्धक मजदूर की व्यवस्था फिर कायम हो रही है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। क्योंकि जो गारन्टी लेता है, वह उसका शोषण करने का प्रयास करता है। इसलिये ऐसा होना चाहिये कि वे परस्पर एक दूसरे की जमानत ले सकें। मुझे पूरी आशा है कि ऐसा करने में सरकार को पूरी सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं बन्धक मजदूरों के अलावा जो उद्योगों के मजदूर हैं, उनकी भी फैक्टरियों व कारखानों में समितियां बन गई हैं और उसके प्रबन्ध में उनकी राय को महत्व दिया जा रहा है। उद्योगों के प्रबन्ध में अब उनका हाथ भी भविष्य में होने लगेगा। महामहिम ने सबसे बड़ी बात यह कही है कि पिछले सत्र के समय की अपेक्षा इस बार हम मद्रास्फीति पर पूर्णरूपेण काबू पा सके हैं। पिछली बार इस समय देश में एक हाहाकार मचा था, चीजों का अभाव था, मूल्य इतनें अधिक थे कि मजदूरों और दैनिक मजदूरों के लिये जीविकोपार्जन करना बहुत मुश्किल था।

याद है, मान्यवर, उस समय जब यह बात इस सदन में सोची जा रही थी कि गेहूं की वसूली का मूल्य क्या हो और सरकार कह रही थी कि 105 रु0 हो तो बहुत से लोग यह आशका व्यक्त कर रहे थे कि 105 रु0 कम होगा और अब फसल कटने से पहले इस प्रदेश में गेहूं रुपया 90–95 प्रतिक्विन्टल बिक रहा है। जो जीवन के लिये आवश्यक वस्तुएं है वह इतनी कीमत पर बिक रही हैं कि गरीब से गरीब आदमी थोड़े पैसे में उसे खरीद सकता है। आखिर यह दिन आया क्यों ? महामहिम राज्यपाल ने ठीक ही कहा है अपने अभिभाषण में,आपात स्थिति के कारण। विरोधी पक्ष के सम्मानित नेता चौधरी साहब है, ने 3 घंटे तक भाषण दिया इस सदन में और महामहिम के अभिभाषण पर कोई चर्चा नहीं की, सिर्फ आपात स्थिति, जेल की बात गुजरात की, तमिलनाडु की बात, वह सब बात जिससे उत्तर प्रदेश और इस सदन का कोई वास्ता नहीं रहा, केवल इसलिये कि जब अभिभाषण शुरू हुआ वे उठकर यहां से चले गये। दूसरे दिन अखबार में वह देखे होंगे कि उसके उनके सम्बन्ध में कोई बात नहीं लिखी हुई थी। वह समझते हैं कि इस देश और प्रदेश में उनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। मान्यवर, जितना हम बोलते है, क्या हमारा सब भाषण पेपर में प्रकाशित होता है ? नहीं होता है। मान्यवर, इस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। मान्यवर,मैं यह कहूं कि आपात स्थिति इस देश में क्यों लागू हुई ? यह कोई अतिशयोक्ति न होगी।

मान्यवर, जब मैं यहां आया, तो देखता था कि पोस्ट आफिसेज बंद, उत्तर प्रदेश बंद, फैक्ट्री बंद, रेल बंद। उसका असर उत्पादन पर पड़ता है और जब फैक्ट्रीज चलने

[श्री देव बहादुर सिंह]

लगीं, बिजली भी मिलने लगी तो उत्पादन बढ़ा। जो सबसे बड़ा अहित इस विरोधी पार्टी ने किया वह ऐसा प्रचार किया, जो मनोबल है, हमारे नागरिकों का वह नीचे गिरने लगा। इससे मान्यवर, अराजकता पैदा होती है।

मान्यवर, जब से आपात स्थिति लागू की गयी है, तबसे जनता को काफी राहत मिली है। चीजों के दाम कम हुए हैं और उनको वे आसानी से सुलभ हो रही है। हमारे नागरिकों का मनोबल स्तर ऊंचा हुआ है। लेकिन मान्यवर, ये विरोधी पक्ष के लोग इसको महसूस नहीं करते हैं और केवल विरोध करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। इससे मान्यवर, जनता को गुमराह किया जाता है। इसीलिये इन सब चीजों को ध्यान में रख कर इमरजेंसी लागू की गयी। आपातकालीन लागू करने के बाद और कुछ बन्द नेताओं को जेल में भेजने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। क्योंकि इन नेताओं के जेल में जाने के बाद जनता को राहत मिली है। जनतंत्र के विरुद्ध कई शक्तियां हैं, उनमें से यह भी हैं और ये जनतंत्र का गला घोटने वाले हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हम जनतंत्र के रक्षा करने वाले हैं? इस चीज को जनता किसी हालत में मानने के लिये तैयार नहीं है। 1942 में आन्दोलन हुआ था, वह आन्दोलन मान्यवर, जन आन्दोलन था उसके साथ सभी की सहानुभूति थी। वह आन्दोलन विदेशी सरकार के विरुद्ध था। उस आन्दोलन में हमारी जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि कुर्सी को प्राप्त करने के लिये आन्दोलन किए जाते हैं तो ऐसी हालत में जन सहयोग मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जनता क्या चाहती है, वह लोक सभा या विधान सभा के लिए सदस्यों को चुनकर भेजती है। विरोधी पक्ष के लोगों का यह कर्त्तव्य है कि वह सही राय सरकार को प्रदान करें जिससे देश प्रगति की ओर बढ़े। केवल वह राजनीति के लिये विरोध करते हैं, यह उचित नहीं है और इससे जनता को भी हानि उठानी पड़ती है। अगर आप सही सुझाव और ठोस सुझाव सरकार को देंगे तो जो कल्याणकारी योजनाये हैं उनका ठीक से कार्यान्वियन होगा और जनता को लाभ पहुंचेगा जब तक यह नहीं होगा तब तक विरोध पक्ष अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। मैं इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोधी दल की ओर से जो संशोधन आये हैं उनका विरोध करता हूं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप तो कल बोल चुके हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

इधर से कोई बोलनेवाला नहीं है, इसलिये मैं बोलना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप दुबारा बोलना चाहते हैं। मुझे शक है कि आप कल बोल चुके हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मैं बोल चुका हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं बोल सकते हैं आप। एक विषय पर एक बार ही समय मिल सकता है। कल आपको समय दिया गया था।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैंने अपनी बात कही थी, लेकिन आज देखा कि कोई बोल नहीं रहा है, तो मैं पुनः बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब पुनः नहीं। नयी परम्परा न डालें।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

कोई है नहीं, हमें अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष—

जिनको अवसर नहीं मिला है उनको दिया जा सकता है। अगर नहीं कोई बोलता है, तो कोई अनिवार्य सभा नहीं चल रही है। वही बात बार-बार कहने से क्या फायदा? एक ही विषय पर दोबारा एक माननीय सदस्य को बोलने की परम्परा नहीं रही है और नहीं रहनी चाहिये।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

कल मुझे अवसर बहुत कम मिला था।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समझ-बूझ कर मांगेंगे और जब अवसर मिले तो बोलें।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं केवल 1–2 प्वाइन्ट्स कहना चाहता हूं। मुझे आपात कालीन स्थिति के बारे में, जिसके बारे में नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कुछ नहीं कहना है। प्रदेश की जिन तहसीलों में पहली-पहली बार चकबन्दी हुई थी उन में फिर से चक बन्दी कराने की अत्यन्त आवश्यकता है और मेरी प्रार्थना है कि सभी माननीय सदस्य, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों इसे गम्भीरता से लेंगे। इन तहसीलों में सरकार की जैसी मंशा थी, नियमानुसार नहीं हुई। बहुत खामियां रही हैं उदाहरणस्वरूप न चक रोड के लिये भूमि छोड़ी गई, न नालियां बनाने के लिये अनिवार्य रूप से जमीन छोड़ी गई है। न उसमें गांव सभा की जमीन को एक जगह छोड़ने का ही जिक्र है। लोगों के 8 8 और 10-10 चक बन गये हैं जिसके कारण उन्हें पानी का प्रबन्ध करना या कहीं पर गूलें निकालना असम्भव हो गया है। श्रीमन्, मेरे पास थोड़ी सी भूमि थी, उसके भी 5 चक बने हैं और वे भी एक से एक बहुत दूर है। चकरोड न होने के कारण किसान अपनी पैदावार को अगर दूसरी जगह ले जाना चाहता है या खाद को अपने खेतों में ले जाना चाहता है, नहीं ले जा सकता है। होता यह है कि एक किसान दूसरे से कहता है कि तुम मेरी गाड़ी निकलने दो मैं तुम्हारी निकलने दूंगा। तो म्युचुअल तो बात दूसरी है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनका म्युचुअल एरैन्जमेंट नहीं हो पाता है, तो उनको बड़ा कष्ट होता है उसका नतीजा क्या निकला?

इस समय सरकार ने हमारे हरिजन भाइयों या भूमिहीनों को जो जमीने दी हैं, इन तहसीलों में वह जमीन भी फैली हुई थी। कहीं पर 2 बीघा, कहीं पर 4 बीघा उन लोगों को मिल पाई है। वहां पर न किसी प्रकार का सिंचाई का साधन है और न उन खेतों से पैदावार को लाने ले जाने का कोई साधन है क्योंकि उन खेतों के चारों ओर आन लोगों के खेत पड़ते हैं। जिन तहसीलों में बाद में चकबन्दी हुई है इन सारी बातों का उनमें ध्यान रखा गया है। मेरी प्रार्थना है कि इन तहसीलों में फिर से चकन्बदी होनी चाहिये वरना जो भूमि आवंटित की गई है वह योजना बिल्कुल रद्द होकर रह जायगी। विभिन्न जगहों पर चक होने के कारण किसान आज तक भी अपनी चीजे स्थापित नहीं कर पाया है ताकि अपने खेतों पर पानी का प्रबन्ध कर सके। यदि हमारी सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाना चाहती है और जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई है उनको भी सुविधा पहुंचाना चाहती है तो इन तहसीलों में फिर से अविलम्ब चकबन्दी करायी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

जिससे कि वहां चकरोड बनाये जा सकें और पानी की पूरी सहूलियतें दी जा सकें। इस सम्बन्ध में मने दो, तीन बार प्रश्न भी किये और माननीय मंत्री जी ने भी माना कि कि इसमें कमी रह गयी है लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में जब चकबन्दी हो जाएगी तब वहां चकन्बदी करायेंगे,स्टाफ नहीं है। हम द्रुत गति से चलना चाहते है जैसा कि सरकार भी बार बार कह रही है और विरोधी पक्ष की भी इस बारे में एक राय है, पिछले वर्षों में किन्हीं कारणों से द्रुत गति से न चल पाये हों लेकिन अब हम 2–4 साल के अन्दर ही इतनी प्रगति कर लें कि दूसरे मुंह देखें। जब यह लक्ष्य लेकर चले हैं तो कहीं से भी रुपये जुटा कर दुबारा चकबन्दी कराना चाहिये उन तहसीलों में, जहां पहली बार गलत तरीके से चकबन्दी हो चुकी है।

बहुगुणा जी जब मुख्य मंत्री थे तो 2–3 बार मैं उनसे मिला था। सिद्धान्ततः वह मुझसे सहमत थे। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि अगर करोड़, दो करोड़ रुपये खर्च हो जायं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं मगर हमारे राजस्व मंत्री अपनी जिद पर अड़े रहे कि पहले प्रदेश भर में एक बार हो जाय तब वहां करायेंगे। पता नहीं प्रदेश भर में कबतक चकबन्दी होगी और जिन्हें टैक्स अदा करने के बाद भी पूरा फायदा नहीं पहुंचा वे कब तक आंखें लगाये बैठे रहेंगे और पता नहीं उस समय भी कोई रुपया होगा भी इस काम के लिये या नहीं। अगर आपातकालीन प्रोग्राम को लागू करना चाहते है तो माननीय मंत्री जी कृपया इस बजट साल में ही इसको पूरा करने का संकल्प लें। इससे प्रदेश की लाखों जनता का हित होगा।

दूसरे, जब से हमने बेसिक शिक्षा जिला परिषद् से निकाली है तब से मेरा अनुभव यह है कि शिक्षा में अवनति होती चली जा रही है। एस0 डी0 आई0 स्कूलों में जाते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है नान–आफिशियल्स का। वह रुपये ले कर सबको पास कर देते हैं और जहां रुपया नहीं मिलता है वहां फेल कर देते हैं। तबादलों का यह हाल है कि 5 प्रतिशत की कैद लगा दी है कि उससे ज्यादा तबादले नहीं होंगे। बरेली में 1600 टीचर्स हैं। 5 प्रतिशत के हिसाब से 80 ही का ट्रांसफर हो सकता है। खूब रुपया चलता है कि किस का ट्रांसफर पहले हो और किसका बाद में हो। इसके अलावा बच्चों की तादाद भी इन स्कूलों में पहले से कम होती जा रही है भले ही रजिस्टिर में उनके नाम ज्यादा दिखाये जाते हों। मैंने ऐसे स्कूलों को देखा है जिसमें साल-साल भर से मास्टर नहीं मगर वह वहां कोई मास्टर ही नहीं देते। मै समझता हूं कि जिला परिषद् से शिक्षा ले लेने से ही उसमें बहुत सी दिक्कतें आ गयी है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि जिला परिषदों का इस पर कोई नियन्त्रण रखें नहीं तो ये बे–लगाम घोड़े, जो सरकारी अफसरान वहां हैं, जिन्होंने तमाम भ्रष्टाचार फैला रखा है, नीचे के स्तर पर। वह इस पर हावी हो जायेंगे और उससे शिक्षा का विनाश होगा, जो हो रहा है।

तीसरी एक बात मैं बागों के कटान के बारे में कहना चाहता हूं। लोगों को इस बेसिस पर बाग काटने के परमिट मिल जाते हैं कि वे पुराने पेड़ काट कर नये पेड़ लगवायेंगे। किन्तु देखा यह जा रहा है कि पुराने बाग कटते जा रहे हैं, नये नहीं लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरे यहां का यह हाल है तो हर जगह का यही हाल होगा। अगर पेड़ पुराने हो गये हैं तो जरूर कटें, मगर नये भी लगें, इस बात को भी देखना चाहिये। 99 परसेंट केसेज में दुबारा पेड़ नहीं लग रहे हैं। इसके लिये फारेस्ट ऐक्ट में संशोधन किया जाय। लेखपाल और गांव सभा के प्रधान की यह ड्यूटी होना चाहिये कि वह देखें कि जो पेड़ कटे हैं उनकी जगह नये लगाये गये है या नहीं। ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने का उसको अधिकार होना चाहिये।

मान्यवर, मैं गांव सभा का प्रधान भी हूं। मैंने अपने यहां 58 पट्टे किये। मेरे काम की डी0 एम0 ने सराहना की है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। गांव सभा के प्रधानों को पुलिस और आपके अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। यदि

कोई नाजायज कब्जा करता है या नाजायज तरीके से अपना मकान आदि बना लेता है और प्रधान उसकी शिकायत करता है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, पुलिस वाले कह देते हैं कि यह तो पार्टीबन्दी का मामला है। कभी कह देते हैं कि तहसीलदार से लिखवाकर लाओ। ऐक्ट में यह प्राविधान होना चाहिये कि पुलिस गांव सभा के प्रधानों की मदद करे। हां, अगर प्रधान से कोई गलती हो जाय तो अवश्य उसे बन्द कर देंगे। मगर उसके कामों में उसकी मदद नहीं करेंगे। गांव सभा का प्रधान होने के बाद मैंने 124 मुकदमें चलाये मगर अभी तक एक का भी फैसला नहीं हो पाया। आपके अधिकारी 3–3 साल तक मुकदमें डाले रहते हैं। गांव सभा डिफेक्ट पड़ी हुई है। उनकी आय के भी साधन नहीं हैं। मैंने सुझाव दिया था कि आय का कुछ प्रतिशत गांव सभाओं को भी मिलना चाहिये। जब तक यह नहीं होगा वे ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर सकेंगी। आज अगर हम शिकायत भी करें तो लेखपाल के पास जांच के लिये वह जाती है और लेखपाल महीनों तक रिपोर्ट नहीं देता। हम तो आप के स्वर में स्वर मिला कर भूमि का आवंटन करना चाहते हैं, गांव सभायें काम करना चाहती ह लेकिन आपकी मदद हमें नहीं मिल पाती। क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि यदि हम नाजायज कब्जों आदि की शिकायत करेंगे तो पुलिस हमारी सहायता करेगी? यह मान्यवर, तभी सम्भव होगा जब आप गांव सभाओं को व्यापक अधिकार देंगे। इसके साथ ही साथ उनकी आय के साधन जुटायें। बिना पैसे के अधिकार ही खाली देने से वे अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पायेंगी। आप कुछ अनुदान ब्लाक स्तर पर देना चाहते हैं, मगर वह गांव सभाओं को नहीं मिल पायेगा। आप अगर देना चाहते हैं तो सीधे गांव सभाओं को दें।

आज आपातकालीन स्थिति में बहुत से लोग जेलों में बन्द हैं। मेरा एक सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि आप उनको छोड़ दें। आपको अगर यह भय है कि उनके छोड़ने से कोई आफत आ जायेगी। तो आप थोड़े-थोड़े करके छोड़कर देख लें। अगर वे कोई गड़-बड़ी करते हैं तो आप पुन: जेल में बन्द कर सकते हैं, यह अधिकार तो आपको है ही।

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई)—

यही देखा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मेरा यह सुझाव है कि आप थोड़े-थोड़े छोड़ कर देख लें क्योंकि आपने पुलिस और डी0 एम0 के इशारों पर बहुत से ऐसे लोगों को बन्द कर रखा है जिनका राजनीति से कोई मतलब ही नहीं।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुन्दर और कल्याणकारी भाषण दिया है। हमारे विरोधी पक्ष के नेता माननीय चौधरी साहब ने बहुत ही बेबुनियादी ढंग से आलोचना की है। इमरजेन्सी लागू करने में सरकार को कोई खुशी नहीं है। श्रद्धेय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी यही कहा है कि हमें इमरजेन्सी से कोई खुशी नहीं है लेकिन मजबूरी में लगायी गयी है। जिस प्रकार बंगला देश से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ और मुसीबतें आयीं, उससे भी बड़ी हमारे यहां एक ऐसी बगावत पैदा हो गयी थी कि उस पर काबू पाने के लिये इमरजेन्सी को लगाना आवश्यक हो गया। जिस प्रकार जब सेनायें युद्ध में आगे बढ़ती हैं तो उससे फसल को भी बीच में नुकसान होता है। गोलाबारी में ग्रामों के नागरिक भी मर जाते हैं, उसी प्रकार इस कार्य में भी कुछ नुकसान हो सकता है हुआ हो, मगर वह नगण्य है।

संजय गांधी का नाम लिया गया कि वह इतने बड़े नेता कहां से पैदा हो गए। चौधरी साहब 75 वर्ष के हैं, मैं बहुत छोटा हूं, वे कहेंगे मैं चुनकर कैसे आ गया। कोई पत्थर को पूजता है और उसे भगवान मानता है। किसी की आस्था उसमें नहीं है तो वह उसे न माने। हमारे

[श्री गोरे लाल शाक्य]

चीफ मिनिस्टर साहब 50 वर्ष के हैं और यहां बहुत से माननीय सदस्य 70-75 साल के बैठे हुए हैं। उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि व पूरे देश का नेतृत्व कर सकें। हमारे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कितनी कम उम्र के थे, फिर भी वे कितनी अच्छी-अच्छी कवितायें करके चले गये। हमारे यहां 20, 25 और 30 वर्ष के ऐसे बहुत से सामाजिक नेता और कार्यकर्त्ता हो गये हैं जब कि 80-90 वर्ष वाले वैसे नहीं हो सके। इसलिए संजय गांधी की आलोचना जो की गयी है वह उचित नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

ये शाक्य मुनि बौद्ध कब से हो गए? (हंसी)

श्री गोरे लाल शाक्य—

हम समझते हैं कि संजय गांधी देश का नेतृत्व कर सकते हैं और इसलिए हम उनको अपना नेता मानते हैं। अगर आपको आस्था उनमें नहीं है तो आप न मानें। लेकिन संजय गांधी की आलोचना बिलकुल बेबुनियाद है। इसके साथ ही 20 सूत्री कार्यक्रम—जिसमें मजदूर, किसान, गरीबों और हरिजनों का कल्याण भरा हुआ है, उससे धनी आदमियों या बहुत खुशहाल आदमियों का हित नहीं है. बल्कि उनका नुकसान ही है। मान्यवर, कहा गया है कि "सकल पदारथ एहि जगमाहीं, कर्महीन नर पावत नाहीं।" इस संसार में क्या मौजूद नहीं है? अहिंसा मौजूद है, सत्य भी मौजूद है, रेडियो टेलिविजन के सभी फार्मूले मौजूद हैं। समुद्र में मोती भी विद्यमान है। फिर समुद्र से कोई मोती ढूढ़ लावे, नयी खोज कर तो चौधरी साहब मोती निकालने वालों व नयी खोज करने वालों को महत्व न दें, तो अब इसके लिए क्या कहा जाय? इसी तरह से कहा गया कि सारे कानून मौजूद थे और उनके द्वारा काम हो सकता था। लेकिन ऐसे कानून में कहीं न कहीं खामी जरूर थी जिससे कानून कारगर नहीं हो सकता था और इसी लिए इमरजेन्सी के द्वारा ही इस बगावत को दबाया जा सकता था। और अगर इमरजेन्सी न लागू हो गयी होती तो कयास होता और देश का शासन हाथ से निकल रहा था। मैं मैं पूछता हूं कि जिस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी के पेटिशन पर निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट से हुआ, तो जिस तरह से शाहजहां और औरंगजेब के जमाने में कितने रजवाड़े और जागीरदार थे, वे स्वतन्त्र हो रहे थे, ठीक उसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जितने हमारे नेता लोग थे, जितने खराब तत्व थे हिन्दुस्तान के, वे सब अपने को बिल्कुल स्वतन्त्र महसूस करने लगे। उस समय जिस तरह से मुगल सल्तनत ढहने जा रही थी उसी तरह हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हमारे विरोधी दल के नेता और अवांछनीय तत्व इस हिन्दुस्तान में यह कोशिश कर रहे थे कि हिन्दुस्तान की हुकूमत केवल प्रजातन्त्र के जरिए नहीं बल्कि तानाशाही के जरिए नष्ट कर दी जाय। जो भी हमारी सरकार मौजूद हो, वह इस तरह की आज्ञा किसी को नहीं दे सकती थी और इन तमाम कठिनाइयों के होते हुए भी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने दिमाग का बैलेंस कायम रखा क्योंकि उनके ऊपर सारे हिन्तुस्तान की जिम्मेदारी थी और इसलिए उन्होंने इमरजेन्सी को लागू किया कि अवांछनीय तत्वों की बगावत को दबा दिया लेकिन यह जो 20-सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है; यह बहुत अच्छा है। हमारा अपना यह निजी मत है कि इस इमरजेन्सी का असर हमारे अधिकारी वर्ग पर बहुत कम पड़ा है और इसीलिए हमको गफलत में नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक योजना बने, जिसमें डिफेंस और मुद्रा के मामले को छोड़ कर बाकी के लिए एक स्वच्छ प्रशासन की योजना चलायी जाय। हमारे अधिकारियों पर इमरजेन्सी का कोई असर नहीं पड़ा है। वह उसी तरह रिश्वत ले रहे हैं। थोड़ी कमी आयी है। इसीलिए एक ऐसी योजना बनाई जानी चाहिये जिसमें स्वच्छ शासन सर्वोपरि लक्ष्य रखा जाय। इसके साथ ही इमरजेन्सी ने यह नहीं कह दिया है कि लोगों पर मुकदमा चला कर जेल में बन्द कर दिया जाय लेकिन कुछ अवांछनीय लोग रहे हैं उन्हें तो अवश्य डालना चाहिए।

बनारस में डा0 धर्मरक्षित को डी0 आई0 आर0 में बन्द करने की कोशिश भी की गई। कानपुर में विशुद्धानन्द को भी डी0 आई0 आर0 में बन्द करने की कोशिश की गई। इस लिए कहीं-कहीं इमरजेन्सी का दुरुपयोग भी हुआ है इसलिए सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए। एक कठिनाई और है कि ऊपर का तन्त्र हमारी कठिनाई को सुनता है लेकिन प्रदेश में जिले स्तर पर जितने अधिकारी हैं वह नहीं सुनते हैं। यहां तक कि हमारे पत्रों का जवाब तक नहीं देते हैं। इस तरह देश के निर्माण में हम भाग लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके साथ ही जब हम कई पुलिस के भ्रष्टाचार के मामलों को गृह सचिव के सामने लाए तो उन्होंने कह दिया कि नीचे वालों पर हम दखलन्दाजी देंगे तो वह ठीक काम नहीं करेंगे इसलिए यहां से कोई आर्डर नहीं हो सकते हैं। यदि यह मान्यता गृह सचिव की मान ली जाय तो सचिवों के पदों को समाप्त कर देना चाहिए। यदि शिकायत नीचे वाले नहीं सुनते हैं तो हम मिनिस्टर या सचिव से शिकायत करते हैं लेकिन वह नीचे वालों को डिटो करते हैं तो ऊपर के पद सभी समाप्त हो जाने चाहिए वरना शिकायतों पर तुरन्त आर्डर होना चाहिए तकलीफों को दूर करने के लिए।

मान्यवर, अब 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें किस को अच्छा कहा जाय और किसको बुरा? इसमें एक-एक प्वाइंट अपने क्षेत्र म क्रान्तिकारी सफलता दे रहा है। यदि पूर्णत: सफल बनाया गया तो इससे किसान मजदूरों की काया पलट होगी और इससे वे आगे बढ़ेंगे।

*श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जो महामहिम राज्यपाल का भाषण हुआ है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही सरकार ने जितने माकूल काम किए हैं उसके विषय में मैं सरकार को और इन्दिरा गांधी को बधाई देना चाहता हूं। भूमि आवंटन के विषय में गरीब जनता जितनी है, वह खुशी है। साथ ही इसमें कुछ कमियां हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो ग्राम समाज की भूमि यहां 8 प्रतिशत से कम है वह न दी जाय। ऐसे आदेश हुए हैं तो उससे 8 प्रतिशत के नाम पर फिर बड़े-बड़े लोग काबिज हो गए हैं और गरीबों को भूमि नहीं दी जाती है। लेकिन आपके फिर आदेश हुए हैं कि पूरी भूमि भूमिहीनों को दी जाएगी। तो इस पर उन्होंने अपील किया कि 8 फीसदी से अब ज्यादा भूमि नहीं है। इसलिए अब बिल्कुल भूमि देने का काम बन्द हो गया है। इसके बाद फिर आर्डर हुए कि 8 फीसदी से कम भूमि जहां है वहां पट्टा नहीं दिया जायगा इसलिए फिर बड़े-बड़े लोगों को खुशी हो गयी है। सारी जमीन पर बड़े लोगों का कब्जा है। लेखपाल और मेम्बर लोग मिल गए हैं। गरीबों का भला नहीं हो रहा है। गरीबों का भला यह सरकार चाहती है लेकिन कुछ लोग इस काम को होने देना नहीं चाहते। इस सरकार को जिताने में गरीब लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमारे फतेहपुर से छः की छः सीट कांग्रेस को मिली हैं। कानपुर और इलाहाबाद के बीच में हमारा जिला है लेकिन हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। कम से कम दस हजार एकड़ का प्लाट वहां पड़ा हुआ है लेकिन बड़े लोग उसको घेरे हुए हैं। वहां कारखाना लग सकता है। साथ ही वहां आने-जाने के रास्ते नहीं हैं। यशपाल सिंह जी गए थे। वहां सड़कें नहीं हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम में भूमि आवंटन का बड़ा काम है, इसको पूरा करना चाहिए। अगर इस काम में सफलता मिलती है तो कांग्रेस को कोई दूसरी पार्टी हरा नहीं सकती। दूसरी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन मेरी सरकार से आपके द्वारा अपील है कि इस काम को पूरा करना चाहिए। गोचर और तालाब के नाम से बड़े लोगों ने जमीनें छुड़वा ली हैं। लेकिन वहां वह लोग खेती कर रहे हैं। इसको देखना चाहिए। साथ ही मेरे क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं। मेरी यह अपील है कि हमारे यहां आने-जाने के रास्ते दिए जायं। यही मुझे कहना है। मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मुझे मौका दे दीजिए। मुझे इसी गाड़ी से जाना है।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो समझा कि आप कोई वाक्य कहकर बैठ जायेंगे। मैं नहीं जानता था कि आपको बोलना है। आपको भी मौका मिलेगा।

*श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के हिस्से पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए यह अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत दुहाई हमारे दाहिने तरफ के बैठने वालों ने दी है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रजातन्त्र पर दो बार भरपूर हमला हो चुका था। एक सन् 1970 में और दूसरा सन् 1971 में। 1971 में वे ताकतें जो पूंजीपतियों की चौकीदारों की मु ,द्दम थीं उन्होंने यह चाहा कि इस देश से डेमोक्रेसी को खतम करें और उसका जो फल हुआ वह सभी जानते हैं। इसके बाद उन्होंनें दूसरा रूप अपनाया। कुछ ऐसे विदेशी जो हमसे नाराज रहते थे और यह चाहते थे कि यहां से डेमोक्रेसी का नाम मिट जाय जितने भी उनके हथकन्डे थे उन्होंने किये और वे नाकामयाब हुए। वह, आजादी जो हमने अपने नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और चन्द्रशेखर आजाद की कीमत पर मिली थी हम उसको इतनी आसानी के साथ कैसे खो सकते थे। जय प्रकाश के झंडे को लेकर या आवाज लगाई जाय कि हम ट्रेन तोड़ देंगे, आलू को लूट लिया और यहां पर सारी चीजों का अस्त-व्यस्त कर देने के लिए जुट गई। क्या उनको चलने दिया जा सकता था? हमारे प्रजान्तत्र को एक खतरा पैदा हो गया था। मैं तो साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि इमरजेन्सी को लागू करके हमारी डेमोक्रेसी को बचा लिया गया है। हम अपनी इस आजादी को कभी भी छिनने नहीं देंगे। बंगला देश के अन्दर उन्होंने क्या किया?

कल हमारे नियाज साहब फरमा रहे थे कि इस इमरजेन्सी के अन्दर कत्ल हो रहे हैं। क्या यह सही है? क्या पब्लिक आज भूखों मर रही है? कालाकांकर के अन्दर क्या हुआ? एक ट्रक में बांस भर कर जा रहे थे कि शादी में जो बांस लगाये गये थे उनसे वह टकरा गई और वे टूट गए। उसने एक चपत मार दी। वहीं पर दो आदमियों का बन्दूक से कत्ल कर दिया गया। यह क्या है? जो मानिकपुर के कत्ल की बात है वे सभी जानते हैं कि इश्क मोहब्बत की बात थी। इसी तरह से बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो इतना अमन है वह किस कारण है? वही ट्रेन, वही ड्राइवर और वही सब लोग हैं लेकिन आज गाड़ियां समय से चल रही हैं। वही स्कूल कालेज हैं लेकिन आज लड़के बड़े प्रेम से पढ़ रहे हैं और वहां पर कोई भी गुन्डागर्दी नहीं हो रही है। आज बाजार से सस्ता माल खरीद कर आदमी राहत की सांस लेता है। ये सभी परिस्थितियां जो इस देश के अन्दर पैदा हुई हैं वे क्या इसलिए हैं कि हम अपने देश की इस डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं? हमको भरोसा था कि हमारे विरोधी दल इस तरह के सुझाव देंगे जो हमारी सरकार की नीति में कोई ठोस सुझाव देंगे लेकिन जो इनका काम है उससे हमको ठेस पहुंच रही है। आपका यह सुझाव होना चाहिये कि खाद के दाम कम किये जायं, पानी के रेट्स कम किये जायं और इसी तरह की बातें होनी चाहिये लेकिन बजाय इसके आपने इमरजेन्सी का मरसिया पढ़ दिया, मीसा का मरसिया पढ़ दिया और हाजी मस्तान का रोना रोया। हमको तो यह उम्मीद थी कि आप कोई रचनात्मक सुझाव देंगे। नतीजा निकालेंगे कि जिससे हमारे देश का भला होगा। जहां तक रूलिंग पार्टी का सवाल है मैंने मुख्य मन्त्री जी के भाषण को पढ़ा। इसमें ऐसा जान पड़ा कि आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के नक्शे से निकाल दिया गया। उर्दू जबान के मामले में यह कहा गया कि हम उनको 8 लाख रुपया दे रहे हैं ताकि यह तरक्की करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रदेश में प्रेमचन्द व दीगर उर्दू के बड़े-बड़े शायर, अदीब हुए हैं किन्तु उर्दू को वह जगह नहीं दी जा रही है जो उसको मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उर्दू जबान को 8वें दर्जे तक लाजमी करार दे दिया गया है।आन्ध्र प्रदेश में उसको इलाकी जबान के बराबर दर्जा दिया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में उसे वह स्थान नहीं दिया जा रहा है। आप चाहे केरल जायं, बंगाल जायं, मद्रास जायं अथवा बम्बई जायं एक नारा बहुत कामन है "इनक्लिाब जिन्दाबाद" उर्दू को लिहाजा वाजिब मुकाम मिलना चाहिए क्योंकि इसने सारे देश की हर वक्त तथा विशेषकर जंगे आजादी के समय खिदमत अता की है। मैं यह गुजारिश करूंगा कि जो इम्तिहान सरकारी मुलाजिमात में होते हैं उनमें उर्दू का भी एक पर्चा लाजमी करार दे दिया जाय तो इससे इस जबान की तरक्की होगी और लोगों को इसमें रुचि होगी। जहां तक अक्लियत का सवाल है सवा करोड़ उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में है। दो तरह के वे लोग हैं। एक तो वे हैं जो किसानी करते हैं और दूसरे अन्य धन्धे करते हैं। उनका कोटा मुकर्रर किया जाय चाहे वे थर्ड क्लास पढ़े हों अथवा फोर्थ क्लास। उनको मुलाजिमात में रखा जाय और उनमें से उनका कोटा पूरा किया जाय और इसके लिए एक कमेटी मुकर्रर की जाय जो देखे कि कहां तक इस काम को अन्जाम दिया गया है या नहीं। जहां तक बुनकरों का सवाल है 40-45 लाख उनकी संख्या है जो बड़ी गरीबी की हालत में है। बाजार में उनका माल नहीं बिकता। सूत के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उनको सस्ते रेट पर सूत दिया जाय और बुनकर जो माल तैयार करते हैं उसकी खरीद की पूरी गारन्टी दी जाय तभी उनको राहत मिलेगी वर्ना बड़े-बड़े मिल वाले उनको पनपने नहीं देंगे। कुछ ऐसे कपड़े तैयार किये जायं जो हैन्डलूम से ही तैयार हों, मिल उनको न बनाने पावे इस तरह की गारन्टी से यह उद्योग धन्धा पनप सकेगा वर्ना यह फांसी के तख्ते पर चला जायगा।

हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। अपने क्षेत्र में जाता हूं तो बेरोजगारों की पल्टन पीछे लग जाती है और कहते हैं कि मुलाजिमत दिला दीजिए। इसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से बड़े कल-कारखाने तथा फैक्टरीज खोलनी होंगी ताकि जमीन का बोझ उठा कर कल कारखाने पर डाला जा सके और समाजवादी व्यवस्था ला कर ही हम यह मसला हल कर सकेंगे। समाजवादी व्यवस्था लाने में हम सरकार से कदम से कदम मिला कर उनका साथ देंगे और स्वागत करेंगे और वही एक रास्ता होगा जिसके द्वारा हम बेरोजगारी को दूर कर सकेंगे। इसके लिए हमारे देश और प्रदेश की सरकार कदम उठाये।

इस बीच में और भी तमाशा देखा गया। हर विभाग से---चाहे वह सिंचाई विभाग हो, पी0 डब्ल्यू0 डी0 हो, एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 हो या फूड डिपार्टमेंट हो, उनमें छटनी हो गई और लगभग 46 हजार लोग बेकार कर दिये गये हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग छंटनी किये गये हैं उनको वापस ले लिया जाय।

जहां तक किसानों का सवाल है हमारा प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है। हम जो चीजें पैदा करते हैं उनकी कीमत कम है और मिलों से जो चीज बनती है उनका दाम ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों में संतुलन हो जिससे काश्तकार खुशहाल हो। सीमेन्ट, लोहा, कपड़ा, चीनी आदि वाजिब रेट पर सबको मुहैया हो। यदि किसान को ये चीजें संतुलित दामों पर मिलेंगी तो वह मजबूती के साथ कदम से कदम मिलाकर देश की प्रगति की लड़ाई में अपना हिस्सा दे सकता है। लेकिन कीमतें आज बहुत बढ़ रही हैं, मामूली किसान अपनी रोजी-रोटी नहीं चला पाता। गांवों में जाकर मैंने देखा है कि सरकार ने जो भाव तय किया है वह 65 रुपया क्विन्टल पर किया है। दाम बढ़ ही रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा कि खाद, शुगर, कपड़ा वगैरह जो है वह सस्ते रेट पर दे। आज हालत को पेशे नजर रखते हुए हमारा फर्ज है कि हम एक जुट होकर डिप्लिन के साथ ऐसी मंजिल तय करें जिस प्रकार सोवियत यूनियन ने समाज और मानव जाति के लिए अच्छे से अच्छे कारनामें किये हैं। ये मुल्क ऐसे हैं जो साम्राज्यवादियों का मुकाबला करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश को लूट लेना चाहते हैं, देश को बरबाद करना चाहते हैं। उनके स्वप्नों को हम खाक में मिलाकर शरमिन्दे-काबिल बना दें ताकि डेमोक्रेसी को खतरा पैदा न हो सके।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, राज्यपाल जी का भाषण मैंने देखा और उसको देखने के बाद ऐसा लगा मानों एक पत्रिका दिल्ली से छापी गई हो.....

एक सदस्य—

भाषण देखा नहीं जाता, पढ़ा जाता है या सुना जाता है।

श्री अध्यक्ष—

देखा भी जाता है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं बता रहा हूं, कैसे देखा जाता है। ऐसा मालूम हुआ कि यह कोई इन्फारमेशन बुलेटिन दिल्ली से हुई हो और महामहिम राज्यपाल के हाथ में रख दी गई हो कि चुपचाप जाकर वहां आप पढ़ डालिए। क्योंकि सच बात है उसको मानने में कम से कम मैं इन्कार नहीं कर सकता। इमरजेन्सी के बाद चीजों के भाव गिरे हैं। प्रदेश में गुन्डागर्दी कम हुई है। प्रदेश में हड़तालें भी कम हुई हैं लेकिन जब उधर के माननीय सदस्य खड़े होते हैं और बोलते हैं कि भाव गिर गए। कहते फिरते हैं देखा आपने इमरजेन्सी ने भाव कैसे गिरा दिए, देखा आपने गुन्डागर्दी कैसे गिरा दी, देखा आपने प्रदेश में बढ़ते हुए दामों को कैसे गिरा दिया इमरजेन्सी में। तो लानत है, आपको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। इमरजेन्सी के बदौलत भाव गिरे, इमरजेन्सी के बदौलत गुन्डागर्दी कम हुई, इमरजेन्सी के बदौलत अनुशासनहीनता कम हुई। आप यहां काहे के लिए सुशोभित हैं। अगर आपने अपने प्रभाव से इस प्रदेश की जनता को राहत दी होती तब तो बात समझ में आती। लेकिन आज आप डींग मार रहे ह और वह भी कौन मार रहा है जो नए-नए मुल्ला हुए हैं श्री काशी नाथ मिश्र, श्री गोरे लाल शाक्य, बाबू प्रभुनारायण सिंह, श्री वीरेन्द्र वर्मा, बाबू धर्म सिंह जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है जिनके ऊपर चार्ज था कि 25 हजार रुपए खा लिए- वह लोग आज खड़े हो कर दुंदभी बजा रहे हैं श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्य क्रम की। कहां गया वह आपका कहना कि दल बदलुओं को स्थान न दिया जाय ? आपकी ओर से एक प्रस्ताव आया था कि दलबदलुओं को लेना कलंक है। लेकिन आज दलबदलू राजासाहब प्रतापगढ़ उधर बैठे हुए हैं मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन आज लोगों ने अपना सम्मान बेच दिया है जिन्होंने राजनीति में कलंक लगाया है वे आज सबसे बड़े लेफ्टीनेंट बने हैं, जितने भी आज मिनिस्टर बने बैठे हैं शायद सिर्फ डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी को छोड़कर कर जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाई है वहां जाने के लिए। (व्यवधान) मैं अपने पैर नहीं काटना चाहता। मैं सम्मान बेच कर नहीं जाना चाहता हूं। आज अपने को बेच कर उस ओर क्यों जाऊं, नहीं जाऊंगा। आज ऐसे लोग वहां जाकर बादशाह और वजीर बने हैं। मान्यवर, बादशाह और वजीर जो हैं वह कम लड़ते हैं लेकिन जो पैदल होता है वह ज्यादा लड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे जो कम्युनिस्ट भाई उनके दोनों हाथों में तलबार है। बायें में भी और दायें हाथ में भी।

श्री अध्यक्ष—

एक हाथ आपकी तरफ भी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

ये भी इधर आना चाहते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह कभी इधर देखते हैं और कभी उधर देखते हैं और मजा लेते हैं बीच में। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मातृभूमि की सेवा करने वाले उनके पोषक रहे हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में फांसी के फन्दों को चूमा। चन्द्र शेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और गांधी

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के नाम पर आज खाते हैं। हम किसी भी माने में उनकी देश भक्ती में सन्देह नहीं करते हैं। लेकिन जो यहां बैठे हुए हैं वह भी किसी माने में कम नहीं हैं और आपसे आगे ही हो सकते हैं। लेकिन हमारे यह भाई चन्द्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह का नाम लेते हैं जिन्होंने सन् 1942 के आन्दोलन में क्या काम किया था वह सबको मालूम ही है। (व्यवधान) सूप बोले स बोले लेकिन छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। आपने सुभाष बोस, चन्द्र शेखर और सरदार भगत सिंह को आजादी की लड़ाई में क्या कहा था ? जब हम उनकी मां बहनों को देखते हैं तो मन पसीज उठता है और इसी तरह से इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या होने पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए थे। आज जब उन्होंने देखा कि उनको चुनाव मैदान में हार हो रही है तो उन्होंने तीसरी नीति का सहारा लिया और सरकार में घुस गए और प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्रियों के बीच में बैठकर चुस्की लेना शुरू कर दी और चाय पीना उनके साथ शुरू कर दिया और बाहर जनता में कहना शुरू किया कि हम आपके सेवक हैं, बाहर कहते हैं कि हम ही जनता के सही नुमाइन्दे हैं। यह वह लोग हैं जिन्होंने हमेशा गद्दारी की है। चीन का युद्ध हो रहा था तब भी इन लोगों ने उसको समर्थन दिया था और कहा था कि चीन देश तो मजदूरों का राज्य हिन्दुस्तान में लायेगा और यह कह कर यहां चीन का स्वागत करना चाहते थे। फिर भी आज यह यहां आकर इनकी बगल में बैठ गए हैं। हम अपनी पार्टी में भी इस विषय पर लड़ रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति के मुद्दे में हम सबको एक होना चाहिए। कांग्रेसी भाइयों जो इधर सांप बैठा है वह आपको डस लेगा जनता को इन्हें पहचानना चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, जिसको यह डसने न गए हों, अपने रास्ते पर। जिसके भी यह दोस्त बने, उसको हजम कर गए। आज सभी देशभक्तों की एकता को एक सूत्र में बंधना होगा और उन सबको मिलकर विचार करना होगा कि क्या इस तरह से देश को नष्ट होने दिया जाएगा। आज जो बीस-सूत्री कार्यक्रम लाया गया है, वह कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो बिल्कुल कोई एक नई चीज हो। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह हमारा कार्यक्रम है, कोई मानता हो तो माने, किन्तु वह नहीं मानती हैं। यह कार्यक्रम पहले भी जवाहरलाल नेहरू ने 14 सूत्री कार्यक्रम के नाम से लागू किया था, जब जय प्रकाश जी जेल में थे। वही कार्यक्रम अब 20 सूत्री कार्यक्रम हो गया है। उस कार्यक्रम को आपने कभी लागू नही किया, आप 25 वर्षों तक मदान्ध रहे और जनता और गरीबों की सेवा करने का कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ नारों से जनता को धोखे में बनाए रखने का प्रयास करते रहे। लेकिन जब कभी आपकी कुर्सी हिली, आपने चतुर राजनैतिक नेता की तरह उनके आगे एक आकर्षक दांव फेंका जिसके फन्दे में जनता फंस गई।

आपने वही किया जैसे एक चतुर मां किया करती है, जब बच्चा रोता है, मां उसे चुसनी पकड़ा देती है और जब चुसनी उसके मुंह में चली जाती है तो वह रोना बन्द कर देता है। अपने युग के सबसे बड़े राजनैतिक विचारक मैकावेली ने कहा था कि राजनैतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए छल-कपट, दांव-पेंच जो कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए। यह विचार आपके आदर्शों में भी सर्वोच्च हैं। जितने तानाशाह हैं, सब उसके विचार पर जा रहे हैं। सन् 1952 में जब कांग्रेस की धज्जी उड़ने लगी, तो एक नया नारा दिया गया कि हम पंचवर्षीय योजना ला रहे हैं। फिर हरित-क्रान्ति का नारा दिया गया, फिर भूमि और सम्पत्ति के बंटवारे का नारा दिया गया और गरीबी हटाओं का भी खूब नारा दिया गया, जिससे किसी तरह से प्रत्येक स्थिति में गद्दी कायम रहे (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी हमें 10–15 मिनट और दे दीजिए। सन् 1971 में जब चुनाव नजदीक आए और इन्हें अपनी हार दिखी तो कहना शुरू किया कि कुछ लोग-हमारें जो साथी हैं हमें समाजवाद नहीं लाने देना चाहते हैं, मोरारजी देसाई, चन्द्र भानु गुप्त, निजिलिंगप्पा, कामराज आदि नेता हमारें मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं। यह कह कहकर जनता के दिमाग में भर दिया गया कि यह ठीक ही कह रहे हैं। दिल्ली की प्रधान मन्त्री बहुत चतुर महिला बनी बैठी हैं, आपको उनसे होशियार रहना चाहिए, और इसी असत्य प्रचार के बल पर, नौकरशाही के बल पर, सेना और पुलिस, हेलीकाप्टर की मदद से उन्होंने एलेक्शन जीत लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब पेटीशन हार गयीं और पूरे देश में यह बवंडर खड़ा हो गया कि प्रधान मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिए। मान्यवर, यहां के

[श्री त्रिवेगी सहाय]

मन्त्रियों ने भी इस्तीफा ऐसे मौके पर दिया है। उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए था श्रीमन्, मान्यवर, इमरजेन्सी लागू हो गयी, प्रचार होने लगा कि जो विरोधी पक्ष के लोग तोड़-फोड़ करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं बीमार था, मैं खाना खाने के लिए गया था मुझे पकड़ लिया गया। मैं मान्यवर, कौन सा तोड़-फोड़ कर रहा था। राजा साहब आज हमें फंसाए, लेकिन फंसाने का कोई तरीका होगा? आपने फंसा दिया डी0 आई, आर0 के मुकदमें में। बन्द करों, लेकिन तरीके से बन्द करो। इतना ही नहीं, श्रीमन् एक डाक्टर साहब मुजीब उल्ला साहब पकड़ कर आये थे, मैंने पूछा कि आप कैसे पकड़े गए। तो उन्होंने कहा कि एफ0 आई0 आर, में लिखा है, मैंने पढ़ा था कि मैं अपने दवाखाने में बैठा हुआ था और अल्लाह हो अकबर का नारा लगा रहा था। तो क्या वह अल्लाह हो अकबर का नारा न लगाते तो क्या हम लोग लगाते। तो मान्यवर, उनको अल्लाह हो अकबर का नारा लगाने में पकड़ लिया गया। मान्यवर, आपकी आंखों में आपके कानों में परदा पड़ गया और कुर्सी बदलने से आंखों में पर्दा पड़ गया। मान्यवर 20-सूत्री कार्यक्रम लागू कर दिया गया। आप लागू करिए, बड़ी शौक से लागू करिए।

मान्यवर, एक चीज बताऊं। एक कहानी छोटी सी सुना दूं। एक सेठ जी थे। तो वह रोज दूध पिया करते थे। उनके दूध पीने की जब तैयारी होती वहां पर एक बिल्ली आ जाय और वह सेठ जी का दूध पी जाय। एक दिन सेठ जी ने कहा कि सेठानी यह कौन हरामजादा है जो दूध पी जाता है? तो सेठानी ने कहा कि बिल्ली आती है वह दूध पी जाती है। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे एक डडा पकड़ा दो और जैसे बिल्ली आए तो बिल्ली को मार दूं। सेठ जी के सामने दूध आया और बिल्ली भी अपने समय पर आ गयी, दूध में जैसे बिल्ली ने मुंह लगाया सेठ जी ने उसे डंडा मार दिया, लेकिन बिल्ली भी होशियार थी उसने दूध का बर्तन न छोड़ा, दूध का बर्तन उसके गले में अटक गया, फिर बिल्ली कुछ दूर तक गयी तो एक पत्थर से टकरा गयी जिससे उसके गले में लटका बर्तन टूट गया लेकिन उसके गले में बर्तन का घघा अटका रहा। तब बिल्ली कुछ चूहों के पास पहुंची, वहां पर उसने चूहों से कहा कि अब तुम लोग हमसे मत डरो, मैं हज करके आ रही हूं, देख नहीं रहे हो मेरे गले में घंटी लटक रही है। बिल्ली ने चूहों से कहा तुम लोग आंख मूंद लो। जब चूहों ने आंख मूंद लिया, तब तक बिल्ली ने एक चूहे को धमक दिया। मान्यवर, यह हाल है आपका। अब इस तरह से कहा जाता है कि मैं कांग्रेस की भगतिन हो गयी हूं। अब की बार वोट दे दो। मैं मान्यवर, पूछना चाहता हूं कि आपके बड़े-बड़े आदमियों को पकड़ा गया। गायत्री देवी ग्वालियर की हैं, मस्तान हैं इन सब पर लगा दिया। मैं कहता हूं कि आपकी पार्टी में बहुत से मस्तान हैं क्या आप मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट को भूल गए। आप जानते हैं कि मान्यवर वह रिपोर्ट इसी सदन में यहां पर आ चुकी है। आप सरकार जो गेन्दा सिंह, कमला पति त्रिपाठी हैं को जानते हैं। आप किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। किसी को पकड़ पाए हैं? लेकिन ढिंढोरा जरूर पीटते हैं औ कहते हैं कि हम करप्शन को मिटा रहे हैं। यह फांसी का फन्दा मान्यवर, हमारे लिए है, इधर के लोगों के लिए है, विरोधी पक्ष वालों के लिए है। यह फन्दा उधर के लोगों के लिए नहीं है। आपके यहां तो अच्छे ही लोग हैं? कोई बुरा है ही नहीं। बुरे तो इधर के हैं आपके यहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं। सरदार भगत सिंह के परिवार के लोग है।

वह कहते हैं कि हम लोग तोड़-फोड़ कर रहे हैं। आप बताइए कि हमने कौन सा तोड़-फोड़ किया। आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगा दिया। मैं मान्यवर, एक उसका सदस्य रहा हूं। हमारे मामा कांग्रेस के एक कर्मठ नेता रहे हैं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य हो गया और उसका कार्यकर्त्ता हूं। यह बहुत ही वफादार हैं, अपने मालिक के बड़े ही वफादार हैं। अगर वह कहते हैं कि ऐसा करो तो ये वैसा ही करते अगर कहेंगे कि बैठ जाओ तो बैठ जायेंगे और कहेंगे कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जायेंगे। बेचारे अपने मन से कुछ कर ही नहीं पाते हैं।

जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं मान्यवर, वह पहले प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के खिलाफ थे इसके विरुद्ध उनका पार्लियामेंट में प्रस्ताव आया। मान्यवर, लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं। ये लोग जो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के खिलाफ थे वही इसकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल चुप हैं, मान्यवर, चुप्पी साध लिया है। आप आइए मैदान में और कहिए कि काला कानून बन्द करो, इसको वापस लो तो मैं मानूं। प्रिवेन्टिव डिटेन्शन को कम्युनिस्ट पार्टी ने काला कानून बनाया था आज कौन सी बात हो गयी कि अब कहना बन्द कर दिया? आप ही जाने कि इसका क्या कारण है? जनता सब जानती है। आप बच नहीं सकते हैं अरे दोस्तो, मैं आपको आगाह करता हूं कि होशियर हो जाओ। अगर इस तरह से चलोगे तो दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिए जाओगे औ निकाल दिए जाओगे।

मान्यवर, 20-सूत्री कार्यक्रम जो लागू किया गया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। यह कार्यक्रम अपनी जगह पर अच्छा है। यह समाज को आगे ले जाने वाला है, बढ़ाने वाला है। जो कार्यक्रम दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर आप इस तरह के कार्यक्रम देंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। आपने दहेज प्रथा को हटाने का कार्यक्रम दिया है इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मान्यवर, प्रैक्टिकली आप देखें कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इलाहाबाद में कोई जज हैं जिनके यहां 500 आदमियों को दावत दी गयी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

तो मान्यवर, आप इन चीजों को देखिए। कानून बना दिया, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि अनुशासन लाने से यह हो रहा है। अनुशासन लाने की बात पर तो हम भी आपसे विधान सभा में ही नहीं, देश में भी कन्धे से कन्धा मिलाकर आपके साथ हैं। जीवन में अनुशासन होना चाहिए, यही सच्चा अनुशासन है। विधान सभा में किसने रामायण को फाड़ा था और अब कहते हैं कि अनुशासन हो गया है। चौधरी रामपाल सिंह यादव माननीय गोरे लाल शाक्य और माननीय काशी नाथ मिश्र जी का अबकी बार भी नम्बर नहीं आया है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। विरोधी दल के नेताओं और माननीय सदस्यों का यह कहना कि प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, निराधार है। मेरे पूर्व वक्ता ने अभी-अभी कहा कि 20-सूत्री कार्यक्रम अपनी सरकार को बचाने के लिए लाया गया है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मान्यवर, आप जानते हैं कि हजारों वर्षों से गरीब हरिजनों और मजदूरों और भूमिहीनों के पास न रहने के लिए भूमि थी और न जोतने के लिए खेत। अब उनके आवास के लिए जमीन और जोतने के लिए खेत दिए जा रहे हैं। यही नहीं, उन्हें रुपया भी दिया जा रहा है ताकि इन पर खेती कर सकें। आपातकालीन घोषणा ने बिगड़ी हुई हालतों को कितना सुधारा है। इसके पूर्व देश और प्रदेश में न बिजली ही मिलती थी और न अन्य आवश्यकता की वस्तुयें ही बाजार में उपलब्ध थीं। लोग पैसा लिए फिरते थे लेकिन चीजें बाजार से गायब थीं। आज आप देखें कि निर्धारित कीमत पर ये ही चीजें मुहैया हो रही हैं। यही कारण है कि आज इस प्रदेश की जनता इस सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है। विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रही है लेकिन मेरा कहना यह है कि यह 10 करोड़ जनता के लिए कल्याणकारी भावना से कर रही है। सरकार द्वारा सिंचाई की व्यवस्था किए जाने के फलस्वरूप आज प्रदेश में बहुत अच्छी फसल पैदा हो रही है और देश और प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। गुन्डे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मपाल सिंह]

बढ़तें, कितने असामाजिक तत्व बढ़ते यदि इस प्रकार का सुधार देश में न होता। विरोधी दल के लोग यह भी कहते हैं कि अब ही क्यों इससे पहले से क्यों नहीं लागू किया गया। मेरा कहना यह है कि जब हालत बिगड़ने लगती है तभी कन्ट्रोल करने की आवश्यकता होती है। सरकार ने पूरी तरह से कन्ट्रोल किया और कार्यवाही की। इस समय पूरे देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार ने हमारी आदरणीय प्रधान मन्त्री की प्रशंसा की है कि वे देश को बहुत तेजी से आगे ले जा रही हैं। आज देश में समाज विरोधी तत्व और जो जमाखोरी करते थे, तस्करी करते थे वह बुरी तरह से घबड़ाए हुए हैं कि न मालूम कब उनको चहारदीवारी के अन्दर कर दिया जाय। हमारे रुपये की जो कीमत गिर रही थी वह अब फिर बढ़ ही है। हम सभी सदस्यों को 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करना चाहिए। जिससे जनता की भलाई हो, गरीब और अमीर की खाई पाटी जाय, मेहनतकश इन्सानों को उनके अधिकार दिलाये जायं, बेरोजगारी को खत्म किया जाय औ लोगों को रहने, खाने आदि का प्रबन्ध किया जाय। हमें चाहिए कि सरकार के साथ सहयोग करें तभी हम इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता की भलाई कर सकते हैं। इस साल के बजट से हमारे प्रदेश की जनता में ही नहीं बल्कि देश की जनता में यह भावना पैदा हो गयी है कि अब देश तेजी से आगे बढ़ेगा। विरोध पक्ष के लोग बार-बार कहते हैं कि सरकार अपनी कुर्सी के लिए ही सब कुछ कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह देश की गरीब और मेहनतकश जनता के लिए ही यह सब कर रही है। इन्हीं तरीकों से हम देश को आगे ले जा सकते हैं। आज बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जा रहा है, उन्हें बैंक से रुपया दिया जा रहा है, बन्धक मजदूरी प्रथा को खत्म किया गया, उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी गयी हैं।

एक बात मैं कहूगा कि यहां पर सड़कों की बड़ी दुर्दशा है। सड़कों के लिए अधिक बजट रखना चाहिए क्योंकि सड़कें बहुत जरूरी हैं। हरियाणा औ पंजाब में इसीलिए ज्यादा तरक्की हुई क्योंकि वहां अधिक सड़कें और गांव-गांव में बिजली है। हमारे प्रदेश में भी जब गांव-गांव में बिजली और सड़कें होगी तभी इसकी तरक्की होगी। 20-सूत्री कार्यक्रम लागू होने के बाद से ही हर इन्सान के दिल में यह भावना पैदा हो गयी है कि अब देश में जल्दी ही कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाए जाने वाले हैं। अब रेलें समय से चल रही हैं। अधिकारी और कर्मचारी वर्ग भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। भूमि आवंटन के बारे में कहते हैं कि बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। बहुत गड़बड़ियां तो नहीं, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं। वहां हमारे माननीय मन्त्री वीर बहादुर सिंह जी गये थे। दो आदमियों को उन्होंने कसा तो सब के कान खड़े हो गए और अब कार्य ठीक हो रहा है। अब जमीनें सही ढंग से दी जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि जिलों में मन्त्री लोगों को जाना चाहिये ताकि लोग सतर्क रहें और काम करें। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन क ने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो कुछ इस अभिभाषण में कहा गया है उससे जो प्रदेश में आगे आने वाले दिनों में होगा उसका सही चित्रण है। परन्तु खेद की बात है कि उस तरफ बैठने वालों ने जो दलीलें दी हैं उनको थोथी कहा जाय तो उपयुक्त होगा। माननीय नियाज हसन साहब ने कल कहा कि विरोध पक्ष वाले लोग खान अब्दुलगफ्फार खां जैसे हैं। उन्होंने विरोध पक्ष की तुलना उनसे की। उन्होंने भारत की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। बादशाह खान ने स्वयं कहा कि आज पाकिस्तान की जेलों में जो यातनायें उन्हें मिल रही हैं, वे अंग्रेजी राज्य में भी नहीं मिलीं। वे तथा उनके परिवार के सदस्य आज भी जेलों में बन्द हैं। आप उनसे अपनी तुलना करते हैं। जबकि आपके नेता जार्ज फरन ण्डीज साहब ने रेलों की हड़ताल का नारा दिया। जब वह सफल नहीं हो पायी तो उन्होंने माऊत्सेतुंग को चिट्ठी लिखी। वह पत्र उनका पकड़ा गया। अब कैसे-कैसे लोगों की तुलना बादशाह खान से हो सकती है। हिन्दुस्तान के नौजवानों को जब

भी मौका मिलेगा, चाहे वह एक हजार वर्ष बाद ही मिले, वह माऊत्सेतुंग से सन् 1962 की लड़ाई का बदला अवश्य लेगा। माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने भी बड़ी असगत बातों को कहा। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कहा कि वे आस्तीन के सांप हैं। ऐसी बात उनको तो नहीं कहना चाहिये थी क्योंकि सन् 1967 के चुनाव के बाद उनसे मिल कर सरकार किसने बनायी थी? यहां तथा बिहार में उनसे मिल कर जनसंघ ने सरकार बनाने में सहयोग दिया। लेकिन आज समान नीति के आधार पर वे जब हमारा साथ दे रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। यह भी कहा गया कि इमरजेन्सी प्रधान मन्त्री जी ने हाई कोर्ट के फैसले तथा गुजरात के इलेक्शन में हार के कारण लगायी यह कितनी थोथी बात है। जहां इन्दिरा जी हाई कोर्ट में पिटीशन हारी थीं, वहीं हाई कोर्ट ने इस बात के भी आदेश दिए थे कि 20 दिन तक वह फैसला लागू नहीं किया जायेगा तथा इस बात की भी इजाजत दी कि वे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला किया कि उनके प्रधान मन्त्री बने रहने में कोई कानूनी रोक नहीं है। तो उसके बाद भी इस तरह का कोई हंगामा उठाना, और हुल्लड़बाजी करना विरोध पक्ष का कारनामा था।

विरोध पक्ष ने 29 जून को बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर न करते हुए, एक हंगामे की तैयारी की थी। गुजरात एलेक्शन के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस पंजाब से लेकर बंगाल तक कई सूबों में चुनाव हारी लेकिन कांग्रेस सरकार ने इमरजेन्सी लागू नहीं की। कांग्रेस सरकार जहां-जहां थीं, वहां के मुख्य मन्त्रियों ने एक मिनट भी फैसला करने में नहीं लिया सब इस्तीफा देकर अलग हो गए। जनतांत्रिक मर्यादाओं की बात यहां कही गयी है। बड़ी हास्यास्पद बात लगती है जब कि जनतांत्रिक मर्यादाओं को कायम रखने की बात उधर से कही जाती है। इमरजेन्सी लागू करने के सम्बन्ध में एक मिसाल काफी होगी, सारी बातो के जवाब के लिए। कांग्रेस के किसी मुख्य मन्त्री ने या कांग्रेस सरकार के किसी मन्त्री ने, भारत की आजादी के बाद से अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि कोई चुनाव हार गया हो और उसके बाद उनको एक सेकेन्ड भी लगा हो इस्तीफा देने में, इधर हार जाने की खबर सुन, उधर इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब संविद सरकार थी जिसके मुख्य मन्त्री श्री टी0 एन0 सिंह जी थे, वे जब 16 हजार मतों से श्री रामकृष्ण द्विवेदी से मनीराम में हार गये तब उनकी जनतांत्रिक मान्यतायें कह चली गयी थी। मांग करने पर भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और फिर भी चौधरी साहब जनतांत्रिक मान्यताओं की बात करते हैं? बी0 के0 डी0 के लोगों ने या जनसंघ के लोगों ने भी जो जनतांत्रिक मान्यताओं की बात करते हैं, हार जाने के बाद श्री टी0 एन0 सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया।

जब पंजाब से हरियाणा को अलग करने का आन्दोलन चल रहा था उस समय जनसंघ एवं आर0 एस0 एस0 के लोगों ने वहां एक बाजार की दूकान में आग लगा दी। जिस आग में जल कर एक क्रान्तिकारी आदमी मर गया जो शहीद भगत सिंह के साथी थे जिन्हें अंग्रेजों के जमाने में फांसी या आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ये जनसंघ और आर0 एस0 एस0 वालों के ही काले कारनामे थे। वह तो वही बगुला भगत वाली बात हुई कि कहने के लिए तो कहा कुछ और क्रान्तिकारियों के प्रति श्रद्धा की बात कर रहे हैं पर उसका ज्वलंत प्रमाण मैंने अभी दिया। कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। भ्रष्टाचार की बात बहुत कही जाती है। कहा जाता है कि कांग्रेस मिनिस्टरी और कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। श्री बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्य मन्त्री थे और कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ जांच बैठायी। जांच के बाद जब उनको दोषी पाया गया था तो उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और उनको मुख्य मन्त्री पद से हटा दिया गया। लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्हीं को बी0 एल0 डी0 वालों ने अपना नेता बना लिया। कांग्रेस में रहने पर तो वे भ्रष्ट थे लेकिन विरोध पक्ष में जाने पर वही विरोध पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं।

मान्यवर, बातें तो बहुत लम्बी हैं लेकिन अभिभाषण के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में प्रदेश के आने वाले जमाने की तस्वीर मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि विद्युत् और सिंचाई पर विशेष बल दिया गया है और वह उचित ही है।

[श्री बिमल प्रसाद तिवारी]

किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति के लिए विद्युत् और सिंचाई के क्षेत्र में उपलब्धि हो उस देश की प्रगति की नींव बनती है। मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले एक साल में सरकार द्वारा विद्युत् के क्षेत्र में जो उपलब्धि की गयी है, यह सराहनीय है और उनके आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब क्षमता विद्युत् की बढ़कर 2203 मेगावाट हो गयी है। 1975-76 में विद्युत् का उत्पादन सारे देश में उत्तर प्रदेश का अधिक रहा है। 8 मार्च, 1976 को यह उत्पादन 33.6 मिलियन यूनिट रहा जबकि 1974 में 20 मिलियन यूनिट रहा था। इसके साथ ही हम आज 37.5 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को हम दे रहे हैं। जहां इसके पहल हम दूसरे प्रान्तों से बिजली की भीख मांग रहे थे जिससे हमारे उद्योग और कृषि के कार्य हो सकें। 70 हजार बिजली के ऐसे कनेक्शन पिछले एक साल में पकड़े गए जो बिना स्वीकृति के चल रहे थे जिससे 10 करोड़ रुपए की आमदनी विद्युत् परिषद् की बढ़ी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पिछले वर्षों में कृषि के लिए ट्यूबवेल को बिजली नहीं मिलती थी लेकिन यह फैसला अब सराहनीय रहा है कि 24 घंटे ट्यूबवेल को बिजली मिलेगी जिससे कि कृषि सिंचाई में बाधा न पड़े। पहले ट्रान्सफारमरों को चोरी की बड़ी चर्चा होती थी और यहां सदन में भी प्रश्न उठाये गये जिससे बड़ी हानि होती थी। इसलिए यह बड़ी उपलब्धि है कि 8 हजार, ट्रान्सफारमर जो चोरी हो गए थे उन सब को नया लगा दिया गया है और आदेश दिये गये कि जहां खराब हो जायं अथवा चोरी जायं उनको एक सप्ताह के अन्दर बदल दिया जाय। यह सारी उपलब्धि एक साल में हुई है जिन पर सारा प्रदेश गर्व कर सकता है। पहले बड़ी दिक्कत थी कि 5-10 हार्स पावर कनेक्शन की स्वीकृति के लिए यहां आना पड़ता था और मन्त्रियों के चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन अब 25 हार्स पावर तक के कनेक्शन जिला स्तर पर ही स्वीकृत कर दिए जायेंगे। यह भी हर्ष का निर्णय है। इस प्रकार यह सारी क्रान्तिकारी उपलब्धियां एक साल की हैं।

मान्यवर, इसके साथ ही अभिभाषण में हथकरघा और बुनकरों की दशा सुधारने पर भी जोर दिया गया है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो कि बुनकरों का क्षेत्र है और उनकी समस्यायें बहुत रही हैं। माननीय तिवारी जी जब वित्त मन्त्री थे तो सितम्बर में फर्रुखाबाद गए थे और वहां उन्होंने घोषणा की थी कि हैन्डलूम कारपोरेशन के अन्तर्गत हाथ कपड़ा छपाई उद्योग निगम की पौने तीन करोड़ से स्थापना की जाएगी क्योंकि 3 करोड़ रुपए का हाथ का छपा कपड़ा विदेशों को जाता है और उसके उत्थान का काम आजादी के बाद से नहीं किया गया था। और उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि यह कारपोरेशन 19 नवम्बर, से कार्य शुरू कर देगा। पता नहीं क्या दिक्कते आयीं कि वह कारपोरेशन स्थापित नहीं हो पाया। यह भी घोषणा की गयी थी कि उसका कार्यालय फर्रुखाबाद में होगा। मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी प्रकार लीड बैंक के लिए कहा गया कि कमजोर वर्ग को ज्यादा मात्रा में कर्जा दें। प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने बैंकों को सरकारी कब्जे में इसी उद्देश्य से लिया भी था। कमजोर वर्ग के लोग, बुनकर और जो छोटा-छोटा काम करने वाले हैं उनको सस्ती दर पर कर्जा मिल सके और वह साहूकारों के खून चूसने वाली ब्याज की दरों से बच सकें। लेकिन हमारे फर्रुखाबाद की जो लीड बैंक है, वह सहृदयता से काम नहीं लेती। गरीब आदमी के पास कुछ देने को नहीं होता और वह लाल फीताशाही के चक्कर में पड़ा रहता है। मेरा सुझाव है कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिलों में लीड बैंक को सलाह देने के लिए समितियों का गठन किया जाय जिस तरह से रेलवे में होती हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण में सस्ता न्याय देने की भी बात है। यह हर्ष का विषय है कि सरकार उस पर सोच रही है। एक निवेदन है कि सस्ता न्याय के साथ-साथ शीघ्र न्याय भी मिलना चाहिए क्योंकि कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं देर से न्याय मिलने की मिसाल देना चाहता हूं। जून, 1974 तक के फर्रुखाबाद की जजी की विभिन्न अदालतों में मुकदमों की संख्या 11,359 है जो अनिर्णीत हैं। सबसे पुराना मुकदमा 1948 का है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कमजोर वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि शीघ्र न्याय मिल सके।

स्वास्थ्य सुधार की भी चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण में है। लेकिन जिला अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा है कि कमजोर और गरीब लोगों को कोई राहत नहीं मिलती और सारी दवायें बाजार में बिक जाती हैं। जिला अस्पताल की एक घटना है। बाबूराम एडवोकेट हैं। उनकी पत्नी का नसबन्दी का आपरेशन हुआ। लेकिन उसको ए0 टी0 एस0 का इन्जेक्शन नहीं लगाया गया जिससे टिटनेस हो गई। एक दिन वह अस्पताल में भर्ती भी रही लेकिन देखभाल नहीं हुई। फिर वह इसको प्राइवेट डाक्टर के पास ले गए। लेकिन इतना विलम्ब हो चुका था कि उसकी मृत्यु हो गई। आश्चर्य की बात है कि न तो उस डाक्टर को निलम्बित किया गया और न किसी प्रकार की जांच हुई। स्वास्थ्य सेवा में इस प्रकार से काम पूरा नहीं हो सकता है कि सिर्फ आपने इस मद में रुपया बढ़ा दिया है। इस बात की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि मरीजों की व्यवस्थित देखभाल हो और उनके प्रति लापरवाही न बरती जाय।

सिंचाई पर बड़ा जोर है, तथा प्रदेश की तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में काफी विकास का होना आवश्यक है। मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि मेरे क्षेत्र राजेपुर ब्लाक में कोई भी राजकीय सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, न तो ट्यूववेल हैं और न कोई और साधन ही। आजादी के इन 29 वर्ष के बाद भी उस क्षेत्र के निवासी गरीब किसान इन सुविधाओं से वंचित है। सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्म सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल जी ने अपने भाषण में आरम्भ से ही 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों (इस समय 1 बजकर 16 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।) के अन्तर्गत भूमि आबंटन का जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से जिलों में चकबन्दी हो गई है उसके बाद उन्हीं जिलों में शारदा सहायक, गन्डक तथा रामगंगा परियोजनायें भी चलाई जा रही हैं। नहरों को उन्हीं जिलों से पुन: निकाला जा रहा है जहां पर चकबन्दी हो गई है। वे नहरें बहुत से चकबन्दी किए हुए खेतों के बीच से होकर जा रही हैं। बहुत से चक दो हिस्सों में बंट गए हैं औ बहुत से लोगों के चक परे के परे ही नहरों में जा रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है कि जिन स्थानों से यह नहरें निकल रही हैं उन जिलों की चकबन्दी सरकार का पुन: करवाना चाहिए। जिन काश्तकारों की जमीन जा रही है उन काश्तकारों को मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि उन सभी किसानों की जमीनो में से कटौती करके नहरों के लिए जमीन निकाली जाय। यह अनुमान लगाया गया है कि सरकार को जो मुआवजा देना होगा ऐसा करने से उसे कहीं कम खर्च करना पड़ेगा और इतना असन्तोष भी नहीं होगा। आपको उस क्षेत्र की पुन: चकबन्दी करवाना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से 16 जुलाई, 1975 को एक और आदेश निकाला गया है जिसके अन्तर्गत सरकार ने यह नियम बनाया है कि जो भी काश्तकार साझेदारी या अधिया पर अपने खेतों को दूसरों को देंगे वे खेत उनसे निकल जायेंगे। इस आदेश के कारण बड़ी भारी परेशानी पैदा हो गई है। जिन लोगों ने साझेदारी या अधिया पर खेतों को जोत रखा था और जिसमें खरीफ की फसलें लगी थीं उनको निकाल दिया गया है और झगड़ा पैदा हो गया है। बहुत से कर्मचारी हैं जो दूसरे स्थानों पर काम करते हैं, कोई मजदूर तो किसी-किसी शहर में मजदूरी करने के लिए गया हुआ है और उसका गांवों में इस प्रकार से काम चल रहा था उन लोगों के लिए बड़ी भारी परेशानी की बात पैदा हो गई है। इसके अनुसार भी हो गया

[श्री माता प्रसाद]
है कि एक एकड़ से कम का खेत जिस काश्तकार के पास होगा वह भी निकल जायेगा। नतीजा यह हो रहा है कि इस प्रकार से खेत अधिया या साझेदारी पर नहीं दिये जायेंगे। लोग कहते हैं कि हम इसको बटाई पर नहीं देंगे और बंजर या खाली रखेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे प्रदेश का उत्पादन गिरेगा। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के जो खेत हैं, अधिया पर खेत निकल रहे हैं। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर विचार करें। आदर्श के लिए तो यह ठीक है लेकिन इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट देखें। इससे इसमें बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो गई है। बहुत से हरिजन हैं जिनके पास 10 बिस्वा ही खेत है और जो कहीं पर काम करता है उससे वह निकल जायेगा। यह ठीक नहीं है।

सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि 1 एकड़ से कम भूमि का पट्टा नहीं किया जायगा। यह आदर्शवाद तो है लेकिन इसका प्रभाव क्या है? मन्त्री जी इस पर पुन: विचार करें। पूरब में काश्तकारों के पास औसत जोत 10 बिस्वा ही है। वहां पर इसका बड़ा भारी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप इससे 10 आदमी को तो लाभ पहुंचा देंगे लेकिन 20 आदमी इससे बुरी तरह से नाराज हो जायेंगे। किसी के पास अगर आधा एक भी खेत है तो उसके अन्दर आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है और वह उसमें कुछ नहीं तो सब्जी ही पैदा कर के अपना काम चला लेता है। मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर पुन: विचार करें कि एक एकड़ से कम भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आबंटित नहीं की जाए की इस निर्णय पर आपको पुन: विचार करना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि सभी लोगों को जमीन आबंटित करने की कृपा करें। सभी लोगों को जमीन आबंटित करने की व्यवस्था करें। राज्यपाल महोदय ने जो आंकड़े इस सम्बन्ध में दिये हैं वे बिलकुल फर्जी है यह मैं नहीं कह सकता लेकिन यह जरूर कहूंगा कि चाहे आवास स्थल के लिए अथवा कृषि के लिए जमीन आबंटित की गयी है उसमें अधिकांश मामले ऐसे हैं, मौके पर जा कर देखिए तो ज्ञात होगा कि न तो कब्जा ही दिया गया है, न डिमारकेट किया गया है। इसके लिए पूरे सूबे में एक अभियान चलाया जाय कि जिस व्यक्ति को जमीन आबंटित की गयी है उसको कब्जा दिया जाय और सरकारी कागजात में अमलदरामद करा दिया जाय।

इसके बाद अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो पुलिस ऐसे लोगों की रक्षा करे। शायद ही किसी गांव में पूरा कब्जा दिया गया हो या अमलदरामद हुआ हो। इसके अलावा ग्राम समाज की जमीन को हड़पने का बहुत अच्छा साधन जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 229(बी) में है। इसके अन्तर्गत अगर कोई आदमी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर ले और अदालत में दरख्वास्त दे दे कि 15 वर्ष से उसका कब्जा चला आ रहा है तो वह जमीन विवादास्पद हो जाती है और इस तरह के हजारों मुकदमें हर जिले में चल रहे हैं। दलील यह दी जाती है कि जिस समय से जमींदारी खत्म हुई उससे जमीदार ने अटूट पट्टे लिख दिए थे और वह पुरानी रसीदों को पेश कर देता है और कहीं-कहीं प्रधान ही नाजायज कब्जा करने वाले के पक्ष में बयान दे देता है, कहीं सरकारी कर्मचारी मदद कर देते हैं और यहां तक कि ग्राम समाज का जो वकील होता है वह दूसरी पार्टी से मिल कर ग्राम समाज की जमीन को निकलवा देता है। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसे यह व्यवस्था की गयी है कि सीलिंग से सम्बन्धित मामले जो हाई कोर्ट में हैं उनमें अगर सरकार जीतती है तो जितने समय तक सीलिंग से अधिक जमीन पर उस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था उतने समय का मुआविजा सरकार को देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति ने 229 (बी) के अन्तर्गत 15 साल से कब्जा किसी जमीन पर कर रखा है और फैसला ग्राम समाज के पक्ष में होता है तो उतने समय का मुआविजा उस व्यक्ति से ग्राम समाज को दिलाया जाय। 229(बी) के अन्तर्गत हजारों एकड़ जमीन विवादास्पद बना रखा गया है। कोई उपाय सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से ये जो हजारों मुकदमें हजार एकड़ जमीन के फंसे हुए हैं, किस तरह से इनको निकाला जाय ताकि सरकार की जो मंशा है गरीबों को भूमि आबंटित करने की, वह पूरी हो सके।

मान्यवर, अभी एक आदेश सरकार ने भेजा है। एक तो यह था कि एक एकड़ से कम का पट्टा न किया जाय और जो दूसर अभी सरकार ने भेजा है कि यदि 8 प्रतिशत से ज्यादा जमीन हो तो उसी का पट्टा किया जाय और उससे कम हो तो न किया जाय। उत्तर प्रदेश सरकार को इसका भी कटु अनुभव रहा है। कागजों पर यह देखने को मिलता है कि गांव समाज की जमीन पड़ी हुई है लेकिन मौके पर जाकर देखा जाय तो मालूम होगा कि प्रधानों और प्रभावशाली लोगों के पास इन जमीनों का कब्जा है। चाहे 8 प्रतिशत से कम ही क्यों न हो, मौके पर कुछ नहीं है और कागजों में जमं न खाली पड़ी हुई है। यही देखकर अभी राज्य सरकार ने पिछले दिनों यह निर्णय लिया कि जो प्रभावशाली लोग गांव समाज की जमीन जोत लेते है और जो बैनामी कब्जे होते हैं या नाजायज ढंग से काबिज हैं उनके ऊपर 115 (सी) का मुकदमा होना चाहिए। यह बात लेखपाल या कानूनगो सब जानते हैं कि किसने कब्जा कर रखा है। चूंकि वह कागज में नहीं होता है इसलिए सरकार को मालगुजारी भी नहीं मिलती है। ऐसे लोग न तो मालगुजारी देते हैं और नाजायज कब्जा भी किए हुए हैं। लेखपाल या दूसरे कर्मचारी इन प्रभावशाली लोगों से डरते हैं। इसलिए वे दर्ज नहीं कर सकते। इसी कटु अनुभव के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि गांव समाज की जमीन 8 प्रतिशत से कम भी हो तो उसको भी पट्टा किया जाएगा। कब्जे के विभिन्न तरीके हैं।

ग्राम समाज के नाम पर तालाब छूटे हुए हैं किन्तु उसको कोई न कोई जोत रहा है जो सबल व्यक्ति हैं, उसका उस पर कब्जा होता है और उसका वे उपभोग कर रहे हैं। इसी प्रकार चरागाह है, खेल के मैदान हैं इन पर भी लोग काबिज हैं। अत : मै चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाकर यह जमीन ली जानी चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर दन्ड दिया जाना चाहिए।

शुरू में यह भी कहा गया था कि जो भूमि आबंटन का कार्य होगा उसके लिए ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर कमेटियां बनाई जायगी। इसके लिये 29 फरवरी आखिरी तिथि रखी गई थी? यह सरकार का ध्येय था। हो सकता है सरकार के शब्दों में वह ध्येय उनका पूरा हो गया हो लेकिन वे कमेटियां अभी नहीं बनी है। सूबे के तर पर बनी होंगी। गैर सरकारी लोगों की कमेटियां नहीं बनी। कर्मचारियों ने इसका दुरुपयोग भी किया है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं सरकार का आदेश यह था कि भूमि का आबंटन लाटरी के जरिए से किया जाएगा। एक सूची बना ली जाएगी कि कितना भू-खन्ड कहां पर उपलब्ध है और फिर पात्रों की सूची बना ली जाएगी। उसके बाद लाटरी से भूमि बांटी जाएगी। लेकिन यह हुआ कि जिन लोगों से पैसा मिला उन्हें गांव के नजदीक जमीन दे दी गई। लेकिन मान्यवर जिनके पास पैसा नहीं था उनको ऊबड़-खाबड़ और रेतीली यानी अकृषि योग्य जमीन दे दी गई। इसमें ज्यादातर हरिजन और भूमिहीन लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते। उनको मान्यवर हर गांव मे आप देखेंगे कि प्राय : इसी तरह की जमीन दी गई है। जो नदी के कछार या ककरीली जमीन जो थी वह दे दी गई। जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दे दिया उनको अच्छी जमीन दे दी गई। तो मान्यवर, जो यह घोषणा की थी कि ब्ल क स्तर पर गैर सरकारी कमेटियां होगीं, जो इस बात की देख-भाल करेंगी कि जिस प्रकार से जमीनों का आबंटन किया जा रहा है। मान्यवर, जो आज जमीनों को आबंटन हो रहा है वह कहीं पर तो ठीक हो रहा है और कहीं पर नहीं हो रहा है। उसमें सुझाव देने के लिए यह समिति होगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समिति का आज तक निर्माण नहीं किया गया है। यहां पर माननीय मन्त्री जी बैठे हैं। उनसे प्रार्थना है कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाएं और जो भूमि आबंटन का कार्य और आवास स्थल का कार्य है उसको 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू रखे और इस तरह की गैर-सरकारी कमेटी का जरूर निर्माण करें। जो यह देखे कि यह जो जमीन पहले आबंटित की जा चुकी है उसमें कहां-कहां पर अनियमितता की गई है और आइन्दा जो आबंटन का काम हो उसको भी देख-भाल क कि किस तरह से आबंटन किया जाय।

[श्री माता प्रसाद]

मान्यवर, राज्यपाल जी ने अभिभाषण में कहा है कि "अनुसूचित जातियों में भी कुछ जातियां अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे कि इन जातियों को भी लोक सेवाओं में अपना उचित अंश मिल सके। यह ठीक बात है कि वे कुछ लोग ज्यादा पिछड़े हैं और वह समाज की बड़ी सेवा करते हैं जसे हमारे भंगी भाई हैं, बालमीकि भाई हैं जो समाज की बड़ी सेवा करते हैं। इतनी बड़ी सेवा करने के बाद भी उचित स्थान नहीं मिल पाता है। यह अच्छी बात है कि भंगी और बालमीकि भाइयों के लिए ज्यादा सुविधा दी जाय। इसी तरह से हमारे पूर्वी जिलों में मुसहर होते है। इसमें किसी जिले में दो चार लोग ही पढ़े लिखे मिल पाते हैं। इसी तरह से डोम होते हैं जो बहुत उपेक्षित हैं। जरूर इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिये अनुसूचित जाति के अन्तर्गत ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन मान्यवर मैं नहीं जानता इसमें कौन-कौन जातियां ली गई हैं, वैसे हमारे प्रदेश में 66 जातियां अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती हैं। इनमें से किस को उसमें लिया गया है इसके लिए कोई आंकड़े नही दिए गए हैं। यह मैं जरूर चाहूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि अनुसूचित जातियों में लड़ाई न पैदा हो। इसको ठीक से बताया जाय। उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए इसमें कोई एतराज नही है।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि अनुसूचित जातियों को जो उत्थान करने वाली बात है उसके लिए एक अनुसूचित जाति वित्त निगम बनाया गया है। यह घोषणा की गई थी कि इन जातियों को उद्योग खोलने के लिए इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन मान्यवर, टेकनिकली बहुत दिक्कतें आती हैं। वह कहते हैं कि पहले दरख्वास्त लगेगी उसके बाद में उद्योग आफिसर के पास जाएगा और वह जांच करेगा। फिर यह कहते हैं कि फलां-फलां चीज की जरूरत है और इस कारोबार के लिये, ये चीजें चाहिए। मान्यवर, इसका आफिस भी कहीं महानगर में है जिसमें टेलीफोन भी नहीं है हम अगर बात करना भी चाहें तो वह नहीं हो पाती है। जब वहां से कार्यवाही पूरी होती है तब कही बैंक से लोन मिलता है जो यह नेशनलाइज बैंक हैं। वहां पर भी दिक्कत होती है। तो मान्यवर, मैं कहूंगा कि उसमें सुधार होना चाहिए।

एक और सुझाव मान्यवर, हरिजन कल्याण विभाग के बारे में देना चाहता हूं। हरिजनों को गृह निर्माण के लिए और कृषि के लिए ग्रान्ट दी जाती है। इसके अलावा कोई दूसरी ग्रान्ट उनको नहीं दी जाती और वह ग्रान्ट में नामिनल होती है। उदाहरणत: हर ब्लाक में 3 मकानों का औसत पड़ता है, एक-एक हजार रुपए का। एक ब्लाक में सौ गांव पड़ते हैं, तो इन 100 गांवों में हर एक में हरिजन आबाद हैं और एक-एक गांव में कई कई हरिजन आबाद हैं और हम केवल तीन आदमियों को दे रहे हैं। इस तरह से हम तीन सौ क्या तीन हजार साल तक भी दें तो सब हरिजनों के मकान नहीं बन पाएंगे। यह धनराशि बिल्कुल नगण्य है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस ग्रान्ट को बन्द कर दें। क्योंकि इसमें हम लोगों को या हमारी कमेटियों को बड़ी परेशानी होती है, मांगने वाले बहुत होते हैं और रुपया बहुत कम होता है। सवाल होता है कि किसको दिया जाय। इसमें हमसे बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए एग्रीकल्चर और हाउसिंग ग्रान्ट जो है, उसको आप बन्द कर दें और उसके स्थान पर यह करें कि इनको उद्योग धन्धों के लिए ही ठीक से रुपया दें। लेकिन उसके प्राविजन को जरा आसान करें। तिकड़म वाले और झंझटी तरीके से हरिजनों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है।

इसी तरह से पीने के पानी की उनकी बात है। 834 कुयें हरिजन बस्तियों के लिए पिछले साल के लिए मंजूर थे जबकि प्रदेश में 875 ब्लाक्स हैं। इसमें इतना कम रुपया दिया गया था कि हर ब्लाक में एक कुआं भी नहीं बन पाया। इसलिए निवेदन है कि सब रोककर आप पहले इसके लिए एक सर्वेक्षण करा दें। जहां जहां पेयजल की समस्या है। पानी पीने की उनकी आवश्यकता को आप ठिकाने लगा दीजिए, तो उनकी सब तकलीफें

आसान हो जायेंगी। रह तो वे छप्पर में भी लेंगे। एक बार पूरी तरह से पानी पीने की समस्या तो हल कर लें तो गरीब तबके की जो 28 साल से बराबर समस्या बनी हुई है, उसमें उनको राहत मिलेगी।

हरिजन छात्रों की भी एक समस्या है। उनके लिए पास बुक द्वारा छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करवा दी गई है, लेकिन अब यह शिकायत आने लगी है कि लड़कों की पास बुक क्लर्क या मैनेजर अपने पास ले लेते हैं और वही रुपया निकालते हैं। इस तरह से उनका शोषण होता है। इसको आप ठीक करायें। शिक्षा के सम्बन्ध में कहना है कि जब से ये बेसिक शिक्षा अधिकारी हुए हैं, शिक्षा बिलकुल चौपट हो गई है। इसके पहले जब यह जिला परिषद् के अध्यक्षों के अधीन रहती थीं, तो उसमें बड़ा नियन्त्रण रहता था। अध्यापक पढ़ाते लिखाते भी थे, लेकिन आज उनके कारण शिक्षा बिलकुल बर्बाद हो गई है। मैं अध्यापकों के कोई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज के अध्यापकों का रवैया ठीक नहीं है, उनकी व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। सरकार उस पर विचार करे औ बेसिक शिक्षा या प्रारम्भिक शिक्षा को जिला परिषदों के अन्तर्गत पुन : दे दे, जिससे उनकी शिक्षा ठीक से चल सके। कभी-कभी गवर्नमेंट बड़ी आदर्शवादी योजनायें शिक्षा में बना लेती है। मान्यवर, बहुत से प्राइमरी स्कूल्स गिर गए थे 7-8 साल पहले सरकार ने जिला परिषदों से रुपया ले लिया कि रुड़की योजना के अन्तर्गत सभी स्कूलों का ढांचा ढालकर स्कूल की इमारत बनाई जाएगी। वहां पर हजारों रुपए रुड़की योजना के अन्तर्गत लिया परन्तु 3 4 सालके बाद वापस कर दिया कि हम नहीं कर सकते। इस तरह से कभी कभी मान्यवर परेशानी हो जाती है। सरका को सोच समझ कर योजनायें बनानी चाहिए। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शायद इसका जिक्र भी है कि जितने भी इन्टरमीडिएट कालेजेज, डिग्री कालेजेज हैं सभी में झगड़े हैं। माननीय शिक्षा मन्त्री जी 1 मिनट सुन लें। इन स्कूलों में दो-दो कमेटियां पैरलल चल रही हैं। तो सरकार को कोई इस तरह की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि जिले के स्तर पर कोई कमेटी बना दे और जो व्यक्तिगत संस्थाओं के झगड़े हैं उन सभी कमेटियों को खत्म कर दिया जाय। जिला स्तर पर कमेटी बना दी जाय, उसमें जिला मजिस्ट्रेट को रख दें जो उनका नियन्त्रण रखें। बहुत से झगड़े हाई कोर्ट में चल रहे हैं, बहुत जगहों पर कत्ल और बल्वे हो गए हैं, लोगों ने अपनी प्रापर्टी बना रखा है। हमारे जिले में 14 डिग्री कालेज औ डेढ़ सौ इन्टर मीडिएट कालेजेज हैं। शायद ही कोई ऐसा कालेज हो जहां पर झगड़े न हों। अध्यापकों में, मैनेजमेंट में पार्टीबन्दी है और लड़कों में पार्टीबन्दी है अध्यापकों को लेकर। तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। जिन संस्थाओं में इस तरह के झगड़े हैं उस मैनेजमेंट को सरकार को खत्म करने पर विचार करना चाहिए।

यह बड़ी खुशी की बात है कि राज्यपाल जी ने साहूकार के कारबार पर नियन्त्रण रखने के लिए अपने अभिभाषण में कहा है। यह सही है कि देहातों में ऐसे साहूकार रहते हैं जिन्होंने बहुत अधिक सूद पर रुपये दे रखे हैं और 25 रुपया सैकड़ा सालाना तक सूद लेते रहे हैं जिसमें एक लखनऊ के भी साहूकार हैं। वह सभी पूर्वी जिलों में रुपये बांटते हैं। तो यह सही है। देहातों में कुछ इस तरह के सेठ और साहूकार हैं, जिनके हाथ किसान लोग अपना गहना, बर्तन, आदि गिरवीं रखते हैं। हमारे जिले में एक खेता सराय और मादघ एक जगह है। वहां पर गहनों को गिरवी रख दिया जब दो एक बोरा हो गया ती कहीं से सेंध वगैरह लगवा कर कह दिया कि वह तो चोरी हो गया जितने गिरवीं रखने वाले व्यक्ति थे वे सब रोते रह गए।

श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

1 बजे से 2 बजे तक कोरम नहीं देखा जाता है।

श्री जफर आजमी—

मान्यवर, आपकी लाल बत्ती वाली बटन खराब तो नहीं हो गयी है ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, उसके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी देहात में महाजनी करेगा उसको लाइसेन्स लेना पड़ेगा। मान्यवर, जो गिरवी रखी जाती है उसकी रसीद देना जरूरी है। मैं 2-3 बातों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति लाइसेन्स नहीं लेता है उस आदमी को कर्जा देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, दूसरे जो गिरवी रखी जाती है उसकी रसीद दी जानी चाहिए तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उस गिरवी की रसीद में इस बात का उल्लेख होना चाहिए, कि जो गहना है उसका वजन कितना है और वह कौन-कौन सा है। गरीब मजदूरों का जो गहना होगा वह सुरक्षित रहेगा। इससे सरकार को भी आमदनी होगी और दूसरे प्रकार की आमदनी जैसे सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स इसकी भी आमदनी सरकार को होगी। इस प्रकार से इन महाजनों से टैक्स भी ज्यादा लिया जा सकता है।

मैं सरकार से पुन : अनुरोध करूंगा कि जहां पर चकबन्दी हो गयी है, वहां पर अगर नहर निकाली जाती है तो उस क्षेत्र में दुबारा चकबन्दी की जाए जिससे किसी एक विशेष किसान की जमीन नहर में न जाए। नहर निकालने के बाद ही चकबन्दी हो? इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा और उनको राहत भी मिलेगी। इस चीज का प्राविधान किया जाना चाहिए कि जिस भूमि को सिंचाई विभाग लेता है नहर निकालने के लिए उसका मुआवजा सिंचाई विभाग दे। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

*श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद जो प्रतिक्रियावादी और फासिज्म पर प्रधान मन्त्री ने रोक लगायी है उससे देश की प्रभुसत्ता और अखंडता मजबूत हुई है। आज विरोधी दल प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं। मान्यवर, इस आपात्कालीन घोषणा के पहले यहां पर इस माननीय सदन में अशान्ति का वातावरण बना रहता था। मान्यवर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने जहां पर आर0 एस0 एस0 और आनन्दमार्गी लोगों के गढ़ थे उनके खिलाफ कार्यवाही की है। अभी उनको पूरी तरह से कुचल नहीं पायी है। मान्यवर, बहराइच में फासिज्म का बहुत बड़ा गढ़ है। मिहिपुरवा एक स्थान है जहां पर इनका बहुत बड़ा गढ़ है। इनके माध्यम से स्कूल चलाया जाता है। हम लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए लेकिन जिला प्रशासन ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

मान्यवर, मैं शासन का ध्यान जिला बहराइच की नानपारा तहसील को ओर ले जाना चाहता हूं। यहां शिक्षा का बड़ा अभाव है। हमारा जिला शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर 11 प्रतिशत के करीब शिक्षा है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर एक सर्वोदय इन्टर कालेज मिहिपुरवा में है। यह आर0 एस0 एस0 का केन्द्र है। जहां पर जय प्रकाश नारायण के नारे लगाए जाते हैं और उनके फेवर में स्पीच दी जाती हैं। मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी सर्वोदय इन्टर कालेज मिहिपुरवा की ओर ध्यान देंगे जो कि आर0 एस0 एस0 का गढ़ बना हुआ है ताकि वहां की जनता में शान्ति उत्पन्न हो सके। हमा नानपारा तहसील में कोई डिग्री कालेज भी नहीं है, केवल 4 इन्टर कालेज हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर प्राइमरी पाठशालायें भी गिनी चुनी हैं।

सड़कों का जहां तक सम्बन्ध है वहां पर वर्ष 1962 के बाद जब कि चाइना वार हुई थी एक ही सड़क बनी हुई है। इसके अतिरिक्त वहां पर कोई और आवागमन का साधन नहीं है। इस मामले में हमारी तहसील को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इसके विकास की ओर कदम उठायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां पर यह भी कहा गया कि भूमि के आबंटन के लिए कोई लाटरी नहीं पड़ी है लेकिन अगर वे गांव में गए होंगे तो देखा होगा कि लाटरी द्वारा भूमि का आबंटन हुआ है। मैं भी एल0 एम0 सी0 की मीटिंग में था जहां पर लाटरी द्वारा ही भूमि का आबंटन किया गया है। लेकिन जिस तेजी से होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। वहां पर कोई कमेटी इस काम के लिए नहीं बनी है, अगर बन गई होती तो वहां भी प्रभावशाली ढंग से जमीन का बंटवारा हो जाता।

पुलिस के बारे में भी भ्रष्टाचार की बातें कहते हैं लेकिन यह कहने से दूर नहीं होगा। हमें देखना होगा कि जो पुलिस विभाग में हमारे भाई काम करते हैं, उन्हें कितनी सुख-सुविधायें मिलती हैं। उनको रहने तक के हम क्वार्टर नहीं दे पाते हैं। आप सोचें कि 300 रुपए तक वेतन पाने वाले किस प्रकार अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करते होंगे। अतः यह विचारणीय प्रश्न है। उनको सच्चा समाजसेवी बनाने के लिए सुख सुविधा भी देनी होगी, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी होगी, उनके परिवार के सदस्यों के लिए दवा का प्रबन्ध करना होगा और चौथी क्लास के कर्मचारियों को जितनी भी सहूलियतें मिलती हैं, वे सब उनको देनी होंगी। तब जाकर उनमें से भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। आज पुलिस विभाग में जो लोग ऊंचे-ऊंचे पदों पर हैं वे और ऊंचे पदों पर पदोन्नत किए जा रहे हैं और जो नीचे के पदों पर हैं उनकी कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। जब तक उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तब तक यह भ्रष्टाचार पनपता रहेगा। सरकार कितना ही कहती रहे, लेकिन कहने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इसके लिये सरकार को कुछ अमली कदम उठाने पड़ेंगे।

अब मैं अक्लियत के हकूकों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज उनकी आबादी लगभग 1 1 2 करोड़ है और हमारी प्रधान मन्त्री जी ने अपने 20-सूत्री कार्यक्रम में उनके हकूकों की हिफाजत के लिए प्राविधान किया है, लेकिन इस सरकार द्वारा वह नहीं हो रहा है। यह सरकार जो उनके ऊपर टिकी हुई है, उनके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को फिर जनता के समक्ष जाना है। हमारे मन्त्रियों को ठंडी हवा में बैठ कर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि फिर उन्हें गर्म हवाओं में जाना पड़ेगा और जनता से इन्साफ मांगना पड़ेगा। आज अगर आपने जनता के साथ न्याय नहीं किया तो कल जनता भी आपके साथ न्याय नहीं करेगी। यह बात सिर्फ कहने की है कि हमने आपात्स्थिति लागू कर के पूरा कंट्रोल कर लिया है। आप यह कह सकते है कि हमने प्रतिक्रियावादियों का सिर कुचल दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने महज उन्हें जख्मी किया है। लेकिन चोटियल सांप ज्यादा खतरनाक होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का जबतक सफाया नहीं किया जायगा तबतक इस देश का कल्याण नहीं होगा। जब तक काला धन छिपाने वाले बन्द नहीं किये जायेंगें उस वक्त तक कल्याण नहीं है। आशा है कि हमारे मंत्रिगण इस तरफ ध्यान देंगे।

*श्री राम औतार सिंह भदौरिया (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है। उसकी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण में 20-सूत्री कार्यक्रम, पिछले 8 महीने में उसके सम्बन्ध मे जो उपलब्धियां हुई हैं और उन कार्यक्रमों को पूरा करने में सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है अगले वर्ष उन सब का उल्लेख किया गया है। किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे नेता विरोधी दल और विरोधी दल के अन्य सदस्यगण जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया उन्होंने आपात्काल ीन स्थिति के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की हैं, कोई रचनात्मक सुझाव ऐसा नहीं रखा है जो लोकहित में होता। इस बीच हमारे देश की प्रधान मंत्री और उनके पुत्र श्री संजय गांधी पर तमाम व्यक्तिगत आक्षेप किए गए। एक ओर तो संजय जी को प्रिन्स तक की बुरे व्यंग्य से संज्ञा दी गयी। मैं इस सम्बन्ध में चौधरी साहब को आपके माध्यम से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी नागरिक राजनीति और समाज सेवा में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम औतार सिंह भदौरिया]

आ सकता है। इसलिए संजय जी जब राजनीति में आए तो कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि उनकी मां देश की प्रधान मन्त्री और हमारी पार्टी की सर्वोच्च नेता ह तो उन्होंने कोई पार्टी का या राजनीति में कोई पद ले लिया हो। न ही कोई एलेक्शन लड़ कर वह प्रदेश या केन्द्र के मन्त्रि-मन्डल में ही शामिल हुए। लेकिन आपके माध्यम से मैं चौधरी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि 1969 में जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके थे और एलेक्शन में भाग ले रहे थे तो अपनी स्त्री को जो एक दिन भी किसी राजनीतिक दल की सदस्या नहीं रहीं, न ही किसी समाजसेवा के कार्य में लिप्त रहीं, एलेक्शन में ला कर एम0 एल0 ए0 बनाया जो आज भी इस सदन में सदस्या हैं। अगर वह बात उचित है तो क्या संजय जी के राजनीति में आने को अनुचित कह सकते है ? मुझे विश्वास है कि जब अन्त में चौधरी साहब को मौका मिलेगा तो वह इस प्रश्न का अवश्य जवाब देंगे।

आपात्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में जो आपत्तियां उठायी गयीं, मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। जब इस देश में अराजकता का बोलबाला था, तस्कर चोरबाजारिये और अन्य आर्थिक अपराधी अपने कार्यकलापों में चरम सीमा पर थे, देश की अर्थ-व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे थे। हर जगह विरोधी दल वाले हड़ताल व घिराव आदि की कार्यवाही कर रहे थे। विद्यार्थियों को कालिजों व स्कूलों से बाहर आकर आन्दोलन करने तथा एक साल तक पढ़ाई बन्द कर देने के लिए उकसा रहे थे। जब उनकी यह सब हरकतें बरदा त के बाहर हो गयीं और देश के सामने सुरक्षा का खतरा पैदा होने लगा, और वह चरम सीमा पर पहुंच गया, तब यह पग उठाना पड़ा। माननीय जय प्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं ने तो पुलिस और सेना तक को भ काया कि वे सरकारी आदेशों का पालन न करें। कोई भी उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार इन सारी चीजों को बरदाश्त नहीं कर सकती थी। यही नहीं, जो भी हमारी बड़ी-बड़ी उपलब्धियां थीं उनको बहुत ही छोटा करके जनता के सामने लाया जा रहा था।

बांगला देश की विजय एक महान् सामरिक विजय थी जिसका नेतृत्व हमारी इन्दिरा जी ने किया था। वह किसी भी देश के लिए गौरव की बात थी। उसको भी यहां बहुत छोटा करके बताया गया। पिछले अधिवेशन में जब मैं चौधरी साहब का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने उसको एक मामूली सी गांव की लड़ाई बतायी जिसे जीत लिया गया। अणु शक्ति में भी जो हमने महान् उपलब्धि हासिल की उसको भी बहुत छोटा बताया गया। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसकी सराहना की है। अणु शक्ति में हमारा छठवां स्थान है। सिक्किम जो हमारे राष्ट्र का एक प्रहरी है। उसके विलय को किस खूबसूरती के साथ इन्दिरा जी ने अपने देश में मिलाया, मगर उसकी भी सराहना विरोधी दल वालों ने नहीं की। यह इन्दिरा जी की सूझबूझ का परिणाम था। इस विजय में जब पार्लियामेंट के अन्दर एक कानून लाया गया तब भी विरोधी पक्ष ने उसका विरोध किया। विरोध को भी प्रजातन्त्र में एक सीमा हुआ करती है रचनात्मक विरोध होना चाहिए मगर विध्वसांत्मक विरोध नहीं होना चाहिए। वह देश के लिए घातक होता है। दुनिया की राजनीति मंच पर भी हमारी नेता ने जो सफलतायें प्राप्त कीं, जिस सुयोग्यता से कार्य किया और देश का प्रशासन चलाया, वह हमारे लिए एक गौरव की बात थी। इस सब से हमारे देश की जनता का मनोबल ऊंचा उठा था। विरोध पक्ष की कार्यवाहियां जनता के मनोबल को गिराने वाली थीं।

मान्यवर, विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि आपात्कालीन स्थिति जो लायी गयी उसका कोई औचित्य नहीं था। तो आज उन्हीं से यह कहा जाता है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में यदि आपात्कालीन स्थिति न लागू की गयी होती तो हमारे देश की भी वही स्थिति होती जो बंगला देश की हुई है। क्या यह प्रमाण काफी नहीं है ? वहां के जन नेता, जिनको दुनिया के किसी भी जननेता से कम सम्मान प्राप्त नहीं था, बल्कि अधिक ही था, इस तरह का षड़यन्त्र करके कुछ लोगों ने शेख साहब और उनके परिवार के लोगों, यहां तक कि निर्बल स्त्रियों

और बच्चों तक की हत्या कर दी गई। वे वहां के सम्मानित समाजसेवी और राजनेता थे और उनकी भी हत्या कर दी गयी। मान्यवर, आज उस देश की क्या स्थिति है, यह हम सब से छिपा हुआ नहीं है। उस स्थिति से इस देश को बचाने के लिए ही हमारी महान नेता ने इस देश में आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की। इस घोषणा के हो जाने के बाद ही इस देश नें रचनात्मक कार्यक्रम बनाने की जरूरत हुई और आर्थिक सामाजिक उन्नति की बात सोची गयी। और तब हमारी नेता ने देश को 20-सूत्री कार्यक्रम दिया और खासतौर से इस प्रदेश में भी इसका कार्यान्वयन हुआ उसका काफी उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है। 16 लाख गरीब किसान मजदूरों को खेती की भूमि आबंटित की गयी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद 12 लाख अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवास बनाने हेतु भूमि का आबंटन किया गया।

मान्यवर, क्या यह मामूली बात है? 20-सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में जब विरोधी पक्ष की ओर से आलोचना होती है तो ऐसा लगता है कि वे सब बिल्कुल आंख मूंदे बैठे हैं। जो सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुआ है, उसको वे सही नहीं देख पा रहे हैं। केवल हमारे नेताओं से उनका व्यक्तिगत विरोध है, जिसकी वजह से वे ऐसी बातें करते हैं। फिर जिन भूमिहीन किसान मजदूरों को भूमि आबंटित की गयी है, चूंकि जमीन ऊसर और बंजर थी, काश्तकारी के योग्य नहीं है लेकिन सरकार के पास तो वही जमीन उपलब्ध थी। जो गांव समाज या गांव सभाओं में निहित जमीन थी या सीलिंग से निकली हुई जमीन थी उन्हीं का आबंटन किया गया है। स्वाभाविक है कि वह अच्छी जमीन न होगी। उनको अच्छी जमीन बनाने के लिए, उनको कृषि योग्य बनाने के लिए मदद की आवश्यकता है। चूंकि वे गरीब लोग हैं, भूमिहीन किसान मजदूर हैं, सरकार ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का इशारा किया है कि अगले वर्ष इस तरह का प्राविधान किया जाएगा कि इनकी आर्थिक मदद की जाय ताकि वे अपनी-खेती, सुचारु रूप से कर सकें और वह जमीन कृषि के योग्य बन यी जा सके। इस अभिभाषण में एक और स्वागत करने योग्य बात है। अभी तक ऐसा था कि आवास हेतु जमीन का आबंटन कर दिया गया था हरिजनों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लेकिन वे इतने गरीब लोग थे कि अपने मकान नहीं बना सके। मान्यवर हर जिले में यह स्थिति होगी। डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 से बात हुई तो उन्होने कहा कि दो वर्ष का समय है, दो वर्ष में मकान नहीं बनाने पर वह जमीन वापस ले ली जाएगी। तो यह क्या था? वे कैसे मकान बना सकते थे। उनके पास खाने को रोटी नहीं तो वे कैसे मकान बनाते? इस ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस ओर इशारा है कि उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने आबंटित आवास स्थल पर मकान बना सकें। यह अच्छा कदम है और निर्बल वर्ग के लिए अच्छी बात है।

फिर एक उपलब्धि उसमें बिजली के सम्बन्ध में भी दिखलायी गयी है कि कितनी बिजली हमारे प्रदेश में बढ़ी है और आगे के लिए क्या-क्या योजनायें हैं। बिजली के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष यहीं पर राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे तो उस वर्ष केवल 5 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो पाती थी और वह भी हफ्ते में केवल 5 दिन। आज हम इस स्थिति में हैं कि 24 घंटे बिजली काश्तकारों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दे सकते हैं। जब से 20-सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ तबसे कल कारखानों, बिजली, कृषि आदि हर क्षेत्र में उत्पादन कम से कम सवाया बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभिभाषण में संकेत किया गया है और शिक्षण संस्थाओं को सरकार ने सरकारी क्षेत्र में ले लेने से प्राइवेट मैनेजमेंट के अत्याचारों से बचाया जा सकेगा और शिक्षण संस्थाओं की उन्नति की जा सकेगी। विकास की ओर जो उसमें इशारा किया गया है उसको 20-सूत्री कार्यक्रम द्वारा पूर्णरूप से कार्यान्वित कर सकने में हम सफल होंगे। इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और विरोधी दल के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर काफी चर्चा हुई और दोनों तरफ से काफी तर्क प्रस्तुत किए गए। इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे देश में आपात स्थिति लागू हुई उसके सम्बन्ध में आमतौर पर मैं और कम्युनिस्ट पार्टी उसका समर्थन करती है। इसके साथ ही साथ आपात्स्थिति को लागू करने के जो तौर-तरीके अपनाए गए हैं उसकी जो नुक्ताचीनी हुई है उसमें कुछ नुक्ताचीनियों से मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। क्या यह जाहिर बात नहीं है कि हमारे देश और प्रदेश में आपात्स्थिति लागू करने के दौरान उस लक्ष्य को उस तरह से याद करके इसको लागू नहीं किया गया जिस लक्ष्य के लिए आपात्स्थिति की घोषणा की गयी थी? हमारे समाज के जहरीले सांप जो कि हमारे विकास की जड़ों को ही काटने में रात-दिन लगे हैं आज जिस तरह से उनके खिलाफ तेज हमला किया जाना चाहिये क्या यह हमला किया गया? हमारे राज्य के विभिन्न जिलों के उदाहरण माननीय सदस्यों ने पेश किये, लेकिन मैं एक ही उदाहरण मैनपुरी जिले का पेश करना चाहता हूं। मैनपुरी जिले में एक डी0ए0वी0 इन्टर कालेज है उसके प्रिंसिपल एक बहुत ही बड़े आर0एस0एस0 के नेता हैं। अनेक प्रयत्न करने के बावजूद वह अपनी निचले दर्जे की हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इन्टर कालेज को वह आर0एस0 एस0 का अखाड़ा बनाए हुए हैं। उसको सभी अधिकारी जानते हैं। लेकिन पता नहीं कौन सा साफ्ट कार्नर है जो उसके पंजे को तोड़ने में हिचकिचाहट हो रही है।

मान्यवर, एक तरफ जो हमला किया जाना चाहिए था हमारे समाज के जहरीले सांपों के खिलाफ उसमें सरकार ने कोताही की और दूसरी तरफ इस आपात्कालीन स्थिति के जो सबसे बड़े हामी थे उनके कार्यकर्ताओं को जेल में बन्द कर दिया गया और किया जा रहा है। हमारे यहां से लिखकर सरकार को दिया गया। एक केस में तो यहां तक हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के ब्रांच सेक्रेटरी को पकड़ कर डी0आई0आर0 की दफा लगा दी। जब हमने पुलिस को अप्रोच किया तो कहीं वह उनकी रिपोर्ट पर छूट पाए। अब जहां तक भूमि वितरण का सवाल है तो वह किस तरह से हो रहा है। कुछ तो अच्छे अधिकारी हैं लेकिन कुछ गलत तरह के आदमी भी नौकरशाही में हैं जो इस कार्यक्रम को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं बजाय इसके कि उसको सही अर्थों में कार्यान्वित करें। इस सम्बन्ध में विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं लेकिन न तो उतना समय है और न उसकी जरूरत ही है।

एक तथ्य अवश्य आपके सम्मुख रखना चाहूगा जिसका कि सारे राज्य से सम्बन्ध है। कानून में कहा गया कि 15 जून तक भूमिहीन खेतिहर खास तौर से जो हरिजन हैं उन्होंने कब्जा किया तो उनको सीरदार एलान कर दें और जो गैर हरिजन हैं उनको न केवल बेदखल कर दें बल्कि लम्बे-लम्बे जुर्माने कर दें। इस कानून की वजह से गैर हरिजनों की न केवल बेदखली हुई बल्कि उसने जिस जमीन पर शक्ति लगाकर सोना उगलने लायक बनाया था उस पर लम्बा जुर्माना हुआ। हमारी पार्टी ने सरकार को लिख कर दिया। हमें यह मालूम हुआ कि इनकी मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया कि इन लोगों का जुर्माना माफ कर दिया जाय। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हरिजन खेतिहर मजदूर और गैर हरिजन खेतिहर मजदूर के बीच सरकार वैभिन्य करेगी तो फिर वह कहां खड़े होंगे? इस प्रकार के वैमनस्य से उनकी कोई मदद नहीं होगी बल्कि उनकी मदद होगी जो इनके दुश्मन हैं और जो भू-स्वामी हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई सही दिशा अख्तियार की जाय ताकि भूमिहीन खेतिहरों के बीच में जो वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह समाप्त हो सके। साथ ही जो चेष्टा है कृषि उत्पादन बढ़ा कर क्रान्ति करने की उसको पूरा किया जाय। मान्यवर, मैनपुरी जिले की स्थिति को आप देखें वह बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। वहां पर एक भी ऐसा कोई कारखाना नहीं है जहां कि वहां के नवयुवकों को काम मिल सके। पिछले वर्ष तिवारी जी जब वित्त मन्त्री थे तो वहां पर गए थे, शहीद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेले के अवसर पर। मैनपुरी में 1947 में तीन शहीद हुए थे, गोली खाकर। वहीं पर वित्त मन्त्री जी जो इस समय मुख्य मन्त्री हैं उन्होंने यह ऐलान किया कि यहां पर एक चीनी मिल खुलेगी। सारी जनता में इससे खुशी की लहर दौड़ गई परन्तु वह अभी तक नहीं खुल पाई है। जब उनसे कहा गया तो कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन इसके लिए तैयार नहीं होता है। अब जब जनता यह कहती है कि आप वायदों से मुकर गए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैनपुरी गन्ना पैदा करने वाला जिला है, साथ ही वहां पर मूंगफली भी काफी पैदा होती है। वह इतनी है कि कम से कम दो डालडा के कारखाने चल सकते हैं। लेकिन इस बात को कोई भी देखने वाला नहीं है। अपने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि अपने साधनों का हम पूरा उपयोग करें। हमारे यहां एक ग्राम के अन्दर लाखों रुपयों की जमीन ग्राम सभा की है जिसका वितरण भूमिहीन लोगों में होना है। लेकिन इस भूमि पर कब्जा एक रिटायर्ड पुलिस इन्सपेक्टर का है। वह ऐसी तीन तिकड़म किया करता है कि जिससे यह भूमि भूमिहीनों को न मिल सके। कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को लेकर लड़ाई भी लड़ रही है। इस सम्बन्ध में कई लोग पकड़े भी गये। वहां के कोई एक थानेदार हैं जिनका नाम एम0 पी0 सिंह है, वह हमेशा इसमें आड़े आ जाते हैं। गलत अदमी को हटाया नहीं जा सका है। सरकार की तरफ से यह ऐलान हुआ कि 8 परसेंट तक जो जमीन है उसको नहीं बांटा जाएगा और इससे ज्यादा को बांटा जाएगा। जहां पर 8 प्रतिशत ही भूमि वितरण हो गयी है क्या वह निरस्त कर दी जाएगी? जहां पर अधिक भूमि नहीं है क्या वहां के भूमिहीन भूमि वितरण से निराश ही रह जायेंगे? इस बारे में सरकार को कोई निश्चित नीति बनानी पड़ेगी। आज कोई कानून बनता है और कल ही कोई दूसरा कानून आ जाता है। जिस से असन्तोष ही बढ़ता है। सरकार को एक निश्चित नीति के अनुसार ही काम करना चाहिए।

मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में यह कहना है कि यह तो सारे सूबे का ही सवाल है। हमारे यहां जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनाई गईं थीं उनमें से आधी सड़क यहां तो आधी सड़क वहां पर बनी पड़ी हैं। कोई पूरी नहीं हुई हैं। लाखों रुपया सरकार का बरबाद हो गया है। इसलिए जो सड़कें अधूरी बनी पड़ी है और टूट-फूट रही हैं उनको निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है। इसका कोई रास्ता आपको अवश्य निकालना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में तत्काल ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि इन सड़कों की रक्षा हो सके और नया निर्माण भी कराया जा सके।

अन्त में, मैं शहीदों के विषय में कुछ कहना चाहूंगा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही हमको आजादी मिली है और उनके बलिदान के कारण ही हम गर्व करते हैं। जिन शहीदों ने कुरबानी की हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं। हमारे यहां तीन व्यक्ति शहीद हो कर गोली से भून डाले गए उनमें से एक मेरे पिता जी भी थे। उनमें से एक शहीद का एक बेटा है जो अब नाबालिग नहीं है। लेकिन उसको हम ताम्र पत्र भी नहीं दे सकते हैं। अगर वे जीवित रहते या उसकी मां, शहीद की विधवा होती तो भी उसको सम्मानित करते लेकिन आज उसके बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ के उसको सम्मान प्रदान करने की योजना है कोई पेन्शन देने की योजना नहीं। इस बात की शिकायत तत्कालीन मुख्य मन्त्री बहुगुणा जी से, तिवारी जी से और निदेशक महोदय से भी की, लेकिन कुछ हो नहीं सका। आज तो जो आदमी दो महीने के लिए जेल हो आया उसको हर प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है लेकिन जो शहीद का पुत्र है उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हमारे यहां शहीद स्मारक के निर्माण करने का भी प्रश्न है। जहां पर शहीद हुए हैं वहां पर शासकीय पहल से ही शहीद स्मारक बनना चाहिए। हम लोगों ने 1948 में एक-एक पैसा मांग कर उस शहीद स्मारक की नींव रखी थी और उस समय से हम सभी का यह स्वप्न था कि वहां पर एक शहीद स्मारक अवश्य बन जाएगा परन्तु वह अपना सपना आज तक पूरा नहीं हो सका है। यह हमारे लिए लज्जा की बात है। जिन शहीदों की कुर्बानी के कारण आज हम यहां पर गौरवान्वित

[श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी]

हैं उनके स्मारक के निर्माण के लिए उस आवश्यक काम को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है कि शासन इस पर अवश्य विचार करे। महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ है जिसके लिए धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके तहत यह भी निवेदन है कि शासन को इन चीजों पर भी विचार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का जो भाषण हुआ है और उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन विरोधी दल की सभी कुर्सियां खाली थीं। सबसे बड़ी शिकायत उनको यह थी कि ट्रेजरी बेंचेज की ओर से कुछ कहा जाता है, वह तो छपता है लेकिन विरोधी पक्ष की ओर से जो कहा जाता है वह नहीं छपता है। लेकिन विरोधी पक्ष ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो हमारी उपलब्धियां थीं उनको हमेशा उन्होंने छिपाने की कोशिश की और उससे हमारे मनोबल को गिराया और हमेशा आलोचना के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसी सूरत में सेन्सर लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। जिस तरह से 20-सूत्री कार्यक्रम का प्रान्त के अन्य अंचलों में स्वागत किया गया उसी तरह से पर्वतीय अचल में स्वागत किया गया। लेकिन जिस समय सदन में भूमि वितरण की बात कही जाती है तो मुझे थोड़ी ईर्ष्या होती है, क्योंकि पर्वतीय अंचल में नैनीताल तथा देहरादून के थोड़े हिस्से को छोड़कर वहां भूमि वितरण तथा सीलिंग की कोई बात उत्पन्न नहीं होती क्योंकि वहां भूमि है ही नहीं और सीलिंग की बात तो पैदा ही नहीं होती। इसके अलावा भूमि का बड़ी तेजी से कटान हो रहा है। भूमि संरक्षण विभाग को यह देखना चाहिए लेकिन उसमें चुस्ती के बजाय सुस्ती है, उस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

पर्वतीय अंचल में नयाबाद वेस्ट लैन्ड ऐक्ट था उसे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर सारे प्रान्त में गवर्नमेंट ग्रान्ट ऐक्ट लागू कर दिया गया। नयाबाद वेस्ट लैंड ऐक्ट के अन्तर्गत लोगों को मकान, कृषि, गौशालाओं, प्राइमरी स्कूलों, अन्य विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध की जाती थी लेकिन अब गवर्नमेंट ग्रान्ट ऐक्ट के तहत कृषि के लिए भूमि उपलब्ध की ही नहीं जाती। केवल गौशालाओं, मकान बनाने तथा लघु उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध की जाती है और उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम 260 रुपए नाली वसूल किया जाता है। 1200 रुपए प्रति एकड़ जो प्रदेश में अन्यत्र स्थानों पर लिया जाता है वही पहाड़ी अंचल में भी लागू करने की बात कही जाती है। वह सरासर गलत है। लिहाजा नयाबाद वेस्ट लैन्ड ऐक्ट को रिवाइज किया जाय और कृषि पर भार कम करने के लिए लघु उद्योग तथा फारेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीज खोली जायं और उनमें वहां के लोगों को लगाया जाय ताकि वांछित प्रगति पर्वतीय अचंल की लघु उद्योगों के सिलसिले में हो सके। इसकी ओर मैं सरकार का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में वनों के विस्तार के बारे में कहा गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां पर एफोरेस्टेशन की बात कही गयी है और यह कहा गया कि विद्यार्थी भी वन लगावें और दूसरे माध्यम से भी वनों का विस्तार किया जाएगा।

मान्यवर, लगभग 67 फीसदी भूमि पर पहाड़ों पर वन लगे हुए हैं। पर्वतीय अंचल का हर विधायक यह मांग करता है कि वहां पर जंगलों का रिसेटिलमेंट होना चाहिए, पुन: बन्दोबस्त होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जो वहां के लोगों के हक-हकूक थे वह नजराने के तौर पर दिए जाते थे और जो आदमी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था उनको उन हक-हकूक से महरूम कर दिया जाता था। आज आप वनों का रिसेटिलमेंट कर दें या कानून बना दें लेकिन एफारेस्टेशन नहीं हो सकता है क्योंकि जो पहाड़ों के निवासी हैं वे जब तक यह नहीं समझते कि ये हमारे जंगल हैं, हमें इनकी रक्षा करनी है, उसका लाभ भी हमको ही मिलना है

और जब तक यह भावना उनके अन्दर पैदा नहीं होगी वहां के जंगल पनप नहीं सकते। वन लगाने से सारे प्रान्त और राष्ट्र का हित होता है लेकिन वहां के लोग इस बात को समझते हैं कि उनकी 67 फीसदी जमीन पर वन हैं और जब 75 प्रतिशत जमीन पर वन लगाये जायेंगे तो वहां के स्थानीय जनता के हक-हकूक मिलने चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो निगम बनाए हैं—जल निगम और जल सस्थान—उनके बारे में कहा गया है कि उनका विस्तार किया जाएगा। वहां पर 4,999 रुपए तक की पेयजल योजना थी जो कि क्षेत्र समिति के माध्यम से बनाई जाती थी और जो 4,999 रुपए से ऊपर की योजना होती थी उसे जिला परिषद् के माध्यम से बनाया जाता था लेकिन आज एक पैसे की भी पेय-जल योजना बगैर एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 के नहीं बनायी जाती। जो जल निगम है उसको बड़ी-बड़ी योजनाओं से ही फुरसत नहीं है। कितने ही काम अधूरे पड़े हुए हैं।

मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि एक गगस योजना इसी प्रकार की है जो एक करोड़ रुपये की है। रानीखेत शहर के लिए पीने के पानी की योजना बनायी गई थी जिससे ताड़ीखेत तक भी पानी मिल सकता था। लेकिन रानीखेत तक जहां कि मिलिटरी एरिया है, पानी दे दिया गया लेकिन जहां से देहाती क्षेत्र शुरू होता है, एक इंच भी पानी नहीं दिया गया। पानी पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा जाता है कि इस साल पैसा फ्रीज कर दिया गया है और कुछ झगड़ा विश्व बैंक और एल0 आई0 सी0 का है। हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। निगम के बारे में हम प्रश्न नहीं पूछ सकते। रानीखेत में जहां मेरा 20 रुपए का पानी का बिल आता था आज मेरी अपने लड़के से बात हो रही थी तो उसने बताया कि 300 रुपए का बिल मेरी तरफ गया है। जल संस्थान मुस्तैदी से टैक्स वसूल तो कर रहा है लेकिन निगमों को अपनी योजना बनाने के लिए उसके पास फंड्स नहीं हैं, विश्व बैंक का झगड़ा है। यह बात तो मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बतायी। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सारे निगमों का यही हाल है, चुस्ती के बजाय सुस्ती है। इसलिए हमें गहराई से इस विषय पर सोचना चाहिए। एक बात मैं और सड़कों के सम्बन्ध में कहूंगा। सड़कों का काम हो जरूर रहा है। लेकिन मान्यवर, वहां पर न तो कोई जलमार्ग है और न किसी और प्रकार के यातायात के साधन हैं। रेल तो सिर्फ काठगोदाम, कोटद्वार, टनकपुर आदि थोड़े ही स्थानों तक है। इससे आगे पहाड़ों पर यातायात के साधन केवल सड़कें ही हैं। सड़कों की ओर सरकार ने जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया है। इस साल कहा जा रहा है कि एक-एक पार्लियामेंटरी कान्स्टीट्यूएन्सी में केवल 40-50 किलोमीटर सड़क ही बन पाएगी। तो इससे हमारी समस्या का हल होने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि पर्वतीय अंचल की विशष परिस्थिति को नजर में रखते हुए वहां पर सड़कों का अधिक से अधिक विकास करने के लिए ध्यान दिया जाय।

अन्त में मुझे यह भी निवेदन करना है कि बिजली के लिए हाइडिल के विकास की बात की जा रही है और दूसरी तरफ आज भी देखें कि बिजली में कितना सुधार हुआ है। सुधार कुछ जरूर हुआ है। लेकिन हमने कहा था कि वहां पर माईक्रो हाइडिल से बिजली उपलब्ध कराई जाय। वहां पर ऐसे साधन हैं कि माईक्रो हाइडिल से बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन अभी तक मस्तैदी से उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। माइक्रो हाइडिल से बिजली पैदा करने के बारे में पर्वतीय अंचल में अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पर्वतीय अंचल के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कोई माननीय सदस्य बोलने वाले ही नहीं हैं। क्या कोई माननीय सदस्य बोलने वाला ही नहीं है ?

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मुझको उपाध्यक्ष महोदय, मालूम हुआ था कि पौने तीन बजे मुख्य मन्त्री जी बोलेंगे इसलिए मैं आ गया। उनका समय था बोलने का, उनके बाद मैं बोलता और फिर श्री धर्मसिंह बात खत्म करेंगे। तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। यह भी एक वजह है कि इस गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए। अब क्या किया जाय? मेरे नामाराशि डाक्टर साहब क्या कहते हैं।

कुमारी रमा पन्त (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस सदन में प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूं। विरोधी दल की ओर से आपात्स्थिति के बारे में कहा गया कि कांग्रेस बेंचेज से जब भी बातें की जाती हैं उसी का जिक्र होता है। उनका कहना है कि आपात स्थिति में ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। लेकिन मान्यवर, इस सन्दर्भ में इनका जो कार्यक्रम था उसमें इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इस समय उसकी चर्चा के अलावा और है भी क्या? महामहिम राज्यपाल के भाषण के बारे में विरोध पक्ष की ओर से यह कहा गया कि उसमें वर्तमान नीतियों का प्रतिबिम्ब नहीं है। उदाहरण देते हुए कहा गया कि पहले जो भाषण हुआ करते थे उसमें आगे आने वाली नीतियों की ओर इशारा किया जाता रहा है। लेकिन मैं विरोधी पक्ष से यह पूछना चाहती हूं कि यह जो बीस-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है क्या वह आने वाली नीतियों को प्रतिबिम्बित नहीं करता है? और क्या प्रतिबिम्बित नहीं करता है कि पहले देश और प्रदेश की क्या स्थिति थी और इस कार्यक्रम को लागू करने के उपरान्त आज क्या स्थिति है? विरोध पक्ष के एक सदस्य कह रहे थे कि जो सोए हुए हैं उनको जगाना सरल है, लेकिन जो नीतियों की ओर से आंख मूंदकर सोए हुए होने का बहाना कर रहे हैं, उनको जगाना मुश्किल है, उनको नहीं जगाया जा सकता है। आज मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूं कि आज जिस चीज को पूरे प्रदेश और देश की जनता देख रही है और जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी ओर से अब वह क्यों सोए हुए हैं। जो पहले घोर अराजकता की स्थिति थी यह अब समाप्त हो गई है और पूरी जनता को और इधर के लोगों को आशा बंधी है कि अब उनके सपने पूर्ण होंगे। हमारे कुछ प्रतिनिधि कुछ भूल-भटक भी जाते हैं, जिसकी वजह से जनता के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं उनको क्या सोया हुआ मान लिया जाए या यह मान लिया जाए कि सोने का बहाना किए हुए हैं? जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण किया है, उसका साफ अर्थ है कि बीस-सूत्री कार्यक्रम में देश और प्रदेश के विकास का मूल निहित है। इधर के लोग तो उसका समर्थन करते ही हैं। गरीब जनता को यदि समाजवाद की राह पर लाना है तो जातीय ऊंच-नीच और धन की दीवार को तोड़ने से ही बात हो सकती है। यह कार्यक्रम चलेंगे तो विकास होगा और विकास की राह खुलेंगी तो उनकी नीतियों को हमें आगे बढ़ाना होगा। विरोध पक्ष के बड़े बुजुर्ग सदस्य तक यह कहते हैं कि यह लोग अपनी नेता इन्दिरा गांधी की जय जयकार और बड़ाई करते हैं। यह वही दल है, जिसका अपनी नेता इन्दिरा गांधी पर अटूट, अटल और अपूर्व विश्वास है। वही दल और राष्ट्र उन्नति कर सकता है, जिसको अपने नेता पर पूरा विश्वास हो और उसके मार्ग-दर्शन में चलता हो। हम सब अपने नेता के पीछे चलते हैं।

विरोध पक्ष में तो उनका अपने नेता पर ही विश्वास नहीं है। हम अपने नेता की जय जयकार नहीं करेंगे, नेतृत्व पर हमें विश्वास है, तो किसकी जय-जयकार करेंगे? विरोध पक्ष को भी अपने नेता पर विश्वास करना चाहिए। यह नहीं है तभी तो कभी दो दल, कभी चार दल मिलते हैं और कभी टूटते हैं। कुछ उधर के भाइयों ने यह शिकायत की कि जेल में उनको यातनायें दी गईं और उनके मनोबल को तोड़ा गया और उनसे वायदा कराया गया कि 20-सूत्री कार्यक्रम का पूरा समर्थन करेंगे और इन्दिरा गांधी पर विश्वास करते हैं। यह बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे यहां कहावत है सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए

तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यदि वह अब भी अपनी गलती को समझकर वापस आ गए हैं तो कोई हर्ज नहीं है और यह उनकी समझदारी है। ये लोग यह बहाना क्यों बनाते हैं, समझ में नहीं आता है। मैं नेता विरोधी दल का बहुत नाम सुनती थी, उन्हें देखा तो नहीं था, इस बार मुझे उनके भाषणों को सुनने का मौका मिला। लेकिन विरोध पक्ष का यह वक्तव्य कितना भ्रान्तिपूर्ण है कि उनके मनोबल को तोड़ा गया है। अब वह राह पर आ गए हैं। यह कार्यक्रम तो वह परीक्षा, वह कसौटी है, जिस पर हमें विकास करना है। इन्हीं सूत्रों पर चलकर जनता का विकास होना है। यह तो देखने की बात है और अगर जिन सदस्यों ने उनको स्वीकार किया है और हमारे दल में शामिल हुए हैं हम उनका बहुत ही स्वागत करते हैं। आज उनके सामने स्थिति यह आयी है कि वह दल छोड़कर आए हैं। दल छोड़ कर आए हैं तो क्या बात है? अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं।

यहां पर इंग्लैन्ड का उदाहरण दिया गया। कहा गया कि हैराल्ड विलसन ने इस्तीफा दिया। यह नहीं देखा कि उनकी पार्लियामेन्टरी पद्धति क्या है। तो जहां विरोधी पक्ष का जैसा रुख रहता है वैसे ही बोलता है। शासन पक्ष में जो उनका नेता होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, उस पर पूरे शासन पक्ष के लोग भरोसा रखते हैं। यह कोई किसी को समझाने की बात नहीं है। आप स्तर को देखते हैं, तो दोनों दलों के स्तर को देखिए उनकी राष्ट्रीय भावना को देखिये। यहां पर हमारी माननीय प्रधान मन्त्री जी ने जो कदम उठाया है वह यहां की परिस्थितियों को देखते हुए किया है। आप भले ही जो कुछ चाहें विरोध करते रहें लेकिन जनता आपके भुलावे में आने वाली नहीं है। आज आपात्-कालीन स्थिति में जनता को जो लाभ हुआ है सभी लोग उसको जानते हैं। जनता स्वयं कहती है कि आज जो यह आपात्कालीन स्थिति है इससे उसे लाभ हुआ है। इन शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है मैं उसका समर्थन करती हूं और जो विरोधी दल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं घोर विरोध करती हूं।

(श्री मुन्शी लाल के बुलाए जाने पर)

चौधरी चरण सिंह—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि अब ये बेतजुर्बेकार लड़के और लड़कियां जो आपके पीछे बैठ हुए हैं जिन्हें कुछ डिमोक्रेसी का, दुनियां का मालूम नहीं है .....

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। यह बेतजुर्बेकार बात कहना असंसदीय बात है।

(श्री नारायणदत्त तिवारी जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैंने माननीय मुंशीलाल जी को बुला लिया है।

*श्री मुन्शीलाल (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिये आपने मुझे समय दिया है उसके लिये मैं आभारी हूं। श्रीमन्, इधर से और उधर से जो अभिभाषण पर चर्चा हुई उसमें मुख्य विषय विरोधी नेता चौधरी चरण सिंह का था। मैंने चौधरी साहब का सारे का सारा भाषण बड़ी लगन और शान्ति से सुना। माननीय चौधरी साहब ने बजट भाषण पर और अनुपूरक बजट पर जो अपने विचार रखे हैं उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में हो। वह केवल आपात्कालीन स्थिति और हमारी प्रधान मंत्री के ऊपर ही कहते रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुन्शी लाल]

वह प्रधान मंत्री जी के बेटे और पौत्र पर ही बोलते रहे इस के अलावा और कुछ भी उन्होंने अपने भाषण में नहीं कहा और न कोई अन्य ठोस सुझाव ही दिया। इससे बड़ी निराशा हुई है।

आपके माध्यम से मान्यवर, यह बता देना चाहता हूं कि आपात्कालीन स्थिति से बहुत सुधार हुआ है। 20 सूत्री कार्यक्रम से हमारी सरकार एक क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहती है। यह किसी से छिपा नहीं है। चौधरी साहब ने अपने 4 घंटे के भाषण में इसके विपरीत ही स्पीच दी है। इस बात का कोई सुझाव नहीं दिया है जिससे देश की जनता को सुविधायें मिलतीं और उसको कुछ राहत मिलती।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मुन्शी लाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो 2 मिनट का समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। श्रीमन्, मैं बता देना चाहता हूं कि जब चौधरी साहब की सरकार थी तो वह यही कहा करती थी यह किया वह किया। मैं उनको सन् 67 से देखता चला आ रहा हूं। वह सरकार की सारी त्रुटियां ही निकालते रहते हैं। जनता के हित की कोई बात नहीं कहते हैं। विरोधी पक्ष हमेशा यह कहता है कि यह काम नहीं हुआ ? मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि आपात्कालीन स्थिति की घोषणा से देश और प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिली है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। मान्यवर, अगर हम अच्छा भी काम करेंगे तो यह उसका विरोध करेंगे। अपोजीशन लीडर ने यह नहीं कहा कि यह अच्छा काम है। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पर प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष की ओर से जो संशोधन रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य बुलन्दशहर, श्री धर्म सिंह और माननीय सदस्य मिर्जापुर श्री रूद्र प्रसाद का आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मैं नेता विरोधी दल, विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्य एवं अपने दल के सहयोगियों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस अभिभाषण के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए। नेता विरोधी दल ने अपने मौलिक भाषण में, मैं इसलिए मौलिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि उनका जैसा व्यक्ति पार्लियामेन्टेरियन अगर विषय के एक सार्वजनिक स्वरूप को लेकर केवल उस पर अपने भाषण को सीमित करता है तो अवश्य वह एक

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री माता प्रसाद पीठासीन हुये।)

मौलिक भाषण है। मैं उनके मौलिक भाषण तथा अन्य सदस्यों ने जो उसी संदर्भ में अपने सुझाव व्यक्त किए हैं, मैं उनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय नेता विरोधी दल से व्यक्तिगत रूप से क्षमा भी मांगना चाहता हूं। मैं उनसे यह भी आग्रह करूंगा कि वे मेरी इस बात को सुन लें। यद्यपि उन्होंने कई बार मेरा व्यक्तिगत नाम लिया लेकिन मैं उनका व्यक्तिगत नाम लेने की धृष्टता नहीं करूंगा लेकिन उन्होंने जो बातें कहीं उस सन्दर्भ में अगर मुझे उनके विचारों की आलोचना करनी पड़े तो वे कृपया उसे स्वीकार करेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

अगर वे यह आलोचना करना चाहते हैं तो किसी विषय को लेकर सदन में रख दें, मुझे स्वीकार है। मैंने तो मौजूदा जो आपात्स्थिति लागू है और उसके जो नतायज होंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उनके बारे में कहा है। अगर वे उसका जवाब दे सकें तो हम भी आपकी राय के हो जायेंगे और आपको हुकूमत करने में आसानी हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं आपके भाषण पर ही अपने को संदर्भित करूंगा। क्षमा करेंगे, मुझे कुछ ऐसा लगा कि पिछले महीनों में जो राजनीतिक घटनायें हुई हैं, उनसे यह स्वाभाविक है कि नेता विरोधी दल को कष्ट हुआ और उन्हें जेल में जो अनुभव हुआ और जेल के बाहर जो उन्होंने सुना, उससे उनको वेदना हुई होगी। मुझे लगा कि उस कष्ट और वेदना के बाद उनके जो विचार थे वे कुछ परिपक्व हो गये और अपने विचारों की परिपक्वता में जो उनके मौलिक विचार हैं, प्रत्येक सदस्य, बहुत कम सदस्य रह गये, उनसे अवगत हैं। मैंने जिस तरफ वे बैठते हैं उस तरफ बैठ कर भी उनके विचारों को सुना।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, आपकी इजाजत से बहुत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपको अगर कोई लीड देना है तो अच्छी तरह से सदन में बहस हो जाय। मैं तो महानिकृष्ट व्यक्ति हूं, मेरे विचारों को तो छोड़ दें। मेरे विचारों से प्रभावित होकर यह नहीं होने वाला है। देश में जो डिक्टेटरशिप हो रही है, क्या है? उसका मतलब आपका क्या है, आपके विचार क्या हैं? बस यही बहस है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय नेता विरोधी दल मुझे कुछ देर सुन लें उसके बाद वे अपना उत्तर दे दें तो मैं उनका आभारी हूंगा। बार-बार कहा गया इस आपात्कालीन स्थिति के बारे में कि इसकी घोषणा जिस संदर्भ में हुई, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसके क्या कारण थे? उनका कहना है कि हमने तो यह कहा था कि प्रधान मंत्री त्यागपत्र दे दें और उसी की मांग करने पर एक प्रस्ताव पारित हुआ और उसके पारित होने पर गिरफ्तारियां हुईं और इमरजेन्सी लागू कर दी गई। इमरजेन्सी लगा दी गयी, सेन्सरशिप कर दी गयी और आज 1 लाख 30 हजार आदमी जेल में बन्द हैं, ये सारी बातें नेता विरोधी दल ने कहीं। पिछले महीनों में जो लगातार पहले गुजरात में हुआ, फिर बाद को बिहार में हुआ और फिर सारे देश में जो करने का प्रयास हुआ, अगर नेता विरोधी दल शासन में होते तो जो इन्दिरा गांधी जी ने इतनी देर में किया वह उससे बहुत पहले कर दिये होते। गुजरात में क्या हुआ, मैं उसकी लम्बी कहानी में नहीं जाना चाहता, किस प्रकार एम0 एल0 एज0 को बाध्य किया गया महीनों तक हर गैरकानूनी तरीके से कि वह इस्तीफा दें। गाली-गलौज कर के, हर तरीके से यह कोशिश की गयी कि गुजरात की सरकार न चले। जितनी भी गैरकानूनी बातें हो सकती थीं वह गुजरात में की गयीं। उस आन्दोलन में 95 लोग मरे, 973 घायल हुये, 896 लूट और आगजनी की घटनाएं हुईं और ढाई करोड़ रुपये की सम्पत्ति जली और महीनों तक यह बात चलती रही और आखिर में चुनी हुई बहुमत की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा इसलिये कि एम0 एल0 एज0 से जबर्दस्ती इस्तीफा लिखवाया गया। यह भी संविधान की मर्यादा के विपरीत था। इस सम्बन्ध में सन् 71 का बी0 के0 डी0 का एलेक्शन मैनिफेस्टो मेरे पास है जिसमें उन्होंने बार-बार यह कहा कि हमारा यह विचार है कि अगर कोई गवर्नमेंट चुन जाती है तो फिर हमें उसे बदलने का अधिकार है, पब्लिक ओपीनियन को एजूकेट करने का अधिकार है और कोई तरीका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। 71 को मुश्किल से 5 साल हुये हैं अनकांस्टीट्यूशनल एजिटेशन्स का एक चैप्टर है। इसकी आखिरी लाइनें इस प्रकार हैं :

"Satyagrah can, therefore, have no place in the public life of India today."

आज के भारत के सार्वजनिक जीवन में सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"In case of a difference of opinion with the government of the day on issues of general importance the B.K.D. will educate public opinion so that it may be returned in a majority in the next general election.'

अगर उस समय की सरकार से कोई मतभेद होता है किन्हीं भी सार्वजनिक मसलों पर तो बी० के० डी० जनमत को शिक्षित करेगी ताकि वह दूसरे आम चुनाव में बहुमत में आये ।

गुजरात में ऐसा नहीं हुआ । गुजरात के बाद बिहार में क्या हुआ उसके ब्योरे में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आंकड़े प्रस्तुत हैं उनके आधार पर बिहार में 544 हिंसा की घटनाएं हुई, 54 बार गोलियां चलीं, 500 से अधिक व्यक्ति घायल हुये और 70 व्यक्ति मारे गये । महीनों तक जो कुछ हुआ उसका यह परिणाम हुआ । फिर बिहार में जो एजिटेशन हुआ वह कांस्टीट्यूशनल एजिटेशन नहीं हुआ । जनता सरकार और जनता अदालतें बनायी गयीं । दिसम्बर, 74 में बिहार में अनेक ब्लाकों में चुनी हुई सरकार के पैरेलेल सरकार मुकर्रर की गयी । मुझे विश्वास है कि माननीय नेता विरोधी दल कभी भी इस राय के नहीं हो सकते कि जो कुछ वहां किया गया, लेकिन यह सब परिस्थिति सारे देश में पैदा की गयी । यह प्रयास किया गया कि हिंसात्मक तरीके से सरकार को बदला जाय । साथ ही यह भी चेष्टा हुई कि पुलिस और फौज को भी भड़काया जाय । मान्यवर, 25 जून को दिल्ली में जो सभा हुई उसमें जो कुछ कहा गया उसके कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूं--

"He called upon the army, the police and government employees not to obey any order which they considered wrong." "..... Friends, this civil disobedience will be of varied types. A time may come when, if these people do not listen, it may be necessary to derecognise the government. ....."

यह सब 25 जून को इमरजेन्सी लागू होने के पहले कहा गया । हर जगह हिंसात्मक तरीके से चुनी हुई सरकारों को बदलने का प्रयास किया जाता रहा । रेलवे की हड़ताल के लिये भी प्रयास किया गया और कर्मचारियों को भड़काने की चेष्टा की गयी । उनके नेता ने जो कहा मैं उसे भी पढ़ देना चाहता हूं--

"Seven days strike of the Indian Railways—every thermal station in the country would close down. A ten days strike of the Indian Railways—every steel mill in India would close down and the industries in the country will come to a halt for the next 12 months. If once the steel mill furnace is switched off, it takes nine months to re-fire. A 15-days strike in the Indian Railways—the country will starve."

तो इन सब बैकग्राऊन्ड को देखना पड़ेगा । माननीय नेता विरोधी दल ऐसी बातों से सहमत नहीं होंगे, न हो सकते हैं । मगर उनको जबदरस्ती सहमत होना पड़ा है । मैं उनसे यह अवश्य कहूंगा कि वे कृपया अपनी पुरानी विचारधारा को देखें । अब मेन्टीनेन्स, आफ ला ऐंन्ड आर्डर के बारे में बी० के० डी० के मैनीफेस्टो में जो कुछ कहा गया है उसे भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, 20 फरवरी का यह है—

"The B.K.D. would maintainl aw and order in strict in accordance with legal enactments and the Constitution, irrespective of any consideration whatsoever.....The B·K.D. stands firmly against all attempts to erode the authority of government as expressed in the form of law. It would therefore, curb with a strong hand all subversive and disintegrating forces and tendencies whether they raise their head in the name of a po'itical ideology, region, language or community"

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुय ।)

इसलिये वह बड़ी सख्ती के साथ, मजबूत हाथों से इन बातों में जो सहायता करे उसका विरोध करे और विकेन्द्रित करने वाली, कमजोर करने वाली शक्तियों और इरादों को दबाये जो राजनीतिक विचारधाराओं, क्षेत्र, भाषा या समता के नाम पर करती हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा जी ने केवल यही किया है जो कि इस किताब में लिखा हुआ है, और कुछ नहीं किया है। भारत के नेता और राष्ट्रपति ने इमर्जेंशी को घोषित करने में बहुत देर की शायद माननीय नेता विरोधी दल वहां होते तो बहुत पहले ही कर देते। बिहार और गुजरात में क्या हुआ ? उसके बारे में मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है और भारत सरकार को कंडेम किया है :-

"The B.K.D. believes in the maxim that the government, elected as it is by the people, is entitled to take every step and employ every means that the Constitution places at its disposal, in order to defend itself against the emergence of a parallel power which defies or challenges its authority."

बी0 के0 डी0 विश्वास करता है कि जनता द्वारा जो सरकार चुनी गयी हो उसे प्रत्येक कदम उठाने का अधिकार है, उसे प्रत्येक तरीके इस्तेमाल करने का अधिकार है, जो संविधान ने उसके हाथों में दे रखा है। अगर कोई समानान्तर शक्ति उसकी अथारिटी को चैलज करती है या उसका विरोध करती है उसके मुकाबले में, तो इन्दिराजी ने यही किया। पैरेलल जनता सरकार बन रही थी, जनता अदालतें बिहार मे बन रही थी, पुलिस और फौज को उकसाया जा रहा था इसलिये कांस्टीट्यूशन का हथियार इमर्जेंसी का ही था। इसलिये वही तरीका अख्तियार किया गया और इमर्जेंसी का इस्तेमाल करके देश को बचाया गया। इसकी आखिरी लाइन पढ़ने लायक है -

"It would not have, therefore, allowed West Bengal to degenerate into a blazing, shameful inferno that it has become today, while, to our abiding shame, there is still a so-called Government which functions in New Delhi."

यह तो मैनिफेस्टी में लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल जल रहा है और कमजोर सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। इन्दिरा जी की ही उस समय सरकार थी 71 में। बी0 क0 डी0 की अगर सरकार होती तो वह भी इसे बर्दास्त नहीं कर सकती थी। बिहार में आगजनी होती ह, गुजरात में आगजनी होती है, दूसरे प्रान्तों में आगजनी होती है और उसको रोकने के लिये इमर्जेंसी का कदम उठाया जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिये। बजाय यह कहने के कि क्या कर दिया। वेस्ट बंगाल की बात हो रही थी तो जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही थी, लिखित रूप में मैनिफेस्टो है। इसमें और कोई बात नहीं है। मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है।

श्रीमन्, जुडिशियरी के सम्बन्ध में बहुत जोरों से आया। जैसे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया और बहुत सी बातें कही गयीं। जिस हाईं कोर्ट ने प्रधान मंत्री के पेटिशन को नामंजूर किया या मंजूर नहीं किया और पेटिशनर की बात को मान लिया, उसी हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर भी दिया। अगर हाईकोर्ट स्टे आर्डर नहीं देता, उसी जस्टिस सिन्हा ने स्टे आर्डर दिया और पेटिशन को माना। जितने दिन के लिये स्टे आर्डर दिया उसी में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधान मंत्री बनी रहेंगी और अपील की तारीख लगा दी। तो फिर कहां तक गुंजाइश थी कि प्रधान मंत्री वे अब नहीं रहें ? एक दिन या एक सेकंड के लिये भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहिये ? उन्होंने स्टे आर्डर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम पर यह कहा जाय कि उनको इस्तीफा दे देना

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चाहिये, यह कहां तक उचित है ? प्रधान मंत्री का जो पद है, जो गरिमा है आज से नहीं जवाहरलाल नेहरू जी के समय से हमारे देश में उसकी एक मान्यता है। जो यह बार बार कहा जाता है कि प्रधान मंत्री कानून से परे हैं तो वह परे नहीं है। लेकिन प्रधान मंत्री कानूनी व्यवस्था और शासन की प्रतीक हैं इसलिये प्रधान मंत्री के पद को जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसको एक विशेष स्थान प्राप्त है। इंदिरा जी के समय से नहीं लाल-बहादुर जी के समय से है। जब प्रधान मंत्री बोलती हैं तो भारत बोलता है, जब प्रधान मंत्री वक्तव्य देती हैं तो भारत वक्तव्य देता है। इसलिये मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा नेता विरोधी दल से कि जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिये कहा कि 'उन्होंने कहा इंडिया इज इंदिरा 'इंदिरा इज इंडिया' तो उसका तात्पर्य यह था कि भारत की प्रतिनिधि इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी भारत की प्रतितिधि है और भारत का प्रतिनिधित्व इंदिरा जी करती हैं। यदि कल को कहें कि चौधरी चरण सिंह इज अपोजीशन' या 'अपोजीशन इज चौधरी चरण सिंह तो इसका मतलब यह नहीं कि चौधरी चरण सिंह अकेले हो गये। सभी ने मिलकर चौधरी साहब को विरोधी दल का एक प्रतीक माना है। वह अपोजीशन के लीडर हैं। इसलिये चौधरी चरण सिंह विरोधी दल हैं या विरोधी दल चौधरी चरण सिंह हैं। उसका अर्थ यह है कि वह एक अपोजीशन क प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार भारत की प्रतिनिधि आज इंदिरा जी हैं वह भारत की करोड़ों जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति करती हैं कांग्रेस पार्टी की नहीं। मैं समझता हूं और सारे देश की मान्यता है कि जब वह दूसरे देशों के सामने कोई वक्तव्य देती हैं तो वह सारा भारत वक्तव्य देता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिये उस फ्रेज को रखना विरोधी दल को शोभा नहीं देता है।

मान्यवर, जुडीशियरी की बात कही गयी। दिल्ली की मिसाल उन्होंने दिया कि जजों को सुपरसीड किया गया। आप जानते हैं कि 20–21 हाईकोर्ट हैं, सुप्रीमकोर्ट है। ऐसा कभी नहीं होता और मुझे याद है कि 1953–54 में जब शायद पंत जी मुख्य मत्री थे तो गवर्नमेंट सरवेन्ट कंडक्ट रूल्स के बारे में एक कमेटी बनी थी। उसमें केवल सीनियर होने के नाते प्रोमोशन हो जाय यह नहीं था। उसके संबंध में पंत जी के जमाने से इस प्रदेश में जो गवर्नमेन्ट सरवेन्ट कंडक्ट रूल्स थे उसमें सीनियारटी का मापदंड नहीं होगा यह शासन का मौलिक विचार था और पंत जी के जमाने से हो रहा है। यह केवल जजों के लिये नहीं। मैं समझता हूं कि बहुत सी ऐसी बातें पैदा होती हैं जो सीनियारटी पर नहीं होती है। यदि किसी कारणवश कोई जज सुपरसीड हो गया, तो यूनियन गवर्नमेंट राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और राज्यपाल आदि 4–5 एजेन्सियां मिलकर जजों का चयन करती हैं। यह कह देना कि केवल दिल्ली में किसी कुलदीप नय्यर को इस तरह सुपरसीड कर दिया तो जब तक उसका दूसरा पक्ष न मालूम हो तब यह कहना उचित नहीं है। नेता विरोधी दल जब शासन में थे तो यह कहा करते थे कि कभी भी एक पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं लेना चाहिये, दूसरा पहलू क्या है इसको भी देख लेना चाहिये। मान्यवर, जहां तक जमानत जब्त करने की बात है तो इसी मैनीफेस्टो से पढ़कर मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं :

"The B.K.D. aims at a radical change in the existing judicial system in the country that we borrowed wholesale from the British."

बी० के० डी० की राय में जो पद्धति अंगरेजों से ले ली है उसमें रेडिकल परिवर्तन, रेडिकल की क्या हिन्दी है, इसलिये रेडिकल ही इस्तेमाल कर रहा हूं, की जरूरत है।

"While retaining the advantages of the present system in regard to full opportunity being given to both the parties to a legal proceeding, to establish their case, the B.K.D. proposes to overhaul the procedural law and where necessary, the substantive law also, in order that justice is really done and the guilty punished, and that delay, perjury, corrup-

tion and undue expenditure are avoided. The right to be released on bail and the right to file a writ, which are being greatly abused, will in particular be curtailed."

इसका अर्थ यह है कि इस समय जो व्यवस्था है, इसके जो लाभ हैं उनको रखते हुए और अलग-अलग पार्टी को पूरा अवसर देते हुए कानून में परिवर्तन किये जायेंगे ताकि देरी, भ्रष्टाचार और खर्चा कम किया जा सके। साथ ही जमानत पर छूटने का अधिकार और रिट फाइल करने का अधिकार जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको नियंत्रित किया जायगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या उनके मौलिक विचार हैं और क्या उनके भावनात्मक विचार हैं। अब श्रीमन्, संविधान की मौलिकता के बारे में बहुत कुछ विचार व्यक्त किये गये। मुझे क्षमा करेंगे। उनके मौलिक विचारों का उल्लेख इस मैनीफेस्टो के पैरा 13 में है :

"The BKD holds that, inasmuch as the present tvpe of democratic government has failed to provide a stable and efficient administration to the country, it be replaced by a non-parliamentary type as obtained in the US where the Chief Executive of a State or the Union will be elected directly by the people for a fixed period of time, with no sword of removal or no confidence hanging over his head all the time.

यानी बी0 के डी0 का यह विचार है कि वर्तमान प्रजातंत्र सरकार का जो तरीका है यह स्थायी और कुशल प्रशासन देने में सफल नहीं रहा है इसलिये जो हेड है उसका अमेरिका की तरह नान-पार्लियामेन्टरी टाइप चुनाव हो जिससे कि उसके सर पर तलवार न लटकी रहे। इन्दिरा जी के साथ वही होता रहा है कि 'हटो'। बहुमत हमारे साथ है लेकिन तलवार लटकी है। देश का बंटवारा हो, इन्दिरा हटाओ, यही नारे लग रहे हैं। जो तलवार यहां लटक रही है वह हिंसा की, घिराव की, हड़ताल की, तोड़फोड़ की लटक रही है। यह जो कुछ भी किया गया है वह असाधारण नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविकता है इतिहास के अन्दर। मुझे एक कानून की याद आती है जो इसी सदन के अन्दर पास हुआ था 70–71 में, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी निवारण अधिनियम और यह एस0 बी0 डी0 सरकार में पास हुआ था। यहां जो कहा गया कोर्ट्स के क्या अधिकार हैं और उनको क्या करना चाहिये? इमरजेंसी पावर्स गलत हैं तो मैं देखता हूं कि इस कानून में भी कोई कम शक्ति नहीं ली गयी है। सन् 70 में टी0 एन0 सिंह जब मुख्य मंत्री थे उससे पहले यह कानून स्वीकार हो चुका था। इसमें उपधारा 2 को मैं पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है :—

पद " किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही करने जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(क) कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी भी आधार पर, चाहे वे जो भी हों, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अभ्यर्पण कराने या संघ से भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संबंध विच्छेद कराने का अभिप्राय हो, अथवा जिससे ऐसा कर के किसी दावे का समर्थन होता हो, या जिससे भारत की प्रभुता और उसकी राज्य क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार किया जाय, या उस पर आपत्ति की जाय, या उसे विच्छिन्न किया जाय अथवा विच्छिन्न करने का आभिप्राय हो, या

(ख) कोई ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को घातक हाथियारों के प्रयोग से उलटना या समाप्त करना हो, या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने के लिये व्यक्तियों को संगठित करना या उन्हें उकसाना अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अब आप देखें कि इसमें घातक हथियार का तात्पर्य क्या है ? इस उपधारा में "घातक हथियारों" का तात्पर्य अग्नेयास्त्रों, विस्फोटक या संहारक पदार्थ, तलवारों, ढालों, कटारों तथा चाकुओं से है। किसी सरकार को पलटने के लिये हिंसात्मक तरीके से फौज और पुलिस को उकसाना, यह क्या है ? इसे कांग्रेस हुकूमत ने नहीं पास किया था, संयुक्त विधायक दल की सरकार ने पास किया था और इसके पीछे वही मौलिक स्ट्रक्चर है।

चौधरी चरण सिंह—

आखिर इसका प्रोसीजर क्या है वह भी तो बतलाइये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसमें व्यक्तियों को संगठित करना या उकसाना अथवा उसे करने की आवश्यकता या वांछनीयता का समर्थन करना अब फौज और पुलिस की आवश्यकता या वांछनीयता का कोई समर्थन करता है तो इस कानून के अन्तर्गत आता है ?

चौधरी चरण सिंह—

नहीं आता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अब यह कहा गया कि डाक्टर अम्बेडकर ने यह कहा कि यह जो इमरजेन्सी का अधिकार है यह डेड लेटर रहेगा, इसका प्रयोग ही नहीं होगा। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से कहना चाहूंगा क्योंकि यह एक मौलिक बात है। डाक्टर अम्बेडकर उस समय विधान निर्माता थे और उनका विचार था.....

चौधरी चरण सिंह—

मुख्य मंत्री जी अधिनियम में से पढ़ रहे थे। अब अगर कोई न माने तो उसकी सजा क्या है ? क्या वह कचहरी में नहीं जा सकता, अदालतों के सामने कारण नहीं रख सकता और अदालतों में बिना उसकी सुनवाई के क्या उसे जेलों में रखा जा सकता है ? असल बात आपने इसकी पढ़ी ही नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं दूसरी बात एस्टेब्लिश कर रहा था। मैं यह कह रहा था कि उकसाना दंडनीय कैसे है ? इसकी परिधि बतला रहा था जो इसमें लिखा हुआ है कैसे आफेन्स हो जाता है। अगर ये ऐबनार्मल पावर्स हैं तो इसके लिये एडवाइजरी कमेटी बनती है। मीसा के लिये एक एडवाइजरी कमटी बनी है। तीन जज की वह कमेटी है....

चौधरी चरण सिंह—

कोई नहीं बनी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हर मीसा का मामला कमेटी के सामने जाता है। श्रीमन्, डाक्टर अम्बेडकर ने एक जगह नहीं कई जगह पर भाषण दिया है। उन्होंने कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली की डिबेट्स, वोल्युम 9 के पेज 134 में कहा है—

"With regard to article 278, the first thing that is to be noted is that the President is to act on a report from the Governor or otherwise. The original Article 188 merely provided that the President should act on the report made by Governor the word 'otherwise' was not there. Now it is felt that in view of the fact that Article 277-A, which precedes Article 278, imposes a duty and obligation upon the Centre, it would not be proper to restrict and confine the action

of the President, which undoubtedly will be taken in fulfilment of the duty to the report made by the Governor of the province. It may be that the Governor does not make a report. None the less, the facts are such that the President feels that his fact are such that the President feels that is intervention is necessary and imminent. I think that as a necessary consequence to the introduction of the article 277-A (duty of the Union protect state against external aggression and internal disturbance"....

पहले अदरवाइज शब्द नहीं था। केवल यही था कि गवर्नर रिपोर्ट भेजेगा और प्रेसीडेन्ट ऐक्शन लेंगे। यह इसलिए जोड़ा जा रहा है कि गवर्नर यदि रिपोर्ट नहीं भी देता है तो भी प्रेसीडेन्ट अपनी सूचना के आधार पर कर सकता है।

यदि राष्ट्रपति शासन हो और कोई परिस्थिति पैदा हो जाय उस वक्त यदि कान्टीट्यूशन चुपचाप रहे तो उसके बनाने वालों की बुद्धिमत्ता की कौन सराहना करेगा। कहीं कंटिन्जेन्सी हो सकती है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें संविधान में प्राविधान करना है। इसीलिए इमरजेन्सी या राष्ट्रपति शासन का प्राविधान किया गया। हमारे जो फाउन्डिंग फादर्स थे उन्होंने भी इन सब प्रश्नों पर विचार किया और बहस की है। श्रीमन्, आगे चलकर डाक्टर अम्बेदकर और पं० हृदयनाथ कुंजरू में डाइलांग होता है—

Pt. Hirday Nath Kunjru (United Provinces General): May I ask my Hon. Friend to make one point clear? Is it the purpose of article 278....

चौधरी चरण सिंह—

इसमें आर्टिकिल 278 का क्या मलतब है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आपने भी इसी आर्टिकिल को रिफर किया था।

चौधरी चरण सिंह—

मैंने तो 352 पढ़ा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आर्टिकिल का नम्बर बदल गया है। उन्होंने कहा है—

"....It is the purpose of articles 278 and 278-A to enable the Central Governmet to intervene in provincial affairs for the sake of good government of the Province ?

The Hon. Dr B. R. Ambedkar: No, No. The Centre is not given that authority."

उन्होंने पूछा कि क्या इन आर्टिकिलों का यह मलतब है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को स्टेट गवर्नमेन्ट के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है ?

डाक्टर अम्बेडकर ने कहा—नहीं, सेन्टर को वह अधिकार नहीं दिया गया है।

Pt. Hirday Nath Kunjru: on only when there is such misgovernment in the province has to endanger the public peace.

उन्होंने कहा जब इतनी खराब सरकार बन जाय कि शांति को उससे खतरा हो जाय।

The Hon. Dr. B. R. Ambedkar only when the Govt. is nto carried on in consonance with the provisions laid down whether there is good govt. or not in the province is for the Centre to determine I am quite clear on the point.

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

ठीक सरकार है या नहीं राज्य में इसका फैसला करने का अधिकार केन्द्र का है। इस बारे में बिलकुल स्पष्ट हूं। अब जिस सन्दर्भ में नेता विरोधी दल ने डा० अम्बेडकर का कोटेशन दिया उसे भी हमें सारे तथ्यों को दृष्टि में रखकर देखना चाहिये। कौन चाहेगा राष्ट्रपति शासन हमेशा लागू रहे या इमरजेन्सी हमेशा लागू रहे। श्रीमन् इस सन्दर्भ में जब सरदार पटेल ने 1950 मे प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट कहा था उन्होंने मोतीलाल नेहरू जी को कोट किया। ऐसी स्थिति कब आयेगी जब "मैन उड नाट बी मैन एण्ड ला उड नाट बी ल.' यह मोतीलाल नेहरू के अमर शब्द हैं। यानी जब मनुष्य--मनुष्य का काम नहीं करेगा और कानून-कानून नहीं रह जायेगा। जब आदमी हर एक कानून को तोड़ने लगेंगे और कानून को अपने हाथ में ले लें तब असाधारण कानून की आवश्यकता पड़ती है।

अब श्रीमन्, श्री राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र पार्टी के लीडर थे, जब उन्होंने यह कानून पेश किया तब उन्होंने क्या कहा। मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल उस प्रत्येक शब्द से व्यक्तिगत रूप से सहमत होंगे। उन्होंने कहा था...

"The measure that I am asking the House to continue with certain amendments is certainly an infringement of what may be called normal criminal procedure:

Who can be happy when introducing a measure for placing people in surveillance or detention without going through the formalities of criminal trial? It is a confession of abnormalcy, But Government cannot be conducted on an unreal basis. Government's responsibility to the nation demands admission of unpleasant truths as well as maintenance of ideals to the best of our ability."

आगे वह कहते हैं :—

"We can take the risks involved in allowing criminally inclined persons to go on with their previous preparations in the case of crimes against individuals on the principle that it is better to let 99 persons plot and prepare than take away the right to represent from even one person."

हमारा कानून इस विचार धारा में नहीं चल सकता है। 99 आदमियों का बहुमत है इसलिये वह कांसिपिरेसी कर सकते हैं। तो अगर 99 आदमी एक आदमी के खिलाफ हैं तो उसमें कानून इजाजत नहीं दे सकता ह। चाहे वह एक ही आदमी क्यों न हो।

"The liberty of the individual is always conditioned by the security and the interests of the States.

व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा के हित में हो। व्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी हो जो राष्ट्र के हित में हो। राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इसलिये उन्होंने उस कानून का सहारा लिया है। फिर आगे महात्मा गांधी जी का कोटेशन भी राजगोपालाचार्य जी ने दिया—

"The Principles of individual liberty and freedon are good, but they are intended for the well-being of society and not to be exploited for the destruction of society."

अर्थात् व्यक्ति की स्वतन्त्रता और हर जगह आने जाने की स्वतन्त्रता ये सिद्धान्त अच्छे हैं, लेकिन ये सिद्धान्त समाज की भलाई के लिये हैं, समाज को नष्ट करने के लिये नहीं। फिर इसमें आगे है—

"If I dig a well, as Mahatmaji said Once when somebody wanted to exploit the non-co-operation programme in favour of criminal, it is to get whether there-from to drink and not to fall into it and be drowned."

उन्होंने महात्मा जी का कोटेशन दिया, जब उनसे पूछा गया कि अगर असहयोग आन्दोलन क्रिमिनल भी चलाना चाहते हैं, तो क्या उसको भी अधिकार है ? इस पर महात्मा जी ने कहा—यदि मैं कुंआं खोदता हूं पानी पीने के लिये, इसलिए नहीं कि कोई उसमें डूबकर मर जाए।

"The 'freedom' that men who are engaged in subversive activities and their fellow travellers preach is a 'freedom' which they want for destroying freedom."

जो स्वतन्त्रता की बात करते हैं और स्वयं उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं, उनके लिए किसी कानून की आवश्यकता है। तो आवश्यक था कि ऐसा कानून बने और संविधान में इस स्थिति के निवारणार्थ ऐसा कानून रखा गया। तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, बल्कि सत्य को पहचानने की बात है।

यह भी कहा गया कि सन् 1900 का जो प्रिजनर्स ऐक्ट है, उसके अनुसार उसको जेल में डालने का अधिकार ही नहीं है, जो मीसा या डी0 आई0 आर0 में गये हैं, वे संवैधानिक तरीके से नहीं गये हैं। अतः मैंने इस सम्बन्ध में उस ऐक्ट का विस्तृत अध्ययन किया है। उसमें है :—

"The Officer in charge of a prison shall receive and detain all persons duly committed to his custody under this Act or otherwise, by any court, according to the exigency or any writ, warrant or order by which such persons has been committed,or until such person is discharged or removed in due course of law."

अब इसका अर्थ यह लगाया गया कि किसी को कोर्ट के फैसले, रिट या वारन्ट पर ही जेल भेजा जा सकता अन्यथा नहीं। इसी प्रिजनर्स ऐक्ट के 2–ए में कोर्ट की परिभाषा को किया गया है। कोई मनाही नहीं। मद्रास हाई कोर्ट में भी फैसला गया लेकिन मेरा निवेदन यह है श्रीमन्, जो हमारा मीसा और डिटेन्शन का कानून है, इस कानून में भी इसका अधिकार है कि जिससे कि यह जेल में भेजे जा सकें। यू0 पी0 प्रिजनर्स रूल, 1972 जो 22 जनवरी, 1972 को लागू किया गया उसके मुताविक मीसा का कानून है। उसमें लोग जेल भेजे जा सकते हैं। यह कोई अवैधानिक बात नहीं और जैसा उन्होंने कहा माननीय नेता विरोधी दल ने, तो कोर्ट में टेस्ट हो सकता था, ऐसी बात नहीं कि शासन को मालूम नहीं था जो कानून और कायदा के दायरे से अलग हो। श्रीमन् यह कहा गया कि 1942 में जो जेल में थे उससे बहुत ज्यादा लोग आज जेल में हैं। श्रीमन्, 42 के आन्दोलन से और आज के आन्दोलन से कोई तुलना नहीं हो सकती। कोई इसमें तुलना का प्रश्न ही नहीं है। आज भी अगर सद्भावना और समझौते का वातावरण हो, तो आज भी प्रधान मंत्री जी बार-बार कह रही हैं कि ऐसी वातावरण बनायें जिससे देश में नार्मलिसी आये, ऐबनार्मलिसी न आये जिससे कि संवैधानिक वातावरण बने। लेकिन कहां यह हो रहा है ? कहां बातचीत हो रही है ? तो जो जेल में लोग हैं, तो सब ये राजनैतिक थोड़े हैं। हमारे पास जो सूचना है श्रीमन् उसके आधार पर 3/4 लोग जेल में हैं और वह वे लोग हैं जो स्मग्लर, ब्लैकमार्केटियर और दूसरे जो समाज विरोधी, जो कार्य करने वाले लोग हैं और जिनके लिये गुंडा ऐक्ट हमने यू0 पी0 में बनाया है और जो समाज विरोधी तत्व हैं। जो माननीय नेता विरोधी दल संख्या दे रहे हैं, वे राजनीतिक नहीं हैं। आज भी हमारे देश, प्रदेश में तमाम लोग, मैं नहीं कहता कि जेल के बंदी नहीं हैं, जेल के बन्दी अवश्य हैं। हमें इस बात से कोई सुख नहीं पहुंचता कि अपने साथियों को अपने सहयोगियों को, जिनके साथ हम बैठते हैं, उनको जेल में डाले।

हमारे विरोधी पक्ष के बहुत से लोग भी गिरफ्तार ही नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे काम ही नहीं किये। वे अपने शांतिपूर्वक काम करते रहे हैं। विरोधीपक्ष में भी रहे, परन्तु कभी गिरफ्तार नहीं हुए, चाहें कोई भी शासन उस समय रहा हो। इसमें

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी का दोष देना, यह भी उचित नहीं है। जिसने जैसा कार्य किया अपने जिले में, जैस किया उसने वैसा भरा। अगर किसी ने कानून के बाहर इमरजेंसी में कानून तोड़ा तो जरूर गिरफ्तार हुआ। अगर नहीं किया तो नहीं गिरफ्तार हुआ। तो श्रीमन् मेरा बड़ा नम्रतापूर्वक यह निवेदन है सम्मानित नेता विरोधी दल से और दूसरे अपने विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों से कि बार बार प्रधान मंत्री जी पर आक्रमण करना उनके व्यक्तित्व पर आक्रमण करना, उनके परिवार वालों पर आक्रमण करना, उनके पुरखों पर आक्रमण करना, जवाहरलाल जी को न छोड़ना यह कहां तक ठीक है। क्या हमने जवाहरलाल जी को नेता नहीं माना? क्यों हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू का नेतृत्व हमने स्वीकार नहीं किया। मोतीलाल नेहरू का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। तो आज नेहरू परिवार का व्यक्तिगत विरोध क्यों होता है? क्या हमने उनको राष्ट्र नेता नहीं माना, क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी को नेता नहीं माना है। तो फिर क्यों संजय गांधी का नाम लिया जाता है। मुझ दुख है कि बेचारे राहुल ने क्या किया, 3–4 साल का बच्चा है। उसके बारे में कह दिया तो मुझे दुख होता है। उसके बारे में कह दिया और वह बेचारा 3–4 साल का बच्चा है। उसको तो माफ करना चाहिये। उसने क्या बिगाड़ा है? संजय गांधी का नाम भी लिया गया। अब मैं इसमें क्या कहूं। राजनीति में सीनियारिटी नहीं होती है। आज मेरे अग्रज जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर मुख्य मंत्री बनाया, तो इसमें सीनियारिटी का सवाल कहां। मान्यवर, यंगर पिट और एल्डर पिट का नाम मशहूर है। यंगर पिट की उम्र कम थी जैसा उसका नाम ही है। अगर संजय गांधी उसी तरह से अपनी होनहार बुद्धि से अपनी दृढ़ता से ऊंचे हैं, ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसमें नाराजी क्या? तो मैं यह नहीं कहता कि किसी परिवार में योग्यता होती है।

चौधरी चरण सिंह—

अब समझ में आया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

म यह नहीं कह रहा हूं कि संजय गांधी प्राइम मिनिस्टर हो जायें। आप कह रहे हैं कि हो जायेंगे तो शायद कभी हो जायें। कांग्रेस पार्टी में किसी ने नहीं कहा। एक युवक मेता आया। हर बेटा ऐसा नहीं निकलता।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

चौधरी साहब का नाम नहीं आया, प्रधान मंत्री के लिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रोटोकाल की बात आयी। संजय गांधी के बारे में कहा गया कि जो सत्ता में न हो उसका आदर नहीं करना चाहिये। दूसरे का आदर नहीं करना चाहिये। अगर हम संजय गांधी का स्वागत तभी करें जब किसी पद पर हों और न हों तो न करें। तो यह कहां की बात रही। मैं तो माननीय विरोधी दल के नेता का आदर करता हूं। मैं नजदीक होना चाहता हूं और वह दूर रहना चाहते हैं, फिर भी मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं जसा करना चाहिये। हम कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। यह हमारी परम्परा है, कांग्रेस पार्टी की परम्परा है और हमारे देश की परम्परा है। मैं आग्रह करूंगा कि नेहरू परिवार या किसी तरह से इन्दिरा गांधी की आलोचना व्यक्तिगत रूप से करना देशके हित में नहीं है। अगर इस तरह की कोशिश होती है, वह हमारी प्रधान मंत्री हैं, तो उनकी इमेज गिरती है। हम देखते हैं विदेशी नीति में हमारी और आपकी एक नीति है। मुझे विश्वास है कि वातावरण बदलेगा और माननीय नेता विरोधी दल अपना व्यापक प्रभाव बजाय पुलिस और फौज को भड़काने के, हिन्सात्मक कार्यवाही से ध्यान हटाकर इस बात में लगायेंगे कि इस देश और प्रदेश में शांति और प्रजातांत्रिक तरीके

से शासन को चलाने का वातावरण बनाया जाय। इस दृष्टिकोण से अगर हमारे नेता विरोधी दल और अन्य सहयोगी कार्य करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन अगर इस देश और प्रदेश में कोई भी शक्ति इस बात की चेष्टा करती है कि प्रजातंत्र कमजोर हो, देश म अराजकता फैले, विघटन हो, साम्प्रदायिकता फैलाने वाले और जो मजहबी भावनाओं को लेकर जनता के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ाना चाहते हैं, देश में अशांति और अव्यवस्था का वातावरण बना रहे और जो प्रजातांत्रिक सिस्टम से चुनी हुई सरकार है वह न चल सक, अगर वे कोई ऐसी चेष्टा करेंगे तो कानून की व्यवस्था के अनुसार दंड के भागी होंगे। मुझे विश्वास है कि नेता विरोधी दल सांगोपांग रूप से इस पर विचार करेंगे। देश और प्रदेश को इस बात की आवश्यकता है कि हम स्थिर चित्त होकर एक संतुलित आधार पर अपने देश का निर्माण करें। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि जिन बनियादी बातों पर हमें विचार करना चाहिए हमारा ध्यान उनकी ओर कम से कम जाता है। अगर ऐसा हुआ तो हम किस प्रकार से बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकेंगे, खेत खेत में पानी पहुंचा सकेंगे और खेती की पैदावार बढ़ा सकेंगे क्योंकि शासन का सारा तंत्र शांति व्यवस्था और सत्याग्रहों का मुकाबला करने में लगा रहेगा। हमें अपने प्रदेश की गरीबी और विकास की ओर ध्यान देना है।

हमारे 20-सूत्री कार्यक्रम का भी उपहास किया गया। कहा गया कि यह तो पहले से ही कार्यक्रम था, कौन सी नयी बात की गई। लेकिन जहां विरोध पक्ष की ओर से इसका उपहास उड़ाया गया, वहीं पर इसका स्वागत भी किया गया। हमारे माननीय सदस्य लारी साहब और अन्य लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। यह 20-सूत्री कार्यक्रम कोई जादू नहीं है, या गीता का श्लोक नहीं है, न कुरान शरीफ की कोई आयत है। इससे सारे देश का दुःख भी मिटने वाला नहीं है। हम तो स्वयं कह रहे हैं कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है। इसे जुलाई, 1975 में लागू किया गया था और जून, 1976 तक पूरा होगा। यह एक वर्ष की प्रायोरिटी को लेकर दिया हुआ प्रोग्राम है। इसको हमें पूरा करना है। इसको पूरा करने के लिये हमें सब का सहयोग चाहिये। जब यह पूरा हो जायगा तो फिर दूसरा लाया जायगा।

इमरजेन्सी अनुशासन पर्व की बात कही गयी है। कहा गया है कि विनोबा जी ने तो कहा ही नहीं कि अनुशासन पर्व है। खाली कह दिया गया। इसकी मैंने भी जांच की। इसका दूसरा पहलू भी है जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब विनोबा जी मौन थे उस समय वसन्त साठे, जो लोक सभा के सदस्य हैं, 6 जुलाई, 1975 को पौनार में लिख कर दिया था कि इमरजेन्सी अनुशासन पर्व है। लिखित रूप से जो अनुशासन पर्व इमरजेन्सी मे तारीख भी दे रहा हूं, नाम दे रहा हूं, लोक सभा के सदस्य श्री बसन्त साठे को 6 जुलाई, 1975 को पवनार आश्रम में जब वह मौन व्रत धारण किये हुये थे तो लिख कर दिया। श्री आर0 के0 पाटिल, जो यहां पर भूमि-व्यवस्था समिति के अध्यक्ष थे, उनको विनोबा जी ने लिख कर दिया, "अनुशासन पर्व में आपका काम भूमि वितरण खूब चलेगा।" श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, भूतपूर्व राज्यपाल को विनोबा जी ने लिख कर दिया, "अनुशासन पर्व में शराबबन्दी जरूरी है अनुशासन के लिये" और नशाबन्दी समिति की ओर से इस वाक्य के बड़े-बड़े पोस्टर लगवाये गये और वर्धा स्टेशन पर आज भी यह पोस्टर लगे हुये हैं। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व उपमंत्री श्री दुर्गादास सूर्यवंशी को विनोबा जी ने लिख कर दिया अनुशासन हमेशा के लिये, पर्व कुछ समय के लिये।

चौधरी चरण सिंह--

पुलिस के जरिये अनुशासन होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैंने पुलिस का नाम भी नहीं लिया। मैं जो कह रहा हूं वह जरा सुनें, कुछ गलत-फहमी हो गयी है। अनुशासन हमेशा के लिये, पर्व कुछ समय के लिये। वहां रेल में एक पर्स चोरी चला गया। विनोबा जी ने लिखा, अनुशासन पर्व में चोरी कैसे हुई। मैं क्षमा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चाहता हूं अपने पूज्य श्रद्धेय बाबाजी से कि मुझे उनके कोटेशन्स की बात यहां कहनी पड़ी है। शायद उन्हें अनुचित लगे। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपनी ओर से आचार्य श्री विनोबाजी का नाम यहां नहीं लेना चाहता था लेकिन जब यह कहा गया कि अनुशासन पर्व उन्होंने नहीं कहा तब मुझे इसकी छानबीन करनी पड़ी कि क्या उन्होंने ऐसा कहा। तो अधिकृत सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ कि अनुशासन पर्व उन्होंने बार-बार कहा और अनुशासन पर्व यह है इस माने में कि राष्ट्र में पहली बार एक डर की भावना पैदा हुई, अनुशासन वाली। तो मैं आग्रह करूंगा कि इस दृष्टिकोण से इस सारे सन्दर्भ में विचार किया जाय।

अब आचार्य कुल के सम्मेलन का उल्लेख किया गया और जो सूचना नेता विरोधी दल को दी गयी कि कोई प्रस्ताव भी वहां ऐसा पास हुआ जिसका उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन मेरी सूचना दूसरी है। उसमें सभी आचार्यों को नहीं बुलाया गया, कुछ वाइस चांसलर्स को बुलाया गया और उनसे भी यह कह कर प्रस्ताव पास कराया गया कि प्रधान मंत्री और विनोबाजी, दोनों यह चाहते हैं कि प्रस्ताव पास हो जाय। हो सकता है कि मैं भी गलत होऊं, लेकिन वह कितना सही हैं तो मैं भी थोड़ा सही हूं। इसकी जांच कर ली जाय। दोनों सही हैं। लेकिन एक बात सही है और वह यह कि इस प्रकार का आचार्य-कुल सम्मेलन जो हुआ वह पूरा प्रतिनिधि सम्मेलन नहीं हुआ। अब यह जो कहा गया है उसका हम पता लगायेंगे। मुझसे यह कहा गया कि आचार्य कुल ने इसलिये एकमत से प्रस्ताव पास कर दिया कि कहा यह गया कि चूंकि प्रधान मंत्री जी चाहती हैं कि यह प्रस्ताव पास हो और विनोबा जी भी चाहते हैं कि यह प्रस्ताव पास हो। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो कई विचार इस तरह के व्यक्त किये गये, अगर आचार्य कुल इस प्रकार का कोई वातावरण लाने में सफल होते हैं तब तो ठीक है। लेकिन वह वातावरण ऐसा न हो कि एकतरफा हो, वह वातावरण ऐसा न हो कि वे शासन को ही दोषी ठहरावें और यह कहें कि जो कुछ गलती है वह शासन ने ही की है। पहले के इतिहास की पृष्ठभूमि और सारी बातों को देखना पड़ेगा, तभी कुछ निर्णय हो सकेगा। दूसरे और तथ्यों के विस्तार में हम नहीं जाना चाहते हैं।

जेल के बारे में भी कुछ बातें कही गयीं। उन्होंने कुछ उदाहरण दिये, उनकी मैं अवश्य जांच कराऊंगा। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने प्रदेश की पुलिस की तारीफ की और उन्होंने कहा कि उनको प्रदेश की पुलिस के ऊपर घमंड है। अपने यहां की पुलिस पर मुझे भी थोड़ा सा गर्व है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी हमारे यहां की पुलिस इसी तरह से एक तरफ तो सख्ती के साथ कानून की रक्षा करती रहेगी और दूसरी तरफ अपनी मान-मर्यादा को भी सुरक्षित बनाये रखेगी। जो दो-तीन मिसालें उन्होंने जेल की दीं, उनकी मैं जांच कराऊंगा। मुझे तो बतलाया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी चूंकि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है, इसलिये मैं इसकी जांच कराऊंगा। और कोई अवसर आया तो कम से कम अध्यक्ष महोदय, आपको जरूर बतला दूंगा और नेता विरोधी दल से भी मिल कर व्यक्तिगत रूप से बतला दूंगा। प्लास वाली कहानी तथा और दूसरी कहानियों के बारे में जो कहा गया है, मुझसे कहा गया कि ये सब कहानियां बिलकुल सत्य से परे हैं। जहां तक श्री चेतराम की मृत्यु की बात है, उनकी मृत्यु हार्टफेल्योर से हुई, मेडिकल रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। हमारा सामान्य निर्देश है कि जेलों में सबके साथ ठीक व्यवहार हो। खासतौर से जो राजनीतिक बन्दी हैं, उनके साथ किसी दुर्व्यवहार की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

प्लास वाली बात बिलकुल सही है। मैंने खुद उनके नाखूनों को खींचे हुए देखा है। ... (व्यवधान)

मैं भी कोर्ट में मौजूद था और उनकी एप्लीकेशन में यह लिखा है।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सबसे बड़ी बात तो यह है कि सन् 42 से लेकर मैं भी जेलों में 7–8 बार गया हूं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जेल से जो भी निकल कर आये हैं उनका स्वास्थ्य ठीक है और स्वास्थ्य का ठीक रहना ही सबसे अच्छी बात है। पता नहीं, भले ही मेरे साथी वहां कसरत करते रहे हों लेकिन जेल में स्वास्थ्य ठीक है तो यह सबसे खुशी की बात है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जेलों में खासतौर से राजनीतिक बन्दियों के साथ मानवोचित व्यवहार हो। जेल में ऐसे जो गये भी, यह तो इमर्जेन्सी लगाने के लिये बाध्य किया गया जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा है। जिस दिन इमर्जेन्सी हटने की स्थिति आयेगी, नार्मलसी आ जायेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से माननीया प्रधान मंत्री जी उचित समय पर उचित निर्णय लेती हैं, वे इसको हटाने के लिये भी उचित समय पर उचित निर्णय लेंगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल व अन्य सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर जो उन्होंने अपने संशोधन दिये हैं उनको वापस लें और आज जो देश का सही चित्र उपस्थित किया गया है उसको सही मानें और राज्यपाल महोदय ने जो देश का मानचित्र उपस्थित किया है उस मानचित्र को भी वे स्वीकार करें तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसी कि सदन की अब तक की परम्परा रही है, वे अपने संशोधनों को वापस लेंगे और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आपके सहयोग से हम इस प्रदेश के विकास के कार्यों को इस सदन में सम्पन्न करते रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने आप को भी धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार कराने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—

5 बजे तक का समय है। इस बीच आपको (चौधरी चरण सिंह) और श्री धर्म-सिंह को भी बोलना है।

चौधरी चरण सिंह—

यदि आप चाहते हैं कि 5 मिनट बोलें तो 5 मिनट ही बोलेंगे।

एक सदस्य—

इससे कोई फायदा नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह व्यंग करना आसान है।

एक सदस्य—

ज्योतिषी क्या कह रहे हैं ?

*चौधरी चरण सिंह—

आप इन्टरफियर करेंगे तो ठीक नहीं है। व्यंग करना शोभाजनक नहीं है। केवल इधर-उधर की बात कह रहे हैं। किसे डिमोक्रेसी कहते हैं, किसे ला कहते हैं इस पर बहुत कम विचार किया होगा। जो ऊपर से प्रचार हो रहा है उस पर आप आंख मूंद कर बोल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हमारी कितनी बातों का जवाब दिया ?

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुद्दे उठाये थे उनके मुतालिक मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त की थी कि जबाब दें। लेकिन उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं दिया गया। आपने केवल लीगल रिमेम्बरेन्सर को बुलाकर उन्होंने जो बातें बतला दीं उसको सुना दिया। 1969 में जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसको पढ़कर सुना दिया। उस पर पूरा विचार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया था कि लाखों आदमी जेल में पड़े हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

जबकि जुडीशियरी को, उनके खिलाफ जो इल्जाम हैं, नहीं दिया गया। 1971 का जिक्र किया, वह बिल पेश हुआ उसके आप मेम्बर कैबिनेट के थे खैर इससे हमारा कोई मतलब नहीं। जिस कानून का जिक्र किया, यह कहा कि यह जुर्म हुआ, वह जुर्म हुआ। उसको रोकने के लिये यह कानून बनाया गया। यह किस चीज का जवाब हो गया? जो रोकने का इन्तजाम था, जुडीशियरी के सामने जाने को था या नहीं? सवाल यह था कि लोगों को सजा मिले या नहीं, यह नहीं? किसीने कहा जो आर्मी थी उसको भड़का रहे थे, इसलिये ऐक्शन लिया जाय। 1971 में कानून मेरे सामने बना, यह जबाब दिया। सवाल यह नहीं है। जुर्म हैं उनको रख जायेगा और सजा दी जायेगी। सवाल अदालतों का किया था। चैलेन्ज किया था लेकिन हो नहीं सकता था कि जुडीशियरी का जुरिडक्शन लिया गया हो। मैंने पहली बात यह कही कि यह हक भी नहीं है कि यह मालूम कर लें कि यह क्या है? इसका कोई जवाब नहीं दिया। इससे आपको तसल्ली है, व्यंग करके टालना चाहते हैं। लेकिन हिस्टरी आपको माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कहां कहां यह हो रहा है कि आदमी गिरफ्तार हो और चार चार पांच-पांच महीने तक उनके रिश्तेदारों को इत्तिला न दी जाय कि कहां गिरफ्तार है। अगर आप हमको देशद्रोही समझते हैं तो जय प्रकाश जी देश द्रोही नहीं हैं। उनके भाई को पता नहीं लगा कि वह कहां है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह तो इतिहास बतलायेगा।

चौधरी चरण सिंह—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इधर बैठने वालों को देशद्रोही .....

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

उनको नहीं। जिन्होंने देश के अन्दर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी उनके लिए कहा जा रहा है।

चौधरी चरण सिंह—

जो आपसे डिफर करे और कहे कि चुनाव गलत हुए इसकी जांच करवाइये, जो यह कहे कि हाईकोर्ट के फैसले का आनर हो जैसा कि दूसरों से उन्होंने करवाया, वे देशद्रोही हैं। हम जानते हैं कि वह जमाना आ गया है कि जो आदमी आपसे डिफर करेगा तो वह जेल मे होगा। आप तो यह मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड लेकर चले ही हैं।

एक सदस्य—

आप हमेशा झूठ बोले हैं। झूठ मत बोलिये।

चौधरी चरण सिंह—

मेरा दूसरा चार्ज था कि लोगों को जेल में डाल दिया. . . . .

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

जयप्रकाश जी की स्पीच पढ़कर सुना दीजिये।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

तुम दल बदलू हो. . . . . .

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

जय प्रकाश जी की स्पीच जो उन्होंने लखनऊ में दी थी, वह मुझे यहां पढ़नी चाहिए। मैंने वह स्पीच न पढ़ी और न सुनी। अगर देशद्रोही होने की बात है तो जरूर मुकदमा चलना चाहिए, कानून के मुताबिक। यह मेरी शिकायत है, आपने ऐसा नहीं किया। अगर देशद्रोही के गिल्टी पाते तो सजा मिलती। अगर सजा भी मिल जाती तो उनके घर वालों को बतलाना था कि कौन सी जेल में रखे गये। आप अदालत के सामने कोई केस ले ही

नहीं गये। डी0 आई0 आर0 लगा है, 8 महीने से कोई पेशी नहीं हुई। अगर देश द्रोही थे तो जुडीशयरी से सजा करा लेते लेकिन घर वालों को मालूम होना चाहिये कि किस जेल में रखा है। जिनको फांसी की सजा हो जाती है उनके घर वालों को मालूम होता है कि किस जेल में और कहां फांसी दी जायगी। सभी मौलिक अधिकारों को सस्पेण्ड कर दिया गया इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। एक बात यह कही थी कि पुलिस को सब अधिकार दे दिये गये। मैंने कुछ केसेज पढ़कर सुनाये तो आपने कहा कि इन्क्वायरी कर लेंगे। बरेली में नहीं, बहुत से जिलों के अन्दर बहुत अन्याय हुआ। पुलिस आर्गेनाइज्ड फोर्स है। ऊपर से जो एटीट्यूड होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का होता है वह उनके कैरेक्टर में रिफलेक्ट होता है। आपका एटीट्यूड होता कि जो गिरफ्तार कानून के अन्तर्गत हुए हैं उनको कानून के मातहत सजा दी जायगी लेकिन जेल में ज्यादती नहीं होगी तो पुलिस की हिम्मत न होती कुछ करने की। कहा गया कि मैंने तथा स्व0 गोविन्द वल्लभ पंत ने जी0 ओ0 इश्यू किया था कि जूनियर भी तरक्की कर सकता है। तीन आदमियों की वह कमेटी थी और उसकी सिफारिश पर एक सर्कुलर जारी हुआ था कि यह जरूरी नहीं है कि जिस आदमी की तरक्की हो सीनियरमोस्ट हो। यह ठीक है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि कुछ दिन बाद ही उस सरकार को जब वह गलती महसूस हुई तो उसने यह सर्कुलर वापस ले लिया और मुख्य मंत्री को जिसने यह बात बतलाई वह अधूरी बतलाई।

अब जो जुडीशियरी की बात मैंने कही थी कि जब हाई कोर्ट का फैसला प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो गया तो उसके बाद फौरन यह ड्यू हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर-मोस्ट जजेज को सुपरसीड कर दिया गया। वे तीनों जज योग्य थे, ईमानदार थे। अयोग्यता की बिना पर, बेईमानी की बिना पर अगर उनको सुपरसीड किया गया होता तो मैं इसे वेलकम करता। लेकिन यह नहीं हुआ। शिकायत तो तब होती है जब सारी दुनिया जानती है कि कोई खराब इन्ट्री उनके खिलाफ नहीं थी, चरित्रवान थे लेकिन उनको आप सुपरसीड कर देते हैं। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की मिसाल दूं। जस्टिस अग्रवाल सीनियर जज हैं। उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं लेकिन उन्होंने तीन चार जजमेंट सरकार के खिलाफ दिये, उनका प्रोमोशन ड्यू था लेकिन सुपरसीड कर दिय गये और बार एसोशियेशन ने यूनेनिमसली रिजोल्यूशन पास किया कि यह नाइंसाफी की गयी है। इसी तरह से जगमोहनलाल ज सीनियर जज हाई कोर्ट के हैं उन्होंने जब प्रधान मंत्री के खिलाफ फैसला दे दिया तो प्रधान मंत्री के मकान के सामने उनका पुतला जलाया गया। जब प्राइम मिनिस्टर के मकान के सामने पुतला जलाया जायेगा और इत्तफाक से उसका वही जजमेन्ट देता है, तो इन्डेपेन्डेन्स रहेगी? कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का नोटिस एक मामूली सा मुंसिफ जारी कर देता है चाहे वह किसी बड़े से बड़े आदमी का क्यों न हो। क्या यह उस जज का अवमान नहीं हुआ? कोई भी बड़े से बड़ा आदमी ऐसा अवमान नहीं कर सकता है। फर्ज कर लिया कि उनका फैसला गलत था लेकिन उनका पुतला जलाया जायेगा? वह भी प्राइम मिनिस्टर के मकान के सामने। मैं नोट कर रहा था जब कि प्यारे लाल शर्मा बोल रहे थे। वह आपको ही मुबारक हो। फिर, अगर कोई यहां पर अपनी बात रखता रहे और आप उसका मजाक उड़ायें। कई जिम्मेदार लोगों ने कहा कि वह सी0 आई0 ए0 का एजेन्ट है. . . . .

एक सदस्य—

हो सकता है. . . . . .

चौधरी चरण सिंह—

अगर हो सकता है तो नहीं कहना चाहिये। क्या आपने इन्क्वायरी कराई?

श्री धर्मवीर—

इतिहास नहीं बख्शेगा।

चौधरी चरण सिंह—

आपको नहीं बख्शेगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला दिया, लिहाज सी0 आई0 ए0 का एजेन्ट हो गया। ह्वयेर डज इट लीड टु? इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। प्रेस के सेन्सर के बारे में मैंने कहा था, कोई जवाब नहीं दिया। यह सदन है या मजाक है? जो लीडर कहे, चुपचाप बरदाश्त करते जाओ। प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिये। अगर हम गल्ती करेंगे तो उनका क्रिटिसिज्म होगा और यह उनका हक होना चाहिए। गलत क्रिटिसिज्म का हक भी होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे एक सरकार के बारे में याद है जबकि टाइम्स आफ इंडिया में एडवर्टिजमेन्ट को रोक दिया गया था। तो क्या जिस सरकार ने ऐसा किया वह ठीक था और सेन्सरशिप के सन्दर्भ में यह ठीक नहीं है?

चौधरी चरण सिंह—

कोई पेपर बराबर क्रिटिसिज्म करता है जिसकी नेक नीयत साफ न हो और उसका एडवर्टिजमेन्ट रोक दिया और फिर वह खोल दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि प्रेस सेन्सरशिप से इसका क्या वास्ता? अगर कोई पेपर ऐसा कर रहा था.....

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके जमाने की बात है। जो आपके सामने बोले उसको आप मरवा दें.....

श्री अध्यक्ष—

अगर वे बैठते नहीं हैं.....

श्री मंजूर अहमद—

क्या यही जनतंत्र है? क्या यही जम्हूरियत है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह सामान्य परम्परा है कि जो वक्ता भाषण दे रहा हो, उसको भाषण देने का हक है और जब वह बैठ जाय तभी आपको सवाल करना चाहिये। आपको यह सब बातें कहनी थीं तो आप क्यों नहीं बोले? आपने नाम क्यों नहीं दिया?

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने इर्रेलिवेन्ट बातें कहीं। इस वक्त माननीय नारायण दत्त जी ने प्रेस सेंसरशिप की बात पर सवाल उठाया कि एक न्यूज पेपर के एडवरटाइजमेन्ट बंद क्यों कर दिये। तो अगर एक पेपर बराबर डिफेमेशन कर रहा था तो ऐक्शन लेना पड़ा। तो आप भी किसी एक के लिये सेंसर लगा दीजिये। अगर कोई आदमी जुर्म करता है तो उसको सजा दीजिये। लेकिन आपने तो सारे देश में प्रेस सेंसर शिप लगा दी और वह भी प्री पब्लिकेशन सेन्सर लगा दिया तो यह जस्टिफिकेशन नहीं होता किसी चीज का। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। आज यहां की प्रोसीडिंग भी नहीं छपती।

(व्यवधान)

आजादी का अर्थ है चाहे वह सही बात हो या गलत उसे लिखना चाहिये। हां, अगर किसी की नियत पर आघात करता है तो वह गलत है उसके लिये आप ऐक्शन लीजिये। आजादी के माने तो यही हैं कि सही बात भी कही जाय और गलत भी कही जाय। लेकिन अगर कोई बात गवर्नमेन्ट के खिलाफ हो तो उसे न छापा जाय यह कहां तक उचित है? अभी 21 तारीख को 5 पार्टीज की एक पार्टी बनाने का प्रस्ताव हुआ, लेकिन उसके बारे

में अखबार में कुछ नहीं छपा लेकिन बी० बी० सी० से लोगों ने सुना। आज विरोधी पार्टीज की एक पार्टी बनती है जो डिमोक्रेसी के लिये जरूरी है, उसको गवर्नमेन्ट नहीं छापने देती है।

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

चौधरी साहब, यहां पर तो जो आपका डिसिजन हुआ 'लोकपक्ष' बनाने का वह तो खबर छपी थी। बम्बई में क्या होता है उसकी जानकारी इस हाउस को नहीं है? यहां जो हुआ वह छपा है।

चौधरी चरण सिंह—

ठीक है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूं। बम्बई में जो हुआ जिसमें बड़े बड़े लीडर सम्मिलित हुए थे, उसका जिक्र कहीं नहीं आया। तो मैं उसका जिक्र कर रहा था वह क्यों नहीं निकला?

अध्यक्ष महोदय, कुलदीप नैय्यर का जजमेन्ट जो आपके खिलाफ था वह क्यों नहीं छपा? और 12 जजेज की बेन्च ने जो निर्णय दिया था आपकी गवर्नमेन्ट के खिलाफ- वह क्यों नहीं छपा? हां, अगर यह हो कि किसी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है तो ठीक है। (व्यवधान)

आपको क्या कहना है?

श्री मंजूर अहमद—

आपने इजाजत दे दी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके जमाने में क्या होता था? छपरौली में या जहां से आप चुनाव लड़ते हैं, वहां पर आप क्या करते हैं? जो आपके खिलाफ लड़ा था उसको क्यों मरवा दिया था उसके बारे में आपकी क्या नियत थी? उस समय डालडा और दूसरी चीजों की क्या हालत थी?

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह चर्चा किए देता हूं कि आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं मरवाया और जो आदमी बराबर ऐसा कहा करता है, उसकी नीयत साफ नहीं है। इसमें हाईकोर्ट के जजों का भी फैसला है। मेरे यहां कोई आदमी मर जाए, लिहाजा हमने मरवा दिया, यह कहना बहुत गलत है। यों हर आदमी को अधिकार है कि वह चाहे जो कहे। मैं यह कह रहा था कि इससे इसका कोई वास्ता नहीं।

एक सदस्य—

राहुल गांधी का इससे क्या वास्ता है?

चौधरी चरण सिंह—

आपने यह कहा कि हमारे मैनीफिस्टो में यह लिखा हुआ है कि सत्याग्रह नहीं होना चाहिये। मैं इसका जवाब दे चुका था। और कोई कहता तो मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन मुख्य मंत्री जी उसे दोहरा रहे हैं, जिनसे मैं कई बार कह चुका हूं। क्या यह कोई नई बात कही गई है? मैंने कहा है, मैं और बी० के० डी० हमेशा सत्याग्रह के खिलाफ रहा है। लेकिन 1974 के चुनाव में जो अनियमितता हुई, अफसरों की तरफ से गवर्नमेन्ट और रूलिंग पार्टी ने कारगुजारी कराई, उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि येन केन प्रकारेण आप पावर में रहना चहते हैं। आपकी हर सूरत में पावर में रहने का मंशा है। मेरा नतीजा सही हो या गलत, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा। इसलिये बी० के० डी० का ऐटीच्यूड बदला, जो पहले था कि सत्याग्रह नहीं होना चाहिये। यदि अच्छी तरह से, ईमानदारी से गवर्नमेंट चलती, अगर खुद गवर्नमेन्ट डेमोक्रेटिक कन्वेन्शन को मानती, तो यह नहीं होना चाहिये था। लेकिन रूलिंग पार्टी असंवैधानिक कारनामे करे, नाजायज तरीके से सरकारी साधनों का दुरुपयोग करे, गवर्नमेंन्ट अफसरों को अनुचित से अनुचित कार्य करने के लिये लगा दे तो क्या हो? आपने 21 करोड़ रुपया अपने चुनाव पर खर्च किया, जिसमें

[चौधरी चरण सिंह]

नक्शा बदल दिया गया, उसके फोटो मौजूद हैं। किस तरह से अफसरों ने किया, सब सामने है, अफसरों ने कहा कि वोट न गिनो और विरोधियों से कहा कि हाईकोर्ट में जाइये, इलेक्शन कमीशन के पास जाइये और जाइये चौधरी चरण सिंह के पास। जब यह कीयत है, पब्लिक वोट दे या न दे, लेकिन येन केन प्रकारेण जीतना है, सत्ता में बने रहना है, तो जो हम वायलेंस में विश्वास नहीं करते, हमारा कोई आदमी विश्वास नहीं करता है, हरगिज-हरजिग नहीं करता है, हम तो फेयर ऐण्ड फ्री मीन्स चाहते हैं, लेकिन यदि आप वायलेंस से, डंडे से जीत कर आना चाहते हैं, जैसा कि आपने पश्चिमी बंगाल में किया वोट नहीं पड़ने दिए, फिर भी वोट देने गये तो चुरा लिए गये, उस हालत में

(व्यवधान)

(a) "court" includes a coroner and any; officer lawfully exercising civil, criminal or revenue jurisdiction."

इसमें कोर्ट की परिभाषा इतनी व्यापक है, जो विचार करने की बात है। इसमें कोई भी अधिकारी—सिविल, क्रिमिनल या रेवेन्यू जो अधिकारों का उपभोग करता है, उसे कोर्ट कहते हैं; वह कोर्ट की परिभाषा में आ जाता है। तो कोर्ट की परिभाषा सीमित नहीं है।

श्रीमन्, एक इसी सदन का मामला, श्री केशव सिंह का मामला हाईकोर्ट में गया था, उसमें भी यही चीज सामने आई थी। यह मामला हाई कोर्ट में गया था और इस सदन में तथा हाई कोर्ट और इस सदन में बहुत बातें भी हुई थीं। यह बड़ा ऐतिहासिक मामला है। यह 1965 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का 349 नम्बर का फैसला है। इसमें जस्टिस जी0सी0 माथुर और टकरू के सामने यह मामला आया था। उसमें उसे सजा देने की बात थी, तब भी कहा गया था कि वह जेल नहीं जा सकता है। स्पीकर साहब सदन की तरफ से किसी को जेल में भेज दें तो वह जेल में जाएगा या नहीं, यही मामला था। तो इसमें इन लोगों ने कहा था कि—

We cannot agree with this contention Section 3 is not exhaustive. It contains no prohibition against the Superintendent of a jail receiving persons sent by a competent authority other than a court of law."

तो इसमें कोई ऐसा इन्कार नहीं है कि वह उसे जेल में न रखा जाये। किसी सक्षम अधिकरी द्वारा भेजे जाने पर वह उसको लेने से जेल का अधीक्षक इन्कार नहीं कर सकता ह। जो कि अदालत के अलावा भी है, उसको भी वहां लेने में जेल सुपरिन्टेडेन्ट को कोई मनाही नहीं है। मैं यह कह रहा था अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें हर सूरत में पावर में रहना है, जैसा आपने गुजरात गवर्नमेन्ट को गिराया, जैसे तामिलनाडु गवर्नमेंट को गिराया जबकि उसके समाप्त होने में केवल कुछ महीने बाकी थे, आपने ऊपर की पावर का इस्तेमाल करके उसको गिराया। उसको खत्म किया तो क्या आप वन पार्टी रूल चाहते हैं? तो हम आपकी इस टेंडेन्सी को बहुत दिन तक बरदाश्त नहीं कर सकेंगे, ऐसा होता रहेगा तो उसका विरोध होता रहेगा और यह उसे अधिकार हो जाता है कि हर मैथड से वह आपको निकाल बाहर करे। मैंने कहा था, लेकिन 1974 व 1971 का मैनिफेस्टो देखेंगे तो मैंने उसमें बाद में परिस्थिति देखकर चेंज किया है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे 10 मिनट और आप दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समय बढ़ाना पड़ेगा।

चौधरी चरण सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 15 मिनट हाउस का समय और बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

15 मिनट का जब कहा है, तो 15 मिनट तो मैं स्वयं बढ़ा सकता हूं। 5 मिनट में आप बोलें और 15 मिनट श्री धर्म सिंह जी बोलेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

15 मिनट तक तो आपको अधिकार है, बढ़ाने का।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, बढ़ा दिया।

चौधरी चरण सिंह—

तो मैं यह कह रहा था कि आपने जो अर्थ लगाया वह भी गलत, मसलन जिस तरह से बेल दी जा रही है निकलवाइए उस समय की प्रोसीडिंग्स जिस समय अली जहीर साहब ला मिनिस्टर थे, डकैती हुई, बेल हो गयी, उसी व्यक्ति ने फिर डकैती डाली, दुबारा भी उसकी बेल हो गयी। इस तरह के बेल अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से हो रही थी। तो मैं यह कह रहा था कि उसमें, ला में अमेन्डमेन्ट होना चाहिए। डाक्टर काटजू उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम अमेन्डमेन्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो इसी तरह से रिट का है। अगर एक पटवारी का ट्रान्सफर हो गया और वह उ के खिलाफ रिट में चला गया। मैं इस रिट के खिलाफ था और अब भी हूं। लेकिन जिसने सेवा आपसे कम नहीं की, उनको बिना जाने हुए जेल में डाल दिया हो, उसकी भी रिट न हो। इसका मतलब आप यही लगाते हैं? व्याख्यान हम कोई दे नही सकेंगे। असेम्बली में जो बात कहेंगे छपेगी नहीं। और असेम्बली में जो बात कहूंगा, बोलने भी नहीं देंगे। अगर यह मन्शा आपकी है, तो हमारे यहां बहुत संजीदगी के साथ विचार हो रहा है कि सदन में रहना क्या जरूरी है? अगर आप यह चाहते हैं तो हम यह कर देंगे कि सदन में हम लोगों का रहना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इस तरह से इन्टरफियर करते रहे तो होगा यही। गुजरात में सब लोगों को मजबूर किया गया कि वे लोग इस्तीफा दे देवें। मुझे और मेरे साथियों को वह भी एतराज नहीं, लेकिन हुआ वह कब, दो साल पहले, जब आपने इमरजेन्सी जारी की, इलेक्शन हो चुका था, उसके बाद सस्पेंन्ड हुई असेम्बली। रही बिहार की बात कि गोली चली, इतने आदमी मर गये। सारा सवाल यह है कि जय प्रकाश नारायण जी के साथ जो वर्क कर रहे थे उन्होंने कोई वाइलेंस किया? मैंने कहा नहीं। मुमकिन है एकाध गलती से हो गयी हो। लेकिन जिसको वाइलेंस कहें नहीं। गोली चलाई गयी, मारें गए। इक्जेक्टली बात ठीक है। इससे यह तो नहीं हुआ? अध्यक्ष महोदय, रेलवे स्ट्राइक हुई। साहब, सब जगह होती है। सन् 1974 में रेलवे स्ट्राइक हुई, हक था उनको करने का। क्वेश्चन है सारा इमरजेन्सी का। मान्यवर, मुझे जल्दी-जल्दी कहना पड़ रहा है। रेलवे स्ट्राइक हो रही है।

श्री चेतराम गंगवार—

जय प्रकाश नारायण की स्पीच का हवाला दे कर कहिए।

चौधरी चरण सिंह—

मैं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

समय कम है कहने दीजिए।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

68 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

हिसाब नहीं है तो बेशक मुकदमा चलाइए।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आपने कहा कि जब बाहरी खतरा हो तो इमरजेन्सी लगानी चाहिए। सी0 आई0 ए0 का पन्जा विरोधी दलों पर छा रहा था। वह 68 करोड़ रुपया अनएकाउन्टेड है। यह रुपया कहां से आया? वह बाहर से आया जाहिर है। इससे बड़ा खतरा हमारी आजादी के लिए और क्या हो सकता है? यह मैं कह रही हूं।

चौधरी चरण सिंह—

5 मिनट रह गये हैं। मुझे बहुत कुछ कहना है। इस तरह का रुपया मौजूद है तो जवाब तलब कीजिए, मुकदमा चलाइए, इमरजेन्सी किस सूरत म आती है? इफ दि प्रेसीडेन्ट इज सेटिसफाइड दैट ए ग्रेव इमरजेन्सी व्हेयर बाई दि सिक्योरिटी आफ इन्डिया इज थ्रेटेन्ड बाई इन्टरनल डिसटरबेंस।

अध्यक्ष महोदय, मुझे 3 बातें कहनी हैं। नेहरू फैमिली पर मैंने परसनल अटैक नहीं किया, लेकिन उसे परसनल बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि जो इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, यह तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहराता हूं कि संजय गांधी आपके लीडर ह, आप कीजिए उनका स्वागत। किसी भी व्यक्ति में अपनी निजी हैसियत है, चाहे जो हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर की हसियत से गवर्नमेन्ट आफिसर को आर्डर देना कि बच्चे खड़े करना क्या उचित है? कौन सा मैंने पाप किया है? अब आप देखें कि 5 पोस्टर लगे हुये हैं। एक पोस्टर तो अकेले संजय साहब का फोटो का है, बहुत मुनासिब। दूसरा ह "युवक शक्ति के प्रतीक" संजय और मुख्य मन्त्री जी का। खबर अखबार में अब यह छपती है कि संजय ने यह भाषण दिया, वह भाषण दिया। कांग्रेस प्रेसीडेन्ट आलसो स्पोक। यह आता है कि "अकम्पैनीड बाई बरुआ जी दि यूथ लीडर वेन्ट दियर"। आज आपके हाथ में पावर है। आज आप क्या चीज, क्या रवायत और क्या कन्वेन्शन्स कायम करने जा रहे हैं? महाराणी और युवराज, अर्थात् हमारी बहिन इन्दिरा जी और वे। यह ह उनकी फोटो। तीसरी फोटो जो है, वह बदल दी है। फैमिली में हैं आपके मोती लाल, माता स्वरूप रानी नेहरू, यह पोस्टर लगा है। इन्कार कर दें आप और जवाहर लाल की धर्मपत्नी कमला जी नेहरू, इन्दिरा जी। इनसे भी बढ़ कर बड़े-बड़े बलिदान देने वाले लोग हुए हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित मालवीय के नाम इसमें नहीं हैं। आज आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं?

(एक आवाज—सही रास्ते पर)

अब मैं निक्सन का जो केस चला, उसके बारे में बताता हूं। वहां पर पीटरसन नाम के एक एसिस्टेन्ट प्रासिक्यूटर, जो एटार्नी जनरल भी हैं, उनको सजेस्ट करते हैं प्रेसीडेन्ट कि फलां आदमी को इम्युनिटी नहीं देनी चाहिए, उस पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। ये उसे मजबूर कर रहे हैं और पीटरसन क्या जवाब देता है वह कहता है कि :

"Do I make myself clear?

यानी वह डीन को इम्युनिटी न दे अर्थात् आर्डर्स आफिसर्स दें। तो एटार्नी जनरल कहते हैं कि "येस" लेट मि मेक माइसेल्फ क्लियर"

"I regard immunity authority under the statutes of the United States to be my responsibility of which I cannot divest myself."

जो बात आप कह रहे हैं वह हमारी रेस्पांसिबिलिटी है, आपका हक नहीं है। मैं अपनी रेस्प सिबिलिटी छोड़ने को तैयार नहीं हूं।

"We take opinions, but I would have to treat this as advisory only."

वह फोर्थ क्लास का वह कर्मचारी, प्रेसीडेन्ट, जिसको उसे एप्वाइन्ट करने का हक है, डिस्मिस करने का अधिकार है, सजा देने का उसे हक है, वह प्रेसीडेन्ट से साफ कहता है कि आपका हक नहीं है। आप राय दे सकते हैं। लेकिन डेसीजन मेरा होगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुत से पब्लिक सर्वेन्ट्स रूलिंग पार्टी की तरफ से जो नीति बरती जा रही है, जो पुराने डेमोक्रेटिक उसूलों के खिलाफ है; उसमें शामिल हो गए हैं। एक पैटर्सन का किस्सा और एक यह कि रूलिंग पार्टी को खुश करने के लिए पुलिस आफिसर बरेली में बच्चों के नाखून

निकलवा लेता है। डेमोक्रेसी इस तरह से कायम नहीं रह सकती। उस आर्टिकल में यह लिखा है कि निक्सन जो निकला वह क्यों निकला :—

"The true crime of Richard Nixon was that he broke the faith that binds America together and for this he was driven from power."

एक ही उसका कसूर था कि उसन उस विश्वास को खत्म कर दिया जो अमरीका के मुख्तलिफ रेसेज के 20 करोड़ आदमियों को बांधे हुए था।

'The faith he broke was that somewhere in American life there is at least one man who stands for law."

That faith holds that all men are equal before the law and protected by it; and now matter how the faith may be betrayed elsewhere by the ugly compromises of daily striving at one particular point the Presidency-justice will be done beyond prejudice, beyond rancour, beyond the possibility of a fix."

कम से कम प्रेसीडेन्सी एक जगह है जहां पर कानून पर अमल किया जायगा। इसी तरह से प्राइम मिनिस्ट्री एक जगह है जहां कानून पर अमल किया जायगा, चाहे उनके खिलाफ पड़ता हो, चाहे माफिक पड़ता हो। मुझको शिकायत केवल यह है कि ल' की परवाह प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, उन्होंने अपनी पोजीशन लो से ऊपर कर ली, कांस्टीट्यूशन को अपने काम के लिए अमेन्ड करा लिया। इसका कोई जवाब नहीं दिया। (व्यवधान) अगर यही तरीका जनाब का रहा तो आप मेरी बात सुन लीजिए कि वह देश के लिए बड़े अहित की बात होगी और हमारी तरफ से बराबर उसका विरोध होता रहेगा चाहे नतीजा कुछ भी हो।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर) —

अगर आप आज्ञा दें तो माननीय नेता विरोधी दल से मैं दो-एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप उनके घर चले जाइए और सारे सवाल कर लीजिए। (हंसी)।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, चार दिन तक इस सदन में करीबन 58 सदस्यों ने पूरे तरीके से इस बहस में भाग लिया जिसमें से करीबन 33-34 कांग्रेस के थे और 25 के करीब अपोजीशन के थे। मुझे कोई अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। इधर के 33 34 और अपोजीशन के भी बहुत बड़ी तादाद में और माननीय मुख्य मंत्री जी ने चौधरी साहब की एक-एक बात का पूरे तरीके से जवाब दे दिया है। (हंसी) आपने भी जवाब दे दिया है। चौधरी साहब ने करीब 3, साढ़े 3 घंटे उस दिन भाषण दिया। आज करीब एक घंटे तक दिया। मैं कुछ और बातें निवेदन करना चाहता हूं। हालांकि जैसा कि मैंने निवेदन किया माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक तमाम बातों का उत्तर दे दिया है। चौधरी साहब ने यह कहा कि जब से इमरजेन्सी लागू हुई है, जहां तक इस प्रदेश का और हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है, 1 लाख 30 हजार व्यक्ति जेलों में गए हैं। यह तो इतिहास ही बतलाएगा। 1942 में 60 हजार व्यक्ति जेलों में गए थे। क्या उस वक्त जो लोग मीसा में गए वे ब्लैक मारकेटियर्स नहीं रहे, क्या वे प्राफिटियर्स नहीं थे? मैं चौधरी साहब की उस फीगर को पूरी तरह से मानता लेकिन मैं उन्हीं से पूछता हूं कि क्या 1 लाख 30 हजार व्यक्ति जो आज जेलों में गए हैं, वे सब के सब पोलिटिकल आदमी हैं? चाहे वे बी0 एल0 डी0 के लोग हों, चाहे जनसंघ के लोग हों। तो क्या विरोधी दल के नेता माननीय चौधरी साहब नहीं चाहते हैं कि जहां तक इस देश और प्रदेश का सम्बन्ध है, जिन लोगों ने मुनाफाखोरी की है, जिन लोगों ने चोरी की है, या जिन्होंने

[श्री धर्म सिंह]

करों की चोरी की है, जो देशद्रोही हैं और जिन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं जिनका देश से सम्बन्ध है, वह नहीं होना चाहिये था, तो क्या उनको बन्द नहीं करना चाहिए था? चौधरी साहब जब जेलों का जिक्र करते हैं तो जब वे जेलों में जाते थे तो मालायें पहना करती थीं और आज वे गांधी जी के सिद्धान्तों की दुहाई देते हैं। कई विचारधाराओं को मिला जुला कर उन्होंने सरकार और पार्टी बनायी जो 10 महीने चली, कभी साल भर चली। इसी तरह से अब आपने एक लोकपक्ष बनाया है, देखें यह कितने दिनों तक चलेगा? मान्यवर, एक बात कही गयी है कि जहां तक कानून का सवाल है, सबके लिए एक सा होना चाहिए, इसमें दो रायें नहीं हैं। इंडिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इंडिया, चौधरी साहब इसकी बराबर दोहाई दिया करते हैं।

मान्यवर, सन् 1967 से हम यह बात सुनते आ रहे हैं—बी0 के0 डी0 इज चौधरी, चौधरी इज बी0 के0 डी0; चौधरी इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज चौधरी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है चौधरी साहब ने इधर-उधर की तो बहुत सी बातें कहीं लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जैसा कि मैंने कहा कि उनकी बहुत सी बातों का उत्तर दे दिया गया है। इमरजेन्सी की बात और गवर्नमेंट आफ इंडिया तथा इन्दिरा जी की बात तो वे करते रहे लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। अगर वे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहते तो उसका जवाब भी दिया जाता। मुश्किल यह है कि अब चौधरी साहब का स्थान यहां पर न होकर पार्लियामेन्ट और राज्य सभा में ही है और उनको वहीं जाना चाहिए था। क्योंकि उनके भाषण में उन्हीं बातों का जिक्र आया है। गुजरात और बिहार में क्या हुआ, इसका जवाब बहुत विस्तार से माननीय मुख्य मन्त्री जी न और इधर बैठने वाले हमारे साथियों ने दे दिया है। अब उस पर रोशनी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है? आल इंडिया रेडियो और टी0 वी0 का भी जिक्र किया गया। अगर उन पर केवल मुख्य मन्त्री और प्राइम मिनिस्टर का ही जिक्र आता तब तो कहने की बात होती कि इससे उनका प्रचार किया जाता है लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम तथा और भी एग्रीकल्चर, एजूकेशन आदि बहुत सी स्कीमों का जिक्र रेडियो और टेलिविजन पर 5–6 घंटे आता है और उससे एक अच्छा वातावरण बनता है। इससे प्राइम मिनिस्टर और भारत से कोई वास्ता नहीं है। इलेक्शन का भी जिक्र किया गया है। 1967 में जब चुनाव हुए थे तो बी0 के0 डी0 पार्टी बनी थी। 1969 में 105 व्यक्ति चुनकर आए और उसके बाद 1974 में कुछ चुनकर आ गये। जो कहते हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो चौधरी साहब की 1967 की पार्टी थी, उसके पीछे कोई बैक ग्राउन्ड और नियम नहीं थे। तो मैं कहता हूं कि यदि फेयर इलेक्शन न होते तो क्या चौधरी साहब का व्यक्तित्व था? 1969 में 100 व्यक्ति कैसे आ जाते और 1974 में 100 के लगभग कैसे आ जाते? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, श्री वीरेन्द्र वर्मा और श्री धर्मबीर जी भी जानते हैं। क्या यह सही नहीं है कि गरीब आदमियों को जो हरिजन हैं उनको वोट डालने में बन्द नहीं किया गया? क्या उनके वोट बरबाद नहीं किये गये? इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि एक-एक दो-दो लाख से कैसे जीत गये?

श्री अध्यक्ष—

10 मिनट का समय बढ़ाने के लिए मुख्य मन्त्री जी प्रस्ताव रखेंगे, क्या?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह—

यह जनतन्त्र की दोहाई देने वाले लोग हैं। उस समय बी0 के0 डी0 थी, हरिजनों के साथ क्या-क्या नहीं हुआ? 1967 में क्या गड़बड़ियां नहीं हुई हैं? वह हुई हैं। इसलिए जो जनतन्त्र की दुहाई देने वाले लोग हैं वह केवल अपने को देखें और उसके बाद क्या नतीजा हो सकता है उसको देखें।

मान्यवर, 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में चौधरी साहब ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए है। चौधरी साहब, आपने गवर्नमेंट बनायी थी, कितने आदमियों की गवर्नमेंट थी? एक साल के लिए 31 सूत्री कार्यक्रम क्या आपने नहीं बनाया था? जनसंघ और पी0 एस0 पी0 के लोग आपकी सलाह पर क्या चले थे? आपने कहा था कि कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश बिना कार्यक्रम के नहीं चल सकता। क्या उस समय वहां 20-सूत्री कार्यक्रम की तरह 31-सूत्री कार्यक्रम चौधरी साहब ने नहीं बनाया था? उधर और इधर के सभी लोग जानते हैं। मैं मानता हूं कि चौधरी साहब का जहां तक नेतृत्व है माननीय पन्त जी के जमाने में, जमींदारी एबोलिशन के जमाने में गरीबों के लिए बड़ा काम किया था। लेकिन आपने एक शब्द भी क्या जमीन के बांटने में गड़बड़ियां हैं, क्या होना चाहिए; नहीं कहा जबकि आपने पूरी लाइफ लगा दी, उसको मैं मानता हूं। किस प्रकार से यहां सुधार होना चाहिए था इस पर एक शब्द भी आपने नहीं बोला। माननीय सदस्यों तथा विशेष रूप से मुख्य मन्त्री जी ने उनकी तमाम बातों का उत्तर दे दिया है और बातों का उत्तर देकर उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया जिसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं संशोधन रखूंगा, फिर मूल प्रस्ताव।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश की वर्तमान स्थिति का पूरा चित्रण नहीं किया गया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मन्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 22 मार्च, 1976 को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना है श्री श्रीनारायण की "तथाकथित गेहूं की लेवी की वसूली हेतु जबरिया नोटिस जारी किए जाने से उत्पन्न संकट"। इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

दूसरी श्री काशीनाथ मिश्र जी की है, जो हरदोई तथा शाहजहांपुर रेलवे स्टेशनों एवं बख्शी का तालाब, मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में है। इस पर गृह मन्त्री स्वयं बयान दे देंगे।

श्री काशीनथ मिश्र (जिला बलिया)—

इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

तीसरा पुरुषोत्तम कौशिक का है, प्रदेश में गल्ले के सरकारी गोदामों में अन्न का तथाकथित सड़ना और सरकार द्वारा उन अनाजों की नीलामी किये जाने से करोड़ों की क्षति। यह कार्यवाही का विषय है। इसे सरकार को कार्यवाही के लिए भेज दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है इस पर वक्तव्य दिलवा दिया जाय।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, यह बड़े महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह बड़े महत्व का प्रश्न है तो शासन स्वमेव बयान देगा।

अब हम उठते हैं और दो दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को 11 बजे हम फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर मंगलवार, 30 मार्च, 1976 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
27 मार्च, 1976।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 558 पर।)

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय अनध्यर्थित धनराशि के सम्बन्ध में न्यास सृजित करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) धारा 7 को 16 फरवरी, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा, धारा 9 ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार तदर्थ अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, धारा 22 को 24 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा और शेष धारायें 3 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझी जायेंगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में —

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ाए जायेंगे, अर्थात्:—

"(क-1) 'कृषि ऋण समिति' का तात्पर्य उस ऋण समिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्य करता हो ;

(क-2) 'कृषि कार्य' के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा :—

(i) कृषि फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण या क्रय-विक्रय ;

(ii) उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालना या पशुपालन जिसके अन्तर्गत शूकर पालन, मत्स्य संवर्द्धन, कुक्कुट पालन और दुग्ध व्यवसाय भी है ;

(क-3) 'कृषि समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्य करता हो।

(क-4) 'शीर्ष समिति', 'शीर्ष स्तर समिति' या 'राज्य स्तर सहकारी समिति' का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ ;

(2) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ ;

(3) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;

(4) प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;

(5) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ ;

(6) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ ;

(7) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन लिमिटेड ;

(8) उत्तर प्रदेश केन यूनियन्स फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;

(9) उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, कानपुर ; या

(10) कोई अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है —

(i) उसकी सदस्यता में कम से कम एक ऐसी अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति हो जिसका कारोबार या व्यापार उसी प्रकार का हो ; और

(ii) उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हो ; और

(iii) उसका मुख्य उद्देश्य साधारण सदस्यों के रूप में अपने से सम्बद्ध सहकारी समितियों को कार्य करने में सुविधा देना हो ;";

(ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"(घ-1) 'केन्द्रीय समिति' या 'केन्द्रीय सहकारी समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसका साधारण सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो प्रारम्भिक सहकारी समिति की श्रेणी में न आती हो ;";

(iii) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"(झ-1) 'ऋण समिति' का तात्पर्य उस समिति से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधि एकत्र करना हो ;";

(iv) खण्ड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"(थ-1) 'प्रारम्भिक समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिए सुलभ न हो ;"।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जाएगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, वहां ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उस उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझा जायगा।"

धारा 15 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 15 में —

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या किसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, उपधारा (1) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस सम्बद्ध समितियों के सदस्यों को दी जायेगी, और प्रारम्भिक संकल्प की प्रतियां ऐसी समितियों के

सदस्यों और ऋणदाताओं पर निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायगी, अर्थात् :—

(क) लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करके व्यक्तिगत तामील द्वारा, या

(ख) जिस व्यक्ति ने खण्ड (क) के अधीन लिखित रूप में प्राप्ति अभिस्वीकार की हो उसका अपवाद करके, प्रत्येक व्यक्ति के पते पर, जैसा समिति के अभिलेख में उल्लिखित हो, प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा, और किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका समिति के कार्य क्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन द्वारा भी।" ;

(ii) उपधारा (3) में, खण्ड (i) में, शब्द "प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति उसे प्राप्त होने से तीन मास की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द "उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर" रखे जायेंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, शब्द "समस्त समितियों के सभी सदस्यों तथा ऋण दाताओं को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने के तीन मास" के स्थान पर शब्द "उपधारा (3) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट अवधि के" रखे जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 16 में —

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या ऐसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, इस धारा में निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस समिति के सदस्यों को दी जायेगी और प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के सदस्यों और ऋणदाताओं पर धारा 15 की उपधारा (2) में, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायगी।";

(ii) उपधारा (3) में, खण्ड (i) में, शब्द "प्रारम्भिक संकल्प उसे प्राप्त होने से, तीन मास की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द "धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जैसा कि वह इस धारा की उपधारा (2) के आधार पर लागू किया जाय, प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से, या यथास्थिति, उसके खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर" रखे जायेंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, शब्द "समिति के समस्त सदस्यों और ऋण-दाताओं को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने से तीन मास" के स्थान पर शब्द, "उपधारा (3) के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि के" रख जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 20 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"(कक) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा, यदि —

(i) वह बाकीदार है और कम से कम तीन मास की अवधि-पर्यन्त बाकीदार रहा है ; या

(ii) वह ऐसे बाकीदार का, जैसा कि उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिभू है ; या

(iii) यह ऐसी बाकीदार समिति का, जैसा कि उप खण्ड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द "बाकीदार" का तात्पर्य ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सहकारी समिति या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो ।"

धारा 29 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 29 में —

(i) उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "जब तक कि उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन नए निर्वाचन न हो जायें अथवा उपधारा (5) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्देशन न कर दिए जायें" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :—

"जब तक कि इस धारा के अधीन समिति द्वारा नए निर्वाचन न किए जायें या निबन्धक द्वारा अन्य व्यवस्था न की जाय" ;

(ii) उपधारा (3), (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) प्रबन्ध कमेटी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने कार्य-काल की समाप्ति के पूर्व धारा 32 के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए कार्यवाही करें, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उन सदस्यों का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त होता है ।

(4) जहां प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ हो वहां जब तक ऐसा निर्वाचन न हो जाय, तब तक के लिए निबन्धक समिति के कार्य-कलाप के प्रबन्ध के लिए प्रशासक नियुक्त करेगा, और उसे ऐसी व्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन करने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि इस उपधारा के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाय, तब तक समिति का सचिव दो सप्ताह से अनधिक अवधि के लिए प्रबन्ध कमेटी के केवल वर्तमान कर्त्तव्यों का प्रभार ग्रहण करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त प्रशासक को, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जिन्हें निबन्धक समय-समय पर दे सकता है, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने का अधिकार होगा और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह प्रबन्ध कमेटी है ।

(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए यथाशीघ्र व्यवस्था करेगा जो समिति का प्रबन्ध उससे ग्रहण कर ले ।

(7) जहां प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल 3 अक्तूबर, 1975 के (जिसे आगे इस धारा में 'उक्त दिनांक' कहा गया है) पूर्व समाप्त हो गया हो, वहां इस बात के होते हुए भी कि निबन्धक ने उपधारा (4) के अधीन, जैसा कि वह उक्त दिनांक के ठीक पहले था, कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी, निबन्धक उक्त दिनांक के पश्चात् यथाशीघ्र उपधारा (4) के अनुसार, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, कार्यवाही करेगा, और तदनन्तर उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के आधार पर, जैसा कि वह उक्त दिनांक के पहले था, या धारा 35 के अधीन किसी आदेश के आधार पर, पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पद से तत्काल मुक्त समझा जाएगा और उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा प्रतिस्थापित उपधारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त प्रशासक ही समिति की प्रबन्ध कमेटी तथा अधिकारियों के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा।'

धारा 31 क संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 31 में —

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 31-क में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा" रख दिए जायेंगे, और शब्द और अंक "धारा 121 और 122" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 121, 122, और 122-क" रखे जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द और अंक "धारा 121 या 122" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 121, धारा 122 या धारा 122-क" रखे जायेंगे।

नयी धारा 31-क का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

शीर्ष समितियों के लिए सचिव के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

"31-क—(1) प्रत्येक शीर्ष समिति के लिए, सचिव के स्थान पर एक प्रबन्ध-निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रथम वर्ग के अधिकारी से अनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा, और उसकी सेवायें समिति में प्रतिनियुक्ति पर समझी जाएंगी और उसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित वेतन और भत्ता समिति की निधि से दिया जायगा।

(2) प्रबन्ध-निदेशक प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य होगा और उसे मतदान का अधिकार होगा।

(3) किसी शीर्ष समिति के सम्बन्ध में, अधिनियम में सचिव के प्रति समस्त निर्देश, जहां कहीं व्यवहार्य हो, प्रबन्ध-निदेशक के प्रति निर्देश समझा जायगा।

(4) प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य-कार्य पालक अधिकारी होगा और प्रबन्ध कमेटी के नियन्त्रण में रहते हुए, उसका निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होगा, अर्थात् :—

(i) समिति के प्रशासन पर सामान्य नियन्त्रण रखना ;

(ii) प्रबन्ध कमेटी और सामान्य निकाय की बैठक बुलाना ;

(iii) समिति की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और समिति की रोकड़ बाकी और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना ;

(iv) बचत-पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और संक्रमित करना और समिति की ओर से चेक और अन्य परक्राम्य संलेख का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर और परक्रमण करना ;

(v) समिति के दिनानुदिन कार्य और मामलों के सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होना ;

(vi) समस्त जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना और बैंक में समिति का लेखा चलाना ;

(vii) समिति के पक्ष में समस्त बन्ध-पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना ;

(viii) समिति के बजट प्राविधान के अधीन रहते हुए, ऐसे पदों का सृजन करना जिसके लिए वेतनमान का अधिकतम 1,250 रुपए से अधिक न हो और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों में व्यवस्थित है ;

(ix) समिति के कर्मचारियों के अधिकार, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना ;

(x) समिति द्वारा या उसके विरुद्ध या अन्यथा समिति के मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, संचालित, प्रतिवादित, प्रशमित या परित्यक्त करना और समिति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिए समय देना ;

(xi) ऐसे विनियमों के, यदि कोई हों, जिन्हें प्रबंध कमेटी बनाए, अधीन रहते हुए, बातचीत करना और निर्माण-कार्य के दौरान 50 लाख रुपए तक की प्रत्येक और उसके पश्चात् 25 लाख रुपए तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त किसी विषय के सम्बन्ध में समिति के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना ;

(xii) अपना अन्तिम नियन्त्रण और प्राधिकार रखते हुए, किसी समिति के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने में निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना।"

धारा 34 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जाएगी, अर्थात् :—

"(7-क)—इस अधिनियम में या किसी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी—

(i) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उपधारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई सरकारी सेवक या त नाम से या शासकीय पदनाम से नाम-निर्दिष्ट किया जा सकता है ;

(ii) शासकीय पदनाम से इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट कोई सरकारी सेवक प्रबन्ध कमेटी की किसी विशिष्ट बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है, और ऐसे अधिकारी को कमेटी के विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।"

धारा 35 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(क) उप-धारा (1) में—

(i) शब्द "और नियत रीति से उक्त प्रयोजन के लिए बुलाई गयी सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात्" निकाल दिए जायेंगे ;

(ii) प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा ;

(ख) उपधारा (2) में —

(i) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "अवक्रांत न की जाय तो उसे पुन : स्थापित किया जाएगा" के स्थान पर शब्द "अपने निलम्बन के दिनांक से छ : मास के भीतर अवक्रांत न की जाय तो उसे पुन : स्थापित किया जायगा" रखे जायेंगे।

(ii) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जाएगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जिस अवधि में उपधारा (i) के अधीन या इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के किसी आदेश से स्थगित रहे उस अवधि को छः मास की उक्त अवधि की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।"

(iii) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—समिति के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए इस उपधारा के अधीन की जाने वाली व्यवस्था में उपधारा (3) में उल्लिखित प्रकार की कोई व्यवस्था सम्मिलित हो सकती है, और उपधारा (4) और (5) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

(ग) उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से" निकाल दिये जाएंगे, और शब्द "और बढ़ाई गई कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी" के स्थान पर शब्द "और, भले ही अवक्रमण की अवधि या बढ़ाई गई अवधि समाप्त हो गई हो, इस प्रकार अवधि बढ़ाई जा सकती है" रखे जाएंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे।

नयी धारा 35-क का बढ़ाया जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

"35-क (1) इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां दो लगातार सहकारी वर्षों के लिए (जिसके अन्तर्गत इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व की कोई अवधि भी है) —

(क) किसी प्रारम्भिक समिति का, जो ऋण समिति है, किसी सहकारी वर्ष में अपने सदस्यों के विरुद्ध कुल देयों का सत्तर प्रतिशत से अधिक ऐसे वर्ष के अन्त में अदत्त रह जाय, या

(ख) किसी ऐसे वर्ष के अन्त में बाकीदार सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के ऋणी सदस्यों की कुल संख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक हो जाय,

वहां किसी ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति और सभी सदस्य उपधारा (3) के अधीन आदेश प्रभावी होने पर इस रूप में अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जिस प्रकार वे किसी प्रारम्भिक ऋण समिति पर लागू होते हैं, वित्त पोषण बैंक पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों "सत्तर प्रतिशत" के निर्देश को "साठ प्रतिशत" के निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(3) किसी समिति या बैंक के सम्बन्ध में, जैसा कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, निबन्धक ऐसी समिति या बैंक के जिसे वह उपयुक्त समझे, कार्यों के प्रबन्ध के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे और धारा 35 की उपधारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—सन्देह को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निबन्धक के लिए इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति और अन्य सदस्यों को या सामान्य निकाय को नोटिस जारी करना या कारण बताने का कोई अवसर देना आवश्यक न होगा।"

धारा 44 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द और कोष्ठक "(जिसे इस अध्याय में आगे 'शीर्ष समिति' कहा गया है)" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 45-क का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 45 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द और कोष्ठक "(जिसे आगे इसे अध्याय में 'केन्द्रीय समिति' कहा गया है)" निकाल दिए जायेंगे।

नयी धारा 71-क का बढ़ाया जाना

15—मूल अधिनियम के अध्याय 9 में, धारा 71 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जाएगी, अर्थात् :—

"71-क-(1) यदि कोई सहकारी समिति (जिसे आगे इस धारा में ऋणी समिति कहा गया है) अपने ऋण का भुगतान किसी अन्य सहकारी समिति को (जिसे आगे इस धारा में ऋणदाता समिति कहा गया है) इस कारण करने में असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने धन का भुगतान करने में चूक किया है और ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी ने अपने सदस्यों से प्राप्य धन की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही करने में लोप या उपेक्षा बरती है तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऋणदाता समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त कमेटी को चूक करने वाले सदस्यों के विरुद्ध धारा 70 या, यथास्थिति, धारा 92 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है।

ऋणदाता समिति का ऋणी समिति और उसके सदस्यों के विरुद्ध अधिकार

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन उस नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी नहीं करती है, तो चूक करने वाले ऐसे सदस्यों के विरुद्ध

ऋणदाता समिति स्वयं धारा 70 या, यथास्थिति, धारा 92 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है मानो वह ऋणदाता समिति के सदस्य हों और उस दशा में इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियम और ऋणी समिति की उप विधियों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त उपबन्धों में ऋणी समिति और उसकी प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश ऋणदाता समिति और उसके प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश हों।

(3) जहां ऋणदाता समिति ने ऋणी समिति द्वारा देय किसी धन के सम्बन्ध में ऋणी समिति के विरुद्ध धारा 92 में निर्दिष्ट अभिनिर्णय या आदेश प्राप्त कर लिया है, वहां ऋणदाता समिति इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार या तो ऋणी समिति की परिसम्पत्तियों से, या उसके सदस्यों से ऋणी समिति को उनसे प्राप्य ऋण की मात्रा तक, या दोनों से ऐसे धन की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकती है।"

नयी धारा 95 क का बढ़ाया जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 95 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्:—

कृषि समिति के देयों की वसूली के लिए विशेष उपबन्ध

"95-क (1)—निबन्धक, धारा 34 में निर्दिष्ट समिति या कृषि ऋण समिति द्वारा किसी सदस्य को दिए गए किसी ऋण या उसकी किसी किस्त की बकाया की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र देने पर और ऐसे ऋण के सम्बन्ध में लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् देय धनराशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अन्तिम और देयों का निश्चायक सबूत होगा, जिसे मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।"

धारा 103 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 103 में, उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (क) में अंक "6" निकाल दिया जायगा ;

(ii) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(ख) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (2), खण्ड (3) या खण्ड (6) के अधीन अपराध करता है दोषसिद्धि पर किसी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थ दन्ड का भी भागी होगा जो तीन हजार रुपए तक हो सकता है ;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।"

नयी धारा 117-क का बढ़ाया जाना

18—मूल अधिनियम की धारा 117 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में मुकदमों पर होने वाले व्यय का नियन्त्रण

"117-क—धारा 29, धारा 34, धारा 35 या धारा 35-क के अधीन निबन्धक या राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जाय या दिया जाना भावित हो उसके विरुद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा किसी न्यायालय में दायर की गयी या संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों का खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय निबन्धक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।"

नई धारा 122-क का बढ़ाया जाना

19—मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायेगी, अर्थात् :—

कतिपय सेवाओं का केन्द्रीयकरण

"122-क—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे, ऐसी सहकारी समितियों के लिए सर्वसामान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिए उपबन्ध नियमों द्वारा कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती की प्रणाली और सेवा की शर्तों को नियत कर सकती है।

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों के कर्मचारी यदि उपयुक्त पाये जायें, अस्थायी रूप से या अन्तिम रूप से सेवा में आमेलित किए जायेंगे, जब तक कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को उस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना न दे दे अन्य और कर्मचारियों की सेवायें नियत रीति से समाप्त हो जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई कर्मचारी उपर्युक्त नोटिस देता है, वहां समिति में उसकी सेवायें ऐसी नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और वह समिति से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो—

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसकी सेवा के तीन मास की अवधि के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, उसके वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ता भी है) के बराबर होगा;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसकी सेवा के एक मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, उसके वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ता भी है) के बराबर होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति का उक्त सेवा में सम्मिलित पद से भिन्न किसी पद पर स्वत्व (लीएन) हो वहां वह उस पद पर, जिस पर उसका स्वत्व है, प्रतिवर्तित किए जाने का हकदार होगा और यदि वह इस प्रकार प्रतिवर्तित होता है तो वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।"

धारा 125 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 125 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "सम्बद्ध समितियों को सुनवाई का एक और अवसर देने के पश्चात्" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "सभी समितियों के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं द्वारा उपधारा (3) में अभिदिष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास" के स्थान पर शब्द "धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन" रखे जायेंगे।

धारा 126 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 126 में,—

(क) उपधारा (2) में शब्द "सम्बद्ध समिति को सुनवाई का एक और अवसर देने के पश्चात्" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "समिति के सभी सदस्यों तथा ऋणदाताओं द्वारा उपधारा (3) में अभिदिष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास" के स्थान पर शब्द "धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन" रखे जायेंगे।

कतिपय अनभ्यर्थित निक्षेप का संस्थान को अन्तरण

22—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में (जिसे यहां आगे बैंक कहा गया है) उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की ओर से राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 3072-एस(2) 12-सी-188-1948, दिनांक 24 नवम्बर, 1948 और संख्या 3321-एस/12-सी—188—1948, दिनांक 19 जनवरी, 1949 के अनुसरण में सांबधि निक्षप के रूप में जमा की गयी समस्त धनराशि, उस पर ब्याज सहित, जो 24 नवम्बर, 1975 को सम्बद्ध गन्ना उत्पादकों द्वारा अध्यर्थित न हों, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान को (जिसे आगे संस्थान कहा गया है) ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करें, बैंक द्वारा दी जायगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्तरित की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में बैंक और संस्थान के मध्य कोई विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायगा, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा और उससे दोनों बाध्य होंगे।

(3) संस्थान इस प्रकार प्राप्त धनराशि को एक पृथक् लेखा में रखेगा, और उसको, यथास्थिति, जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों की ओर से न्यास के रूप में रखेगा।

(4) बैंक द्वारा संस्थान को उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने पर, बैंक केबल इस प्रकार भुगतान की गयी राशि की सीमा तक अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगा, और जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों को उसका भुगतान करने का दायित्व उपर्युक्त सीमा तक संस्थान को अन्तरित हो जायगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन संस्थान को भुगतान होने पर यथाशीघ्र, संस्थान एक सामान्य नोटिस, जिसमें ऐसे सभी विवरण होंगे, उस रीति से, जिसका निदेश राज्य सरकार आदेश द्वारा दे, प्रकाशित करेगा कि संस्थान को इस प्रकार अन्तरित धनराशि में से उनको देय भुगतान के लिए यथास्थिति, जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों के दावे (जो नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे) आमन्त्रित किये जाते हैं।

(6) सामान्य नोटिस के अनुसरण में प्राप्त कोई दावा गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी ऐसे अधिकारी द्वारा (जिसे आगे अध्यर्थना प्राधिकारी कहा गया है) जो सहायक गन्ना आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, विनिश्चित किया जायेगा।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन अध्यर्थना प्राधिकारी द्वारा कोई दावा अस्वीकार कर दिया जाय, तो अध्यर्थी को उस जिले के, जिसमें जमाकर्ता गन्ना उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य था, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

(8) उपधारा (6) के अधीन अध्यर्थना प्राधिकारी का विनिश्चय, उपधारा (7) के अधीन किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और ऐसी अपील में, यदि कोई हो, जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) संस्थान को अन्तरित की गयी राशि में से, कोई राशि, जिसके लिए सामान्य नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई दावा न किया गया हो, या जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रकार से प्रस्तुत दावा को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो, परित्यक्त सम्पत्ति समझी जायगी और स्वामीहीन रिक्त के रूप में राज्य में निहित हो जायगी और वह ऐसी निधि में, जिसे उत्तर प्रदेश गन्ना विकास निधि कहा जायगा, अन्तरित हो जायगी और उसका भाग समझी जायगी।

(10) गन्ना की खेती के विकास, अनुसन्धान और प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए और गन्ना उत्पादकों के लिए सामान्य उपयोगिता के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जैसा गन्ना आयुक्त समय-समय पर निदेश दें, वह निधि संस्थान में निहित होगी और उसके द्वारा रखी और प्रशासित की जायगी।

निरसन और अपवाद

23—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 3, 1976

(2) ऐसे निरसन और उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1975, और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों का उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में निक्षेप (अनध्यर्थित निक्षेप के लिए न्यास) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, कोई कार्य या कोई कार्यवाही, जो — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26, 1975

(क) उक्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया हो या की गयी हो, उसे इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी : — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36, 1975

प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस प्रकार संशोधित मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन किसी समिति के प्रशासन के लिए कोई तदर्थ कमेटी निबन्धक द्वारा नियुक्त की गयी थी, वहां वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो सप्ताह के भीतर तदर्थ कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करेगा और जब तक ऐसा प्रशासक नियुक्त न किया जाय तब तक प्रबन्ध कमेटी केवल वर्तमान कर्त्तव्यों का प्रभार तदर्थ कमेटी ग्रहण करेगी ; या

(ख) उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों का उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में निक्षेप (अनध्यर्थित निक्षेप के लिए न्यास) अध्यादेश, 1975 के अधीन किया गया हो या की गयी हो, उसे इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36, 1975

मानो यह अधिनियम भी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

सहकारी समितियों के देयों की वसूली को बढ़ाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक आफ़ इन्डिया ने यह संस्तुति की कि जहां किसी प्रारम्भिक ऋण समिति के कुल देयों का सत्तर प्रतिशत लगातार दो सहकारी वर्षों तक अदत्त रहता है या जहां ऐसी समिति के बाकीदार सदस्यों की संख्या उसके ऋणी सदस्यों की कुल संख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक हो जाय, वहां उसकी प्रबन्ध समिति स्वत: अवक्रमित हो जानी चाहिए । उसने यह भी संस्तुति की कि किसी वित्त पोषण बैंक की प्रबन्ध कमेटी का भी वही हाल होना चाहिए यदि उसका कुल अदत्त देय साठ प्रतिशत से अधिक हो जाय या उस बैंक के बाकीदार सदस्यों की संख्या आठ प्रतिशत से अधिक हो जाय ।

2—यह भी विनिश्चय किया गया कि किसी प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति के किसी सदस्य को जो तीन महीने या इससे अधिक समय से बाकीदार है, या ऐसे सदस्य के प्रतिभू को, या ऐसी बाकीदार समिति के प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए ।

3—ऐसे उदाहरण भी हैं जहां कोई सहकारी समिति अपने सदस्यों के बाकीदार रहने के कारण अपने ऋण का भुगतान न कर सकने पर भी अपने सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी । यह उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया कि ऐसे मामलों में ऋणदाता समिति स्वयं ऋणी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगी ।

4—यह भी विनिश्चय किया गया कि राज्य सरकार को सहकारी समितियों के कतिपय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवायें केन्द्रीयित करने के लिए शक्ति प्रदान की जाय जिससे कि उनकी कार्यदक्षता बढ़ायी जा सके ।

5—यह भी आवश्यक समझा गया कि जहां किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन उसकी पदावरोही प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं किया जाता है वहां ऐसा निर्वाचन किए जाने तक, निबन्धक का समिति के कार्यकलाप के प्रबन्ध के लिए कोई प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जाय ।

6—उपर्युक्त विनिश्चयों और संस्तुतियों को समाविष्ट करने और अन्य छोटे-मोटे परिवर्तन करने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को संशोधित करना आवश्यक था । चूकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था, इसलिए 3 अक्तूबर, 1975 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किया गया था ।

7—राज्य सरकार ने यू० पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल रूल्स, 1938 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके ग्राम विकास (गन्ना) विभाग की दिनांक 24 नवम्बर, 1948 की अधिसूचना द्वारा यह निदेश दिया था कि कारखाने का प्रत्येक अध्यासी या प्रबन्धक और अन्य क्रय अभिकर्ता वर्ष 1948-49 के पेराई मौसम में गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों को देय मूल्य में से दो अंना प्रति मन की दर से कटौती करेगा । तत्पश्चात् उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि इस प्रकार काटी गयी धनराशि को यूनाइटेड प्राविन्सेज प्राविन्शियल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में जमा किया जायगा, और बैंक ने गन्ना उत्पादक को व्यक्तिगत रूप से उनकी धनराशि के लिए बन्ध-पत्र जारी किया था । इस प्रकार जमा की गयी कुल राशि लगभग 1,82,35,386 रुपये हुई ।

8—उपर्युक्त राशि में से लगभग 1,76,81,000 रुपये की राशि या तो गन्ना उत्पादकों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग को दी गयी या गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से उन्हें लौटा दी गयी । लगभग 5,75,000 रुपये की शेष अनध्यर्थित राशि सावधि निक्षेप में पड़ी हुई थी । अतएव, गन्ना उत्पादकों के हित में और लोक हित में भी यह विनिश्चय किया गया कि उक्त राशि को बैंक से उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान में गन्ना उत्पादकों की ओर से न्यास में रखे जाने के लिए अन्तरित किया जाय ताकि उसे तीन मास की अवधि में दावा प्रस्तुत किये जाने पर जमाकर्ताओं को वापस किया जा सके । अनध्यर्थित राशि का उपयोग गन्ना उत्पादकों के लाभप्रद प्रयोजनों के लिए किया जायगा ।

9—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, अतः उपरोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए 24 नवम्बर, 1975 को उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों का उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में निक्षेप (अनध्यर्थित निक्षेप के लिए न्यास) अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किया गया।

10—इस बीच 30 नवम्बर, 1975 को राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया और 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण उक्त अध्यादेश 16 फरवरी, 1976 के पश्चात् प्रवृत्त न रह जाता। अत : एक नए अध्यादेश द्वारा उक्त अध्यादेश को निरसित और प्रतिस्थापित करना आवश्यक था। तदनुसार उपर्युक्त दोनों अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए 16 फरवरी, 1976 को एक समेकित अध्यादेश अर्थात् उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया गया।

11—1973 के अध्यादेश संख्या 3 का स्थान ग्रहण करने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

शान्तिप्रपन्न शर्मा,
सहकारिता तथा गन्ना विकास मन्त्री।

पी०एस०यू०पी०—एल० 30 वि० सभा (5०)—1976—8401